राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ४] तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र, १९६३ का तृतीय दिवस [संख्या ३

बुधवार, दिनांक २१ अगस्त, १९६३

विधान सभा की बैठक म. प. २-३१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[आबकारी, गृह, सार्वजनिक निर्माण, यातायात, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, विधि, वित्त, स्वायत्त शासन एवं विद्युत्-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री पोहूमल।

शराब की दूकानों के नये अनुज्ञापत्र

४१ए. श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर) : Will the Minister for Excise be pleased to state:-

1. How many new licences for wine shops have been sanctioned in Ajmer District in 1962-63 ?

2. Will the Government state the names of such licence holders ?

3. Does the Gvernment intend to introduce prohibtion in the State ?

4. If yes, when ?

आबकारी मन्त्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) १९६२-६३ में कोई नया लाइसेंस नहीं दिया गया है।

(२) सवाल ही नहीं उठता।

(३) जी नहीं।

(४) यह उन हालात पर मुनहसिर है जो सरकार की मंशा को अमली जामा पहिनाने में मदद दे सकें।

श्री पोहूमल : क्या कोई निश्चित पोलिसी है प्रोहिबिशन के बारे में ?

श्री बालकृष्ण कौल : जी हां।

श्री पोहूमल : कब से होगी ?

श्री बालकृष्ण कौल : उसी पोलिसी के तहत तो हम चल रहे हैं।

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या आपकी यह पोलिसी थी कि राजस्थान बोम्बे की बाउन्डरी पर १० माइल के एरिया तक शराब की दुकान न खोली जाय।

Page No 2

श्री बालकृष्ण कौल : जी हां, ऐसी ही पोलिसी है।

श्री दलपतसिंह : क्या आपने कभी देखा है कि ऐसी जगहों पर शराब की दूकानें हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : आपकी नजर में हो तो आप बता दें, जांच करवा ली जायगी।

श्री दलपतसिंह : मेरे से ज्यादा जानकारी आपको होनी चाहिये, यह मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं मालूम करूं, यह आपका काम है।

श्री बालकृष्ण कौल : ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब इस तरह नहीं दिया जा सकता। आप कोई डेफिनिट बात बतायें तो जांच की जा सकती है।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : (अकलेरा—सु०)—कोटा खादी भण्डार के सामने शराब की दूकान है, उसको अभी तक नहीं हटाया गया है।

एक माननीय सदस्य : खादी भण्डार के सामने शराब की दूकान नहीं होगी तो और कहां होगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : प्रोहिबिशन के लिये अब तक सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री विजयसिंह झाला।

होम गार्ड्स

४२ ए. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में अब तक होमगार्ड्स में कितने व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गई है ?

अब तक कुल कितना व्यय इसके लिये किया गया ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री भीमसिंह) : राजस्थान में होमगार्ड्स का प्रशिक्षण दिनांक ३१ जुलाई, ६३ तक ३४८३ व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें ३,०८,९८५-५५ न० पै० का व्यय हुआ है।

श्री विजयसिंह झाला : इसमें कुछ महिलाएं भी हैं क्या ?

श्री भीमसिंह : महिलाएं नहीं हैं।

श्री विजयसिंह झाला : क्या इस प्रकार की योजना है कि महिलाओं को भी राजस्थान में होमगार्ड्स का प्रशिक्षण दिया जाय ?

श्री भीमसिंह : जी हां।

श्री विजयसिंह झाला : कब तक कार्यरूप में अमल किया जायगा ?

श्री भीमसिंह : शीघ्रातिशीघ्र।

श्री विजयसिंह झाला : 'शीघ्रातिशीघ्र' का क्या तात्पर्य होता है ? क्या आपके मन्त्रित्व काल में ही इस पर अमल किया जायगा या बाद में ?

Page No 3

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : हमारे मन्त्रित्व-काल में ही इसे पूरा किया जायगा। जहां महिलाओं की आधी कम्पनी खड़ी हो जायगी, जिस जगह ५० महिलाएं होमगार्ड्स की ट्रेनिंग लेने के लिये तैयार हो जायंगी उसी जगह महिलाओं को होम-गार्ड्स की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जायगा।

श्री विजयसिंह झाला : क्या जयपुर जैसे शहर में भी ५० महिलाएं होम गार्ड्स की ट्रेनिंग के लिए तैयार नहीं हो पाई हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : एक भी महिला तैयार नहीं हुई है।

श्री विजयसिंह झाला : इसका श्रीगणेश कहां होगा, जबकि जयपुर जैसे शहर में एक भी महिला को तैयार नहीं कर पाये हैं होम गार्ड्स की ट्रेनिंग के लिये ?

श्री मथुरादास माथुर : प्रयास सभी जगह किये गये हैं, पर महिलाएं होम गार्ड्स में भर्ती होने के लिये आगे नहीं आ रही हैं। अगर कहीं ५० महिलाएं तैयार हों तो हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे। ब्यावार में ३५ महिलाएं होम गार्ड्स की ट्रेनिंग के लिये तैयार हो चुकी हैं, और मैं आशा करता हूं कि वहां एक-दो दिन में ५० महिलाएं तैयार हो जायेंगी और जल्दी ही ब्यावार में महिलाओं को होम गार्ड्स की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जायगा।

श्री विजयसिंह झाला : क्या इसका कारण यह नहीं है कि राजस्थान सरकार महिलाओं को होम गार्ड्स का प्रशिक्षण देने में और इसके लिये उन्हें प्रेरणा देने में प्रयत्नशील नही रही है ?

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान सरकार ने बहुत प्रयास किये हैं, पर इसमें माननीय सदस्यों का सहयोग नहीं रहा है।

श्री विजयसिंह झाला : किस किस प्रकार की कोशिश की गई है ?

श्री मथुरादास माथुर : जो कोशिश पुरुषों के लिये कर रहे हैं वही महिलाओं के लिये कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : पुरुषों के लिये जिस प्रकार की कोशिश की जाती है उसी से काम नहीं चलेगा, महिलाओं को होम-गार्ड्स की ट्रेनिंग के लिये तैयार करने में क्या सरकार ज्यादा कोशिश करने को तैयार है ?

श्री मथुरादास माथुर : सभी स्कूलों में, कालेजेज़ में जहां महिलाएं पढ़ती हैं प्रोपेगेन्डा किया गया है, प्रचार किया गया है और एस० पीज० और कमान्डर को कहा गया है कि ज्यों ही ५० महिलाएं ट्रेनिंग लेने को तैयार हों उन्हें ट्रेनिंग दी जाय।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : एन०सी०सी० में कॉलेजेज़ में इतनी महिलाएं हो सकती हैं तो आपके पास क्यों नहीं ट्रेनिंग लेने को तैयार होतीं ?

श्री मथुरादास माथुर : एन० सी० सी० कम्पल्सरी है।

श्री अध्यक्ष : आप एन० सी० सी० से कैसे कम्पेग्रर कर रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : होम गार्ड्स में क्या रेश्यो है, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स कितने होंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : कोई रेश्यो नहीं है, केवल उन्हीं गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को नहीं लिया जाता है जो एमर्जेन्सी सर्विस में दाखिल हैं क्योंकि एमर्जेन्सी के वक्त में लोग अपने अपने विभाग में लगे रहेंगे। इनके अलावा और कोई भी सरकारी कर्मचारी इसमें दाखिल हो सकता है।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित (सीकर) : क्या कोई रेश्यो बना दिया गया है कि इतने गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को लिया जायगा और इतने दूसरे लोगों को लिया जायगा ?

श्री मथुरादास माथुर : कोई रेश्यो नहीं है, जितने गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स आयें सबको लिया जा सकता है, सिवाय एमर्जेन्सी में लगे हुए गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के।

श्री विजयसिंह झाला : यह जो तीन लाख की धनराशि खर्च हुई है, इसमें किस किस तरह का खर्चा है, ट्रेनीज़ पर भी खर्च किया गया है या सारा का सारा एड्मिनिस्ट्रेशन पर ही खर्च किया गया है।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें सभी तरह के खर्चे शामिल हैं, २॥) रु० पोकेट अलाउन्स हर ट्रेनी को दिया जाता है, वह भी रुपया इसमें शामिल है, एम्यूनिशन, यूनिफार्म-स्टोर सभी पर खर्च करते हैं, वह इसमें शामिल है।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

श्री विजयसिंह झाला : एक क्वेश्चन और।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर बहुत प्रश्न हो चुके हैं। और भी दूसरे प्रश्न बाकी हैं।

(विराम)

श्री अब्दुलजब्बार।

निम्बाहेड़ा से छोटी सादड़ी सड़क

४३ ए. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : (१) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा से छोटी सादड़ी सड़क नई बन रही है ?

(२) क्या यह सही है कि उस सड़क में मेटीरियल पूरा और टेन्डर के अनुसार नहीं लगाया जा रहा है ? अगर हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र):

(१) जी हां।

(२) मेटीरियल पूरा जरूरत के अनुसार ही लगाया है, अत: इस सम्बन्ध में कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री अब्दुलजब्बार : सड़क कितनी बन चुकी है ?

Page No 5

श्री हरिश्चन्द्र : काम चालू है, जीरो माइल से १४ माइल तक।

श्री अब्दुलजब्बार : अकोर्डिंग टू टेन्डर कितनी चौड़ाई होनी चाहिये और इस समय कितनी चौड़ाई है।

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो इत्तला मेरे पास नहीं है, अगर आप पूछते तो बता देता।

श्री अब्दुलजब्बार : आपने प्रश्न (२) के उत्तर में फरमाया कि प्रश्न ही नहीं उठता, पर टेन्डर में सड़क की जितनी चौड़ाई है, उतनी चौड़ाई में सड़क को नहीं बनाया जा रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है कि अकोर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन्स सड़क नहीं बन रही है। आप स्पेसिफिक सूचना दें तो जांच करवाई जा सकती है।

श्री अब्दुलजब्बार : सड़क की चौड़ाई जो टेन्डर में स्पेसिफाई की हुई है उससे कम है; गिट्टी बिछाने की थिकनेस कम है। जो ऊपर मिट्टी डाली जाती हैं वह ठीक नहीं है। जबकि हाल ही में बनी है, इस मौसम में वह सड़क टूट गई है, इसकी जांच करवायें।

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक थिकनेस का कहा वह रिपोर्ट मेरे पास है, थिकनेस ६ इंच होनी चाहिये, नहीं होने का कारण यह है कि कटिंग में रोक आ गई है, इस सम्बन्ध में टेक्निकल राय ली गई है और इसे टेक्निकल एप्रूव किया गया है। थिकनेस कम की है, उसका पेमेंट नहीं हुआ है।

श्री अब्दुलजब्बार : वहां रोकी (Rockey) एरिया नहीं है, वहां प्लेन है, वहां रोक का प्रश्न ही नहीं आता, चरणोद या प्लेन मैदान है, लाल कंकरी है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला-बादल'।

जयपुर से कोटा रूट पर बस यात्रियों की असुविधाएं

४४. ए. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर से कोटा तक किस किस समय रोडवेज की बसें चलती हैं और किस किस स्थान पर बस स्टेन्ड हैं ? इन बस स्टेन्डों पर पीने के पानी और मूत्रालय की क्या व्यवस्था है और वर्षा, सर्दी, गर्मी से बचने के लिए मुसाफिर को क्या सुविधायें हैं ?

(२) क्या यह सही है कि मूत्रालय के अभाव में बस में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को असुविधायें रहती हैं।

(३) क्या यह सही है कि प्राइवेट बसों के मालिकों की तरफ से बारहों महीने प्याऊ लगाई जाती थी ? क्या सरकार की प्याऊ लगवाने की कोई योजना है।

यातायात मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) :

(१) गाड़ियों की समय सारिणी तथा बस स्टेन्डों की सूची सदन की मेज पर रखी गई है; इस मार्ग के कुछ स्थानों पर स्थाई प्याऊ

Page No 6

(श्री हरिश्चन्द्र)

तथा कुछ पर चार माह के लिये जहां बुकिंग ऑफिस है, व्यवस्था कर दी गई है तथा कुछ स्थानों पर निजी प्याऊ लगाने की योजना सरकार के विचाराधीन है । मूत्रालयों की व्यवस्था सिर्फ जयपुर, टोंक व देवली पर उपलब्ध है । अन्य स्थानों पर अभी पेसेन्जर शेड बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ।.

(२) सम्भव है ।

(३) जी नहीं । सरकार ने मुख्य २ बस स्टेन्डों पर पेसेन्जरशेड आदि बनवाने के साथ साथ प्याऊ बनवाने का भी प्रावधान रक्खा है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : आपने 'विचाराधीन' कहा, कब तक विचाराधीन रहेगा ? कब तक बन जायेंगे मूत्रालय । धूप और वर्षा से रक्षा होने के लिए कब तक शेड बन जावेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : इस साल के बजट में प्रोविज़न है और इसके लिए आॅर्डर्स भी इश्यू हो गये हैं कि काम शुरू कर दिया जाय । मैं समझता हूं कि कई जगह पर वह काम शुरू भी हो गया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : कोटा-जयपुर बस रूट पर कितने बस स्टेन्ड हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : बस स्टेन्ड से क्या मतलब ?

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : कोटा जयपुर आते-जाते हुए बस कितनी जगह पर रुकती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी सूचना इस समय तो मेरे पास नहीं है । टाइम टेबल दे रखा है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने बताया कि प्याऊ की व्यवस्था कर दी गई है तो इतने स्टोपेज में कहां कहां प्याऊ की व्यवस्था है और कहां कहां आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि पैसेन्जर एमिनिटीज में कमी है उसको पूरा किया जा रहा है ।

श्री कुमारानन्द : न तो खड़े होने की जगह है, न ठहरने और आराम करने की जगह है पैसेन्जर्स के लिए और आप कहते हैं कि विचाराधीन है । सारी जगह अन्धेरा फैला हुआ है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : On a point of order, Sir आज जो क्वेश्चन्स के नम्बर हैं शायद कल भी वे ही थे ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): परसों थे वे ही हैं ।

प्रश्न संख्या ४५ ए.

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनारायण छाछिया ।

४६ ए. श्री शिवनारायण छाछिया (सूरजगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) थाना खेतड़ी, जिला झुंझुनू में जनवरी, १६६१ से फरवरी, १६६३ तक विभिन्न प्रकार के कितने केस दर्ज हुए हैं और उनमें चोरी के कितने केस हैं ?

(२) क्या पुलिस ने चोरियां बरामद की हैं ? यदि हां, तो कितने केसों में और कितनी रकम बरामद की है ?

(३) विभिन्न अपराधों के कितने केसों के चालान पुलिस ने अदालत में पेश किये हैं ? कितने चोरी के केस हैं जिनमें पुलिस ने न तो चोरी ही बरामद की है और न ही चालान पेश किये हैं ?

(४) ऐसे कितने केस हैं जिनमें अदालत ने अपराधियों को सजा दी है, दोष मुक्त कर दिया है या अभी चल रहे हैं ?

उप-मंत्री गृह (श्री भीमसिंह) : (१) जनवरी ६१ से फरवरी ६३ तक थाना खेतड़ी में विभिन्न प्रकार के कुल १३७ मुकदमात दर्ज हुए जिनमें से चोरी के ४३ मामले हैं ।

(२) जी हां । कुल ३८ सच्चे चोरी के मुकदमात में से कुल १८ मुकदमों में ६३७५ रुपये ५० नये पैसे के मूल्य का माल मसरुका बरामद कर लिया गया ।

(३) कुल १३७ मुकदमों में से १७ मुकदमों का चालान किया गया । चोरी के मुकदमों में से १७ मुकदमें अदम पता रहे, ५ झूठे साबित हुए और २ जेर तफतीश हैं ।

(४) कुल ७० मुकदमात में से ११ मुकदमों में सजा हुई । और ६ में मुलजिमान रिहा व बरी हुए । और ५० मुकदमात जेर तजवीज अदालत हैं ।

श्री शिवनारायण छाछिया : ६०-७० चोरियां हुई, उनमें से एक भी बरामद नहीं हुई ।

श्री भीमसिंह : बरामद हुई हैं और रकम भी बता सकता हैं ।

श्री शिवनारायण छाछिया : नहीं बरामद हुई हैं ।

श्री भीमसिंह : १२ हजार ६४६ रुपये ८५ न. पै. की चोरियां हुई, उनमें से ६१३५ रु० ५० न. पै. की प्रोपर्टी बरामद हुई है ।

श्री शिवनारायण छाछिया : अक्टूबर, दिसम्बर में ६० चोरियां हुई थीं । जिन्होंने माल चोरी किया उन्हीं को माल भी वापिस दिलवा दिया । चोरी की चोरों ने और माल भी चोरों को दिलवा दिया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का किसी खास वाकया से मतलब है तो वह बता दीजिये ताकि मंत्री महोदय बता सकें । साफ बता दीजिये । दबाने से क्या मतलब है ?

श्री शिवनारायण छाछिया : गांव बसी, पुलिस स्टेशन खेतड़ी में एक बनिये के

(श्री शिवनारायण छाछिया)

यहां चोरी हुई। माल का पता लग गया और चोरों का भी पता लग गया, लेकिन न तो माल को बरामद किया गया और न चोरों को ही।

श्री भीमसिंह : डिटेल्स में मालूम करके बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : जांच करके पता लगा लें कि ऐसा क्यों हुआ ?

(विराम)

श्री मुरलीधर व्यास।

पुलिस द्वारा पिटाई

४७ ए. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि ता० २३.११.६२ को रात के ११ बजे पुलिस थाना रूपनगढ़ के मुन्शी लिखमनदास तथा सिपाही मोतीखां तथा कल्याणसिंह, श्री रामचन्द आदि ने कुछ गुन्डों को लेकर गेगली बेवा सूरजकरण व धन्नूड़ी जोजे रामदीन को बुरी तरह से पीटा ? यदि हां, तो उनकी मैडिकल रिपोर्ट क्या है तथा इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उप-मंत्री गृह (श्री भीमसिंह): जी हां।

इस आशय की रिपोर्ट एस. पी., अजमेर को दिनांक २६.११.६२ को पेश की गई थी। पुलिस पार्टी के साथ गुण्डे नहीं थे बल्कि उसी गांव के ५, ६ ग्रामीण थे, जिनको पुलिस पार्टी ने रामदीन बावरी की गिरफ्तारी में मदद के लिये साथ रखा था। डॉक्टरी जांच से मुसम्मात गेगली के बायें हाथ के रिडियस हड्डी का फ्रेक्चर होना पाया जाता है एवं मुसम्मात धन्नूड़ी के भी हाथ में मामूली फ्रेक्चर होना पाया जाता है। डी० एस० पी० ने इसकी सरसरी जांच कर मुकदमा जेर दफा ३२५।४४७।३४२।४५१ ता० हि० दर्ज किया और बाद तफतीश जरिये एस. एच. ओ. चालान अदालत पेश किया गया जिसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। अदालत के फैसले से पहिले हैड कॉन्स्टेबल व कॉन्स्टेबलान के खिलाफ विभागीय जांच कराना उचित नहीं समझा गया। हैड कॉन्स्टेबल व कॉन्स्टेबलान को राज्य सेवा से निलम्बित कर दिया गया है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : हैड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल्स का चालान किया गया ?

श्री भीमसिंह : जी हां।

श्री अब्दुलजब्बार : आपने फरमाया कि रामदीन को डाकू, चोर या मफरूर जो भी वह था, मुसम्मात ने शरण दी थी इस वजह से उसकी पिटाई की गई थी ?

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा कहा गया है कि गुन्डे नहीं थे, पुलिस की मदद के लिए ग्रामीण गये थे, दोनों महिलाओं के जो फ्रेक्चर हुआ है तो किसके जरिये से उनकी पिटाई हुई ?

Page No 9

श्री भीमसिंह : पुलिस के कॉन्स्टेबल्स के जरिये से।

श्री मुरलीधर व्यास : पुलिस ने पीटा है ?

श्री भीमसिंह : केस उनके खिलाफ पुट अप हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास : पुलिस उनकी मदद में कई आदमियों को लेकर गयी थी और पुलिस को उन महिलाओं को पीटने की जरूरत पड़ी तो आप कहते हैं कि गुन्डे नहीं थे तो उसमें वे शरीक क्यों थे ?

श्री अध्यक्ष : श्री कुमारानन्द।

राजस्थान में होमियोपैथी को मान्यता

४८ ए. श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : Would the Health Minister be good enough to state—

1. Why Rajasthan is still lagging behind in recognising Homeopathy and in constituting separate Board and Directorate for Homeopathy when most of the other States of India have done the needful long ago ?

2. Why not the Government give a fair trial to Homeopathy by reserving some beds or a ward in the hospitals for homeopathic treatment or even by opening separate homeopathic hospitals in the State ?

3. Why the Government should not reimburse the cost of homeopathic medicines and treatment taken by the Government employees when allopathic treatment proved ineffective and the patient is obliged to take Homeopathic treatment ?

4. Why not the Government allow the Government employees to take any treatment they choose which they have found better and cheaper by experience, by giving equal status to all scientific systems ?

5. Why enough Homeopathic outdoor free dispensaries are not opened in the State ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद विभाग से इसका सम्बन्ध है, उसके मंत्री इसका जवाब देंगे।

श्री कुमारानन्द : अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में भी नहीं आया और सुनाई भी नहीं दिया कि क्या कहा गया।

उप-मंत्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : मैं इसका उत्तर दे रहा हूं।

(१) राजस्थान होमियोपैथिक बिल तैयार हो चुका है और सरकार के विचाराधीन है।

(२) आठ होमियोपैथिक औषधालय राजस्थान में चालू हैं।

(३) नियमानुसार होमियोपैथिक दवाई अभी रिएम्बर्सेबल नहीं है।

(४) सरकारी कर्मचारी जैसा भी चाहें इलाज करवा सकते हैं लेकिन रीएम्बर्समेन्ट

Page No 10

(श्री दौलतराम सारण)

नियमों के अनुसार होता हैं ।

(५) आउटडोर डिस्पेन्सरी पब्लिक की प्रार्थना पर खोली जाती है; जनता आम तौर पर आयुर्वेदिक और एलोपैथिक इलाज पसन्द करती है ।

श्री कुमारानन्द : मैंने पूछा है कि होमियोपैथिक डिस्पेन्सरी राजस्थान में कितनी हैं ?

श्री दौलतराम सारण : आठ ।

श्री ज्ञानचन्द मोदी (थोई) : यह बिल जो तैयार हुआ है वह कब तक लिया जावेगा ?

श्री दौलतराम सारण : अभी वह विचाराधीन है ।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : कब से विचाराधीन है ?

श्री दौलतराम सारण : कुछ अर्से से ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : गवर्नमेन्ट होमियोपैथिक ट्रीटमेन्ट रिकॉगनाइज करती है, तो रूल्स में अमेंडमेन्ट करके गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को उस तरीके का इलाज कराने की इजाजत क्यों नहीं देती है और पेमेन्ट क्यों नहीं करती है ?

श्री दौलतराम सारण : चाहते तो यही हैं कि सब प्रश्नों पर विचार करके किया जाय । बिल विचाराधीन है ।

श्री कुमारानन्द : 'विचाराधीन' बड़ा भयंकर शब्द है । विचाराधीन ! एक साल, दो साल !

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

राजस्थान प्रेमिसेज (किराया और बेदखली नियन्त्रण) अधिनियम, १९५० (लागू करना)

४९ए. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): Will the Home Minister be pleased to state :-

1. To which towns and cities the Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Act, 1950 has been made applicable so far ? Please give a list districtwise.

2. What difficulty the Government will have to face if the said Act is made applicable to the whole State of Rajasthan straightaway ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : 1. A list of towns and cities to which the Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Act, 1950 has been made applicable is attached herewith districtwise.

2. The provisions of the Rajasthan premises (Control of Rent and Eviction) Act, 1950 are made applicable as and when the Collector of theDistrict on the request of local public examines the case and makes

Page No 11

(श्री भीमसिंह)

his recommendations. In municipal towns (of population 5000 or more), the Government have been extending the Act on the recommendation of the Collector.

If the provisions of the Act are made applicable to the whole of the State straightaway, a host of cases will come up before the courts thus giving extra work to Courts and then there will be a class struggle between Land Lords Vs. Tenants and there will be administrative problems also. However as a matter of policy in the past, towns with a population of 5000 or over, were duly to be covered and those too when the circumstances justify. The Government have not been in a position to offer loans freely for the construction to houses everywhere and the economic status of the people has not gone so high as to allow them to construct houses on a large scale. Hence if the Act is made applicable to every town, city or village, there is bound to be more unrest than peace.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : इस सवाल का हिन्दी अनुवाद है अत: इसका उत्तर भी हिन्दी में दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप तो उत्तर दीजिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): जिन सेक्रेटरी ने इसका जवाब तैयार किया है उनको डाइरेक्ट कर दिया जाय कि यदि राजस्थान में सर्विस करनी है तो उनको चाहिये कि वे हिन्दी में जवाब तैयार करवा कर भेजा करें।

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टरों पर यह लागू करें तब यह हो सकता है।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : माननीय सदस्यों को भी हिदायत दी जाय कि वे अंग्रेजी में प्रश्न न पूछा करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार यह बतायेगी कि राजस्थान में पांच हजार की आबादी के जितने टाउन्स हैं उनमें से कितने टाउन्स अभी बाकी रह गये हैं जिन पर लागू नहीं किया गया ?

श्री भीमसिंह : यह पृथक प्रश्न है, इसलिये इसकी लिस्ट मेरे पास नहीं है। जिन पर लागू किया है वह लिस्ट मौजूद है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या दस हजार की आबादी के सब टाउन्स पर यह लागू कर दिया गया है।

श्री भीमसिंह : जिन जिन जगहों के लिये कलेक्टर साहबान द्वारा रिकमन्डेशन्स आयीं और जहां आवश्यक समझा गया वहां लागू कर दिया गया।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): कलेक्टर की सिफारिश और पब्लिक की

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

डिमान्ड, इनके कोई नियम आपने बना रखे हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : हमारी नीति यह है कि जहां कहीं की जनता द्वारा मांग होती है और जिस टाउन की आबादी पांच हजार से ज्यादा है वहां पर रेन्ट कन्ट्रोल कानून लागू करने की मांग की जाती है, उस पर कलेक्टर से राय मांगते हैं; उसके बाद जहां कठिनाई अनुभव करते हैं वहां पर यह लागू किया जाता है। वक्तन फवक्तन जनता द्वारा जहां कहीं के लिये मांग आती है वहां रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट लागू किया गया है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मेरा तो यह सवाल है कि ऐसे कोई नियम हैं जिनके आधार पर जनता की मांग को माना जाता है और कलेक्टर की राय के लिये भेजे इसके लिये कोई नियम का निर्धारण किया गया है क्या ?

श्री अध्यक्ष : नियम तो यही है कि जहां सरकार आवश्यक समझती है वहां लागू कर देती है।

श्री मथुरादास माथुर : आपने कानून में हमें अधिकार दिया है कि सरकार जहां चाहे वहां लागू कर सकती है। हम लागू करने से पहले जनता की मांग को भी ध्यान में रखते हैं और उस पर कलेक्टर की भी राय लेते हैं कि जनता की मांग की वे जांच कर लें। सरकार ने इस कानून को लागू करने में उदारता से काम लिया है। जहां कहीं की जनता द्वारा मांग आती है वहां लागू करते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या सरकार यह नीति नहीं बनाती कि जिस टाउन की आबादी ७ हजार, छ हजार या पांच हजार हो वहां पर युनिफॉर्म रूप से बिना जनता की मांग आये लागू कर दे; आखिर राजस्थान की सारी जगहों की समस्या एक सी ही है।

श्री मथुरादास माथुर : यह ठीक नहीं है। कई बड़े कस्बे हैं, लेकिन वहां से मांग नहीं क्योंकि वहां मकान ज्यादा हैं और दूसरी तरफ छोटे कस्बों के अन्दर भी मकानों की जहां मांग ज्यादा है तो ऐसी हालत में सभी जगह के लिये एक सा नियम नहीं बना सकते। अगर सारे राजस्थान में यह एक्ट लागू कर दिया जाय तो हार्डशिप्स हो जायंगी। मकान लोग बनाना बन्द कर देंगे, रेन्ट कन्ट्रोल जहां लागू हो जाता है वहां के लोग मकान बनाना बन्द कर देते हैं और सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वह सभी जगह मकान बनाने के लिये ऋण दे सके। किराया जहां सेट होता है वहां कन्ट्रोल करने का सवाल पैदा होता है। मैंने पहले भी निवेदन किया, जहां कहीं के लोगों ने मांग की है सरकार ने लिबरली उसको एक्सेप्ट किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो उत्तर दिया है वह अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। जहां पर मकानों की कमी है वहां प्रेशर ज्यादा है। वहां से यदि मांग आती है, आप मानने के लिये तैयार हैं। लेकिन ऐसे कस्बे हैं जिनमें इस तरह का प्रेशर नहीं है........

एक माननीय सदस्य : इससे लिटीगेशन बढ़ेगा और वकीलों को फायदा होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रकार का प्रोब्लम जहां खड़ा होता है वहां लोगों को मौका नहीं दिया जाता है कि वे इस तरह से कानून का फायदा उठा सकें। छोटे कस्बे हैं, जिनमें बहुत ऊंचा किराया वसूल किया गया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है। उनको इस कानून से राहत नहीं मिल सकती। इससे यह मतलब निकलता है कि वहां बसने वाले किरायेदारों को सरकार राहत देना नहीं चाहती। हमारे जिले में; किशनगढ़, लक्ष्मणगढ़, गोविन्दगढ़, रामगढ़, ये तमाम कस्बे ऐसे हैं जहां किराया २ हजार की जायदाद पर ६० रुपया यानि तीन रुपया सैकड़ा तक का सूद पड़ता है उन पर आप लोग लागू नहीं करते। दस हजार की आबादी का कस्बा राजगढ़ है, खेड़ला मंडी जहां की आबादी दस-बारह हजार है वहां म्युनिसिपैलिटी है वहां पर भी लागू नहीं करते हैं। वहां की जनता द्वारा रिप्रेजेन्टेशन किया गया लेकिन वहां कभी कलेक्टर नहीं पहुँचे। अगर आप सारे राजस्थान पर यह लागू कर दें तो इसमें जहां जनता को सहूलियत होगी, जहां दिक्कत नहीं है वहां लोग कोर्ट में नहीं जायेंगे और जिनको दिक्कत है वे फायदा उठा सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : कलेक्टर जानकारी करने के लिये जाते हैं, लेकिन यह तो जिम्मेवारी सरकार की है कि कहां लागू करे, कहां नहीं करे।

श्री मथुरादास माथुर : आपने इतने नाम गिनाये। राजगढ़ का एक भी रिप्रेजेन्टेशन हमारे पास नहीं आया। न किसी एम० एल० ए० द्वारा भी यह कहा गया। आज पहली दफा आपसे सुन रहा हूं। जहां इस प्रकार का प्रोब्लम नहीं वहां पर लागू कर देते हैं, यह उस तरह का हुआ कि जहां कोई बीमारी नहीं है और अस्पताल खोल दिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : इसका असर केवल किराये के कन्ट्रोल से नहीं है, बल्कि इस कानून का ताल्लुक बेदखली से भी है। आज मकान मालिक १८ महीने तक दो-दो महीने के इन्स्टालमेन्ट ड्यू बताकर किरायेदार को बेदखल कर सकता है अगर यह कानून सब जगह लागू कर दिया जाय तो बेदखली से भी बच सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कामां में मोर्च्युअरी

५० ए. श्री मजलिसखां (कामां) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या कामां डिस्पेन्सरी पर कोई मोर्च्युअरी (mortuary) की बिल्डिंग है ?

(२) यदि नहीं है तो क्या राज्य सरकार वहां शीघ्र यह बिल्डिंग बनाने पर विचार करेगी।

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं।

(२) इस चालू वित्तीय वर्ष में सरकार के पास निर्माण-कार्य के लिये धनराशि उपलब्ध नहीं है। जैसे ही सरकार के पास धन-राशि उपलब्ध होगी वैसे ही सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

तहसील नोहर और भादरा के दीवानी दावे

५१ए. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील नोहर और भादरा के दीवानी दावे जो कि २००० रुपये की मिल्कियत से ऊपर हैं, सूरतगढ़ सिविल जज के पास जाते हैं जब कि हनुमानगढ़ में भी सिविल जज की अदालत है ?

(२) क्या यह सही है कि नोहर और भादरा तहसील से हनुमानगढ़ नजदीक पड़ता है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(३) यदि हां, तो नोहर और भादरा के २००० रु० के ऊपर की नोइयत के केसेज हनुमानगढ़ सिवल जज की तहत क्यों नहीं रखे जाते हैं ?

उप-मंत्री, विधि (श्री परसराम मदेरना) : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) दिनांक १–९–६२ में सिविल जज हनुमानगढ़ की स्थापना की गई है, तथा इसका क्षेत्र नोहर व भादरा तक बढ़ाये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री परसराम मदेरना : बहुत जल्दी ही निर्णय ले लिया जायगा ।

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : One week.

प्रश्न संख्या ५२

श्री अध्यक्ष :श्री हरिप्रसाद शर्मा

(अनुपस्थित)

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर

५३. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में भूतपूर्व जयपुर रियासत के समय में रोगियों के लिये कितने बैड्स की व्यवस्था थी ?

(२) जब से राजस्थान सरकार बनी है तब से गत १५ सालों में हर साल कितने कितने बैड बढ़ाये गये ? सालवार आंकड़े बताने की कृपा करें ।

(३) भूतपूर्व रियासत जयपुर के समय इस अस्पताल में औसतन रोगी संख्या क्या थी व अब क्या है ?

(४) जयपुर की जन-संख्या उस समय से आज कितनी बढ़ गई है ?

५ रियासत जमाने में इस अस्पताल में किस किस योग्यता के कितने कितने डाक्टर कम्पाउन्डर नर्सें व फोर्थक्लास कर्मचारी थे व अब कितने हैं ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) भूतपूर्व जयपुर रियासत के समय में रोगियों के पलंग की संख्या ३८३ थी ।

(२) राजस्थान सरकार बनने के पश्चात् १५ सालों में हर साल कितने कितने बैड बढ़ाये गये हैं उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) भूतपूर्व जयपुर रियासत रोगियों की संख्या ।

इनडोर रोगियों का एक दिन का औसत :

Page No 15

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

१६४८	४४१.४०
१६६२	७०४.८५

आउटडोर रोगियों का एक दिन का औसत

५४४.२७

१६६८.५२

(४) जयपुर की जन-संख्या इस प्रकार है:

१६४८	१,६१,०००
१६६१	४.३४ लाख ।

(५) संबन्धित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(३ म. प.)

श्री जयनारायण सालोदिया : पलंग आप किस माप-दंड से बढ़ाते है ? जनसंख्या के हिसाब से ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मरीजों की संख्या के हिसाब से।

श्री जयनारायण सालोदिया : मरीजों की हालत हम देखते हैं, पलंग पर पड़े लोगों को प्लास्टर चढ़े रहते हैं, और निमोनिया के बीमार लॉन पर पड़े रहते हैं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसमें साथ ही साथ सरकार की माली हालत का भी ख्याल होता है; उस पर भी निर्भर रहता है पलंग की संख्या बढ़ाना।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या जनसंख्या को देखते हुए ये सुविधाएं पर्याप्त हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री जुझारसिंह ।

हथियारों के लाइसेन्स का हस्तान्तरण

५४. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Minister for Home be pleased to state :--

1. Does the Government recognise this convention that an arms licence will normally be transferred to the nearest relative of deceased licence holder on an application by him and on holding an upright character ?

2. What should be the normal time within which an application should either be accepted or rejected by the Government ?

3. Is it a fact that a licence for a 12 Bore gun in the name of Shri Jarav Chand Mahajan of Ramganj Mandi in District Kota has been requested to be transferred in the name of his son Shri Chauth Mal since 1957 and no action has been taken by the Government so far ? The character of Shri Chauth Mal being verified good by all responsible local authorities ?

4. Would the Government set

(श्री जुझारसिंह चेचट)

a time limit to settle such clear cases in future ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) 1. Yes.

2. The normal time as per instructions issued by the Government is as follows :—

(i) Urban area-Two months

(ii) Rural area-Three months.

3. Yes-licence has since been issued prior to the receipt of the question.

4. The Government have already issued instructions on the subject as stated at item No. 2 above.

श्री दलपतसिंह (आबू) : Why there is a difference between rural and urban area ?

श्री भीमसिंह : वह इसलिये कि दरख्वास्त पेश करने में टाइम लग जाता है।

तावान व स्टाम्प ड्यूटी की वसूली

५५. श्री रामकिशन (वैर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) दफ्तर एस० डी० ओ० नीम का थाना व तहसील नीम का थाना में किन किन दस्तावेजात पर रेवेन्यू स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन की फीस की कमी के कारण इन्सपेक्टर स्टाम्प ड्यूटी ने तावान व स्टाम्प ड्यूटी वसूल करने का आदेश सन् १९५२ से लेकर १९६० तक दिया है ?

(२) यह बकाया कुल कितनी है और किन किन के विरुद्ध है ?

(३) बकाया वसूली के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं की ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल): (१) सब-रजिस्ट्रार, नीम का थाना के दफ्तर में जिन दस्तावेजात में इन्सपेक्टर रजिस्ट्रेशन स्टाम्प, जयपुर ने रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी की कमी १९५२ से १९६० तक की निकाली है। इसकी सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) कुल बकाया ६,४५३) है जिसमें स्टाम्प ड्यूटी की रकम २,२२१) और रजिस्ट्रेशन फीस के ४,२३२) की रकम है। जिन पार्टियों के खिलाफ यह रकम बाकी निकाली गई है उनके नाम की सूची "ब" में दर्ज है।

(३) वसूली की कार्यवाही चालू है। यह वसूली रजिस्ट्रेशन एण्ड स्टाम्प ड्यूटी रूल्स, ५५ के रूल्स ५६ से ७१ के तहत की जा रही है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : जिस रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी ने कम ड्यूटी चार्ज की उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह कार्यवाही हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें कुछ देरी हुई है और जो इसका सिलसिला और तरीका है वह बड़ा लम्बा-चौड़ा है और जब से आपका प्रश्न आया है इस पर कार्य-वाही हो रही है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : प्रश्न केवल इतना था कि जिन पार्टियों से रकम कम ली गई रजिस्ट्रेशन की उनसे तो वसूली की कार्यवाही आप कर रहे हैं, पर जिन सम्बन्धित अधिकारियों ने इस तरह से कम वसूली की है उनके खिलाफ भी कोई कदम उठाने का सरकार विचार रखती है क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : जरूर।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : जो ड्यूटी कम लगी है उसको सरकार अब वसूल कर सकती है, क्या इस पोइन्ट को भी सरकार ने एग्जामिन करवा लिया है ?

श्री बालकृष्ण कौल : जी हां।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सरकारी व्यय में कमी

५६ ए. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सरकार ने खर्चा कम करने के वास्ते कौन कौन से उपाय अब तक काम में लिये हैं ? निकट भविष्य में कौन कौन से खर्च कम करने का विचार सरकार के विचाराधीन है ?

वित्त मन्त्री (श्री बालकृष्ण कौल): सरकार ने खर्च कम करने के जो उपाय अब तक किये व उनसे खर्च में जो कमी की जा सकी उसकी एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इसके अलावा कमी के बारे में सुझाव देने के लिये एक कमेटी मुख्य सचिव के सभापतित्व में काम कर रही है। उसके सुझावों पर विचार करके अब तक लगभग १५ लाख की बचत के सुझाव मंजूर किये जा चुके हैं व अन्य सुझावों पर गौर किया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मुख्य मन्त्री की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी और क्या सुझाव दिये हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह तो आप १६६३-६४ की बात में आ गये। डेट तो मेरे पास इस समय नहीं है; पर मैं समझता हूं, महीना डेढ़ महीना हुआ यह कैबिनेट में मसला आया है और एप्रूव हुआ है; इसलिये एक-डेढ़ महीने का टाइम हुआ समझना चाहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इस इकोनोमी कमेटी ने जनता से भी इस तरह के सुझाव मांगे हैं क्या कि इस राज्य के प्रशासन में फिजूलखर्ची हो रही है उसमें कहां कहां कितने की कितनी कमी की जा सकती है ?

श्री बालकृष्ण कौल : जी नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या अब सरकार इसके स्कोप को वाइडन करने का विचार करेगी और इस बात का भी विचार करेगी कि यह कमेटी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

ऑफिसर के द्वारा प्रिसाइड नहीं की जानी चाहिए और इसका चेयरमैन कोई कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिये क्योंकि जो भी सुझाव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीशियल्स से आवेंगे घिसे-पिटे होंगे और उनके दिमाग रट (rut) में पड़े रहते हैं; नये तरीके निकालने में वे बिल्कुल नाकामयाब रहते हैं इसलिये क्या सरकार विचार करने को तैयार है कि कैबिनेट मिनिस्टर कोई चेयरमैन हो, और एम. एल. ए. से अथवा जनता और पंचायत समिति और जिला परिषद् में से भी सुझाव इसमें मांगे जावें कि फिजूलखर्ची सरकार किस किस तरीके से कम कर सकती है।

श्री बालकृष्ण कौल : यह एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है और जो उनके सुझाव होते है कैबिनेट में आते हैं और वहां सब मन्त्री मौजूद रहते हैं। वे अपने अपने डिपार्टमेन्ट्स को देखते हैं कि उनकी तकलीफें जो बताई गई हैं वे ठीक हैं या नहीं। इसलिये इन सुझावों को सारी केबिनेट एप्रूव करती है इसलिये मिनिस्टर कोई इसका चेयरमैन हो, यह जो आपका सुझाव है इसकी मंशा पूरी हो जाती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ऐसा लगता है, आप पर भी रंग चढ़ गया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जो प्रशासनिक खर्चे में कमी की गई उसमें कर्मचारियों को रिट्रेन्च करके भी कोई कमी की गई है क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : १५ लाख की बचत हुई है उसमें कोई रिट्रेन्चमेन्ट से कमी की गई, यह पूछते है आप ?

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां।

श्री बालकृष्ण कौल : कोई आदमी रिट्रेन्च नहीं किया गया। यहां सब आदमी एब्जोर्ब हो जाते हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या यह उपयुक्त नहीं समझते कि कमी करने के लिये कैबिनेट में भी कमी की जा सकती है; क्या यह राय वित्तमन्त्रीजी की नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गोविन्दसहाय।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह उचित नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री बालकृष्ण कौल : वित्त मन्त्री इस प्रश्न पर इतना ही जवाब दे सकता है कि अगर यह अधिकार उसको हो कि सदन में कितने मेम्बर रहें और कितनी तनख्वाह दी जा सकती है तो यह भी समझ सकते हैं आप कि केबिनेट में कितने मन्त्री रहें, कितने नहीं रहें; यह वह कर सकता है।

श्री विजयसिंह झाला : हम सदन की तरफ से आपको यह अधिकार देते हैं कि आप सदन के मेम्बरों की संख्या और वेतन जितना कम करना चाहें कर सकते हैं। आप हटा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : Order please ! Order !!

Page No 19

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने हटाने का नहीं कहा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अभी माननीय वित्त मन्त्रीजी ने जो यह कहा कि यदि उनके अधिकार में हो कि हाउस के कितने मेम्बर रहें, कितने न रहें तो शायद वे इसमें कटौती करके भी बचत कर सकते हैं ।

हाउस के मेम्बरों की संख्या जो है वह संविधान के तहत नियमों से नियत होती है और उन नियमों के तहत एक उच्च इलेक्शन कमीशन वर्क करता है और इसमें जनता के कितने प्रतिनिधि हों, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन नियमों के अन्तर्गत वहां की कितनी जनसंख्या पर कितने अनुपात से वह संख्या हो । तो इसलिये इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि शासन में फिजूलखर्ची कम हो इस मुद्दे को इस बात से लिंक करना कि इस सदन की संख्या कोई १७६ के बजाय अस्सी या सो या १२५ या १२० हो जाय, हवा में उठाने वाली बात है, इस महत्वपूर्ण मुद्दे की मजाक बनाना है, उसको मिनिमाइज करना है । मैं समझता हूं, यह सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है । इसलिये माननीय वित्त मन्त्रीजी को इस सदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध कोई बात नहीं कहनी चाहिये, सदन के सदस्यों को कम करने की बात नहीं कहनी चाहिये, बल्कि वे इसके बजाय यह कह सकते हैं कि उनकी तनख्वाह २५०) रु० के स्थान पर १००) रु० कर दी जावेगी या की जाय, तो फिजूलखर्ची इससे भी कम हो सकती है । पर जो रिप्रेजेन्टेशन जनता को संविधान में दिया गया है उसके बारे में इस तरह कहना उस पर एस्पर्शन कास्ट करना है और इस सदन पर एस्पर्शन कास्ट करना है ।

श्री विजयसिंह झाला : ये शब्द उनको वापिस लेने चाहिये, वित्त मन्त्रीजी को ।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य ने मेरी बात को समझा ही नहीं । मैंने तो यह कहा था कि जिस तरह से वित्त मन्त्री को मेम्बरों को कम करने का कोई अधिकार नहीं है, उसी तरह से वित्तमन्त्री को कैबिनेट के मेम्बरों को भी कम करने का कोई अधिकार नहीं है । माननीय सदस्य समझने की कोशिश करें । जिस भाषा में जो कहा जाता है उसको उसी तरह से समझने की आप कोशिश करें ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह जो जवाब आता है, जो आप जवाब देते हैं यह कोई आपका निजी जवाब नहीं है, वित्तमंत्री की हैसियत से जवाब होता है और यह जवाब सरकार की तरफ से होता है; इसलिये यह कहना कि मैं कॉम्पीटेन्ट नहीं हूं कि मिनिस्टर की संख्या कम कर दूं, यह कोई जवाब नहीं है सरकार की तरफ से । वित्तमन्त्री का जवाब, मिनिस्टर का जवाब राजस्थान सरकार का जवाब है । इसलिये वे किसी मामले को इन्डिविजुअली न लें ।

यदि फिजूलखर्ची के प्रश्न पर कटौती का सवाल आता है तो यह नहीं कहा जाना चाहिये कि हाउस के सदस्यों को कम कर दीजिये और फिर बार बार यह कहना कि मेम्बर समझे नहीं हैं, यह भी उचित नहीं है । मैं कहूंगा कि शायद वे भी पूरी तरह से नहीं समझे हैं मेरी बात को । एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर इस कमेटी का चेयरमैन है और वह अपने सुझाव कैबिनेट में देता है तो उनका यह मानना है कि इससे मिनिस्टर चेयरमैन भी न रहे तो अन्तर नहीं पड़ता, सुझाव सब

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कैबिनेट में आते ही हैं, पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि सुझाव उनके दिमाग में पैदा ही नहीं होंगे, कमेटी में दिमाग ही नहीं है कि कोई नये सुझावों को वह पैदा कर सके तो केबिनेट में कैसे आ जावेंगे और यह बहुत गलत परम्परा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में — फिजूलखर्ची को कम करने के लिये उस कमेटी का चेयरमैन एक चीफ सेक्रेटरी को बनाया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

फर्राशों के पेन्शन के मामले

५७ ए. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि सवाई माधोपुर जिले के करौली सब–डिवीजन के कुछ फर्राशों के जो सन् १९५४ व १९५५ में रिटायर किये गये थे अभी तक पेन्शन केस तय नहीं हो पाये हैं ? यदि हां, तो कितनों के और अब कब तक तय कर लिये जायेंगे ? इसमें हुई देरी का क्या कारण है ?

(२) क्या यह सही है कि इनके पेन्शन के कागजात एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर पी० डब्लू० डी० (बी० एण्ड आर०) टोंक के कार्यालय में पेंडिंग पड़े हुए हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) यह सही नहीं है।

(२) जी नहीं।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : क्या इस तरह के मामले चल ही नहीं रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : जिन मामलों का आपने पूछा है नहीं चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी।

मारोठ में नल–योजना

५८ श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि नावां तहसील का सबसे बड़ा गांव मारोठ है, जहां हायर सैकन्डरी स्कूल व टेलीफोन आदि की सुविधा है ?

(२) क्या यह सही है कि पानी गहरा होने से स्थानीय जनता को पीने के पानी की पूरी तकलीफ है ?

(३) क्या यह भी सही है कि स्थानीय ग्राम पंचायत व समिति ने इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित काफी अर्से से किया है ?

(४) क्या सरकार इस गांव में नल योजना चालू करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

(३) जी नहीं, अभी हाल में सरपंच ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है।

(श्री दौलतराम सारण)

(४) योजना बनाने के लिए सर्वे आदि करने का आदेश दे दिया गया है। योजना बन जाने पर विचार किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

बोरड़ियों से आमदनी

५९ ए. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जैतारण से बर जाने वाली सड़क के दोनों ओर नीमाज ग्राम से बर के बीच सड़क की सीम में खड़ी बोरडियों वाली जमीन का इन्द्राज रेवेन्यू रेकॉर्ड में जागीर पुनर्ग्रहण के पहिले क्या था? उसके रेकॉर्ड की प्रति सदन की मेज पर रक्खें।

(२) उक्त सीमा में खड़ी बोरडियों से सरकार को पुनर्ग्रहण की साल से लेकर सन् १९६२ तक सालवार क्या आमदनी हुई? अगर आमदनी नहीं हुई, तो क्यों?

(३) यदि आमदनी नहीं हुई तो सरकार को उक्त भूमि का लगान सालाना कितना मिला व कब कब वसूल हुआ? राजस्व अधिकारियों ने कब कब कितने कितने रुपयों की डिमाण्ड बनाई? अगर नहीं बनाई, तो क्यों?

(४) अगर उक्त जमीन की डिमाण्ड तहसील अधिकारी ने नहीं बनाई तो क्या लेण्ड रेवेन्यू अधिनियम की अवहेलना नहीं की गई?

(५) क्या यह सही है कि तहसील जैतारण में उक्त बोरडियों व जमीन बाबत कागजात भी बने लेकिन सम्बन्धित अधिकारियों ने उन कागजों पर कोई माकूल आदेश नहीं दिये? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अगले टाइम पर दिया जायेगा। मेरे पास आया नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत : यह उत्तर की कापी तो मिल गयी है, मंत्री महोदय जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र मैं : सेटिस्फाइड नहीं हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): Point of Order, Sir, उत्तर की कॉपी मिल गयी और मंत्री महोदय कहते हैं कि उत्तर नहीं आया है, यह गलत चीज है।

श्री अध्यक्ष : वह तो ड्राफ्ट आन्सर है। मंत्री महोदय और ज्यादा जानकारी करना चाहते हैं तो उनको समय दिया जाना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो फिर वे यह कहें कि जानकारी और प्राप्त करनी है, झूंठ क्यों बोलते हैं?

श्री अध्यक्ष : झूंठ बोलने की बात नहीं है। आप तो बात कहां की कहां ले जाते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): तो फिर उस तरह का जवाब देते। झूंठ क्यों बोलते हैं कि जवाब आया नहीं है। जवाब माननीय सदस्य को मिल गया है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि झूंठ शब्द का इतना हल्के तरीके से इस्तेमाल न करें। मंत्री महोदय ने कहा कि उत्तर नहीं आया है तो वह उसके लिए कहा कि उत्तर देने की स्थिति में है। उसमें लास्ट मिनट तक भी चेन्जेज होते रहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : वह तो कहते हैं कि उत्तर आया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : हां, आया नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : इस सदन में उत्तर आने के पहले मंत्री महोदय पहले अपने ऑफिस में उस उत्तर को देख लेते ताकि उसमें जो भी चेन्जेज करना चाहें वे कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा सुझाव हो तो वह माना जा सकता है, लेकिन झूंठ के लिए बात की जाये मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि उस तरह से बात न की जाये।

श्री मुरलीधर व्यास : बात तो कही ही जायेगी।

श्री अध्यक्ष : आप फिर उसी तरह से कह रहे हैं।

प्रश्न संख्या ६० ए.

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (अनुपस्थित)

श्री उमरावसिंह डाबरिया।

मेडिकल कालेज में प्रवेश

६१ ए. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या मेडीकल कॉलेज में भर्ती करने के लिए कोई नियम बने हुए हैं ?

(२) अगर हां, तो वे नियम क्या हैं ?

(३) क्या प्रथम वर्ष टी० डी० सी० पास को मेडीकल कॉलेज में भर्ती किया जाता है ?

(४) क्या यह सही है कि इस वर्ष बीकानेर मेडीकल कॉलेज में से सैकण्ड इयर टी० डी० सी० पास वालों को भर्ती नहीं किया गया है ?

(५) अगर हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां।

(२) प्रमुख निम्नलिखित है-

१. छात्र राजस्थान का निवासी हो जैसा कि प्रोस्पेक्टस के नियम २ के अन्तर्गत स्पष्टीकरण (२) में दिया है।

२. प्रवेश प्राप्ति के समय उसकी आयु पूर्ण १७ वर्ष की होनी चाहिए।

३. छात्र की योग्यतायें निम्न होनी चाहिए—

प्रथम वर्ष टी० डी० सी० हो,

विषय रसायनिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र व जीव विज्ञान,

Page No 23

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

या

इन्टर साइन्स उपरोक्त विषय में

या

बी. एस सी. उपरोक्त विषय में।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) यूनीवर्सिटी राजस्थान के नियमानुसार प्रथम वर्ष टी० डी० सी० के अंकों के आधार पर बी. एस सी. अथवा इसके समकक्ष बायोलोजी ग्रुप परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश पा सकते हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : इस साल जो विद्यार्थियों को एडमिशन दिया गया है उनका इन्टरव्यू जयपुर में क्यों लिया गया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : क्या यह भी जानकारी है कि इन सब नियमों में आने वाले विद्यार्थियों को भी एडमिशन नहीं मिला है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : तो आप जानकारी करें। ऐसी रिपोर्ट आई है कि जो विद्यार्थी मेरिट्स में आये उनको भी एडमिशन नहीं मिला है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यदि ऐसा कोई उदाहरण पेश करेंगी तो जरूरी इन्क्वायरी की जायेगी और उस पर एक्शन लिया जायेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या यह सही है कि गये साल जब कि बीकानेर के अन्दर मेडीकल कॉलेज में एडमिशन हो रहे थे तो उस समय बनेड़ा से एक लड़का सेकण्ड ईयर टी० डी० सी० पास किया हुआ था और उसके ५८ परसेन्ट मार्क्स थे, उसको नहीं लिया गया। जब कि जगह खाली थी और उसको यह कहा गया कि तुम टी० डी० सी० सैकण्ड ईयर पास हो, इसलिए तुमको नहीं लिया जा सकता।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ऐसा है कि जो एडमिशन्स होते हैं वे फर्स्ट ईयर टी. डी. सी. के मार्क्स के आधार पर होते हैं, सैकण्ड ईयर टी० डी० सी० के मार्क्स के आधार पर नहीं होते।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जब कि हायर क्लास में अच्छे नम्बर आ सकते हैं तो नहीं लिया जा सकता है, यह कौन सा नियम है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : रूल्स के अनुसार सैकण्ड ईयर टी० डी० सी० को मान्यता नहीं दी गयी है। थर्ड ईयर टी० डी० सी० को दी गयी है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने कहा कि फर्स्ट ईयर टी० डी० सी० वाले को मान्यता दी गयी है, तो फिर सैकण्ड ईयर वाले को क्यों नहीं ले सकते ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : फर्स्ट ईयर टी० डी० सी० के बाद सैकण्ड ईयर करता है कोई तो वह नहीं आ सकता है।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : यह किस आधार पर फैसला कर रखा है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ये नियम बनाये गए हैं। नियमों के अन्तर्गत है।

श्री अध्यक्ष : इस तरह के नियम बनाने के क्या आधार हैं? क्या सैकण्ड ईयर टी० डी० सी० का इम्तिहान नहीं होता या क्या दिक्कत है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सैकण्ड ईयर का इम्तिहान तो होता है, लेकिन थर्ड ईयर टी० डी० सी०, बी० एस सी० के बराबर होती है और यह फर्स्ट ईयर इन्टरमीजिएट के बराबर होता है और यह सैकण्ड ईयर का बीच का होता है इसलिए इसको मान्यता नहीं दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : अगर फर्स्ट ईयर टी० डी० सी० को मान सकते हैं तो सैकण्ड ईयर टी० डी० सी० को नहीं मानने का क्या कारण है ? सदन इस बारे में सन्तोष चाहेगा।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : बी० एस सी० थर्ड ईयर टी० डी० सी० के बराबर होती है और सैकण्ड ईयर का बीच का इम्तिहान होता है, इसलिए उसको मान्यता प्राप्त नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, तीनों ही इम्तिहान फर्स्ट-ईयर टी० डी० सी०, सैकण्ड ईयर टी० डी० सी० और थर्ड ईयर टी० डी० सी० यूनीवर्सिटी के होते हैं और इनको पास करने के बाद में बी० एस सी० या बी० ए० की डिग्री मिलती है।

श्री अध्यक्ष : आपकी शंका समझ गये। मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : पहले हमारे यहां टी० डी० सी. नहीं थी। तब मेडीकल कॉलेज के अन्दर इन्टर साइन्स पास होते थे, उनके नम्बरों से दाखिला दिया जाता था। फिर उसके बाद में बी० एस सी० की डिग्री मिलती थी। उसको पास किये हुए को भरती किया जाता था। लेकिन बी. एस सी. प्रीवियस वालों को एडमिशन नहीं दिया जाता था। इसलिए या तो पूरा इन्टर हो या फिर पूरा बी० एस सी० हो। इसलिए या तो जो इन्टर साइन्स में मार्क्स आते थे उनको आधार माना जाता था या फिर बी० एस सी० के मार्क्स को आधार मानकर दाखिला किया जाता था। बी० एस सी० को टी०डी०सी० के थर्ड ईयर के बराबर माना है और फर्स्ट ईयर टी० डी० सी० वाले को इन्टर के बराबर। तो सैकिण्ड ईयर वाला पुराने हिसाब से इसमें नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यह हुआ कि हायर सैकेन्डरी का सिस्टम बदला उसके अनुसार नियम नहीं बदले ?

श्री मथुरादास माथुर : उसके हिसाब से यह कर दिया गया कि इन्टर फर्स्ट ईयर टी०डी०सी० के बराबर और थर्ड ईयर टी० डी०सी०, बी० एस सी० के बराबर माना गया है। जो पुराने रूल्स थे उसके अनुसार माना जाता है।

श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया : अभी एक सर्कुलर राजस्थान का है............

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या सरकार उस पर पुनः विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष : इक्वीवेलेन्ट पर न जायें। यह कर दें कि अमुक अमुक डिग्री क्लास की हैं, उसको करें। उसमें सैकण्ड ईयर भी आ सकता है, आपत्ति क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर : यूनिवर्सिटी ने हमारी सर्विसेज़ में भी इन्टर फर्स्ट ईयर टी० डी० सी० के बराबर माना है और बी० एस सी० थर्ड ईयर टी०डी०सी० के बराबर माना है। सैकिण्ड ईयर वाले न तो इन्टर हैं और न बी०एस सी० ही हैं।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : Order ! Order please !!

(घंटी)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर के मुताबिक वे खुद ही इस बात को मानते हैं कि पुराने इन्टरमीजियेट साइन्स पास करने वाले को एडमिशन मिल जाय। वे यह बात मानकर चलते हैं। फर्स्ट ईयर टी० डी० सी० को मान लें कि इन्टरमीजियेट के बराबर मानते हैं और बी० एस सी० पास करने वाले को डिग्री की वजह से ज्यादा प्रिफरेन्स मिल जाता है और उसको एडमिशन दे सकते हैं और फर्स्ट ईयर टी० डी० सी० को एडमिशन दे सकते हैं तो सैकण्ड ईयर टी० डी० सी० पास करने वाला तो अपने आप ज्यादा है....

श्री मथुरादास माथुर : एडमिशन मना नहीं है। सैकण्ड ईयर वाले को भी एडमिशन मिलेगा, लेकिन एडमिशन के लिए फर्स्ट ईयर के मार्क्स आंके जाएंगे, कम्पेरेटिवली टू अदर्स।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न तो यह है, अध्यक्ष महोदय, कि यदि किसी को डिग्री एवार्ड की जाती है तो वह तीन साल के मार्क्स के ऊपर एवार्ड की जाती है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्पष्ट हो गया है। शंका हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शंका है।

श्री अध्यक्ष : बहस बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। जो बात थी वह माननीय सदस्य ने रख दी। प्रश्न यह है कि सरकार उसको किस हद तक स्वीकार करने को तैयार है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह कॉमन सेन्स का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कॉमनसेन्स से नहीं किया है। टैक्नीकल तरीके से किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : टैक्नीकल तरीके से है....

श्री अध्यक्ष : Order please ! क्वेश्चन अवर को इस तरह से बहस में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। माननीय सदस्य चाहें तो इसके बारे में डिस्कशन रेज़ कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : On a point of order, Sir, सरकारी पक्ष ने जो जवाब दिया है फर्स्ट ईयर टी० डी० सी० का, वह मैं समझता हूं बिल्कुल ठीक नहीं है; तो क्या सरकार इसके लिए फिर विचार करेगी कि जो फर्स्ट ईयर टी० डी० सी० करके सैकन्ड ईयर टी० डी० सी० में जाता है साइन्स या जनरल नोलेज के, तो उसकी

(एक माननीय सदस्य)

नोलेज बढ़ती है, लेकिन जो जवाब दिया गया है वह अनुचित है; तो क्या सरकार फिर विचार करने का सोचती है ?

श्री अध्यक्ष : ये सारी बातें आ चुकी हैं आप जो बता रहे हैं।

(विराम)

श्री लक्ष्मण पटेल।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, यह युनिवर्सिटी की फेकल्टी है और उन्होंने तय किया है ?

श्री अध्यक्ष : लेकिन सदन जानना चाहेगा कि सरकार की राय क्या है।

श्री लक्ष्मण पटेल।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सैकण्ड ईयर में जाने के बाद सरकार के वकील योग्यता कम हो जाती है, क्योंकि योग्यता का मापदण्ड नहीं है, डिग्री का मापदण्ड है ?

श्री अध्यक्ष : Order please ! Shri Laxman Patel.

सिकराय तहसील को बिजली

६२ ए. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या दौसा बांदीकुई विद्युत् लाइन के बीच में पड़ने वाली सिकराय तहसील को बिजली देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब व किस किस ग्राम को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह भी सही है कि इस तहसील की जनता व पंचायत समिति ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्रार्थना-पत्र भी दिया है ? यदि हां, तो सरकार का इस तहसील को बिजली देने का कब तक विचार है ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री भीमसिंह) : (१) इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है।

(२) जी हां, अभी तक इन्वेस्टीगेशन चल रहा है।

जालोर जिले में शराब की दूकानें

६३ए. श्री रघुनाथ विश्नोई (साँचोर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि जिला जालोर में शराब की दूकानों का रेवेन्यू सन् १९६१-६२ के मुकाबले में सन् १९६२-६३ में कम हुआ है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(२) रानीवाड़ा, भीनमाल, सांचोर व जालोर की दूकानों की पिछले साल की क्या क्या रेवेन्यू थी और इस साल रेवेन्यू क्या है ? इन दोनों सालों की रेवेन्यू के अन्तर के क्या क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह सच है कि जिला जालोर की शराब की दूकानों में ठेकेदारों द्वारा अब भी मिश्रण किया जाता है ? अगर हां, तो इसके रोकने के लिए सरकार क्या क्या प्रयत्न करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) जी नहीं। बल्कि जिले की कुल आमदनी

Page No 27

(श्री बालकृष्ण कौल)

ज्यादा हुई है। ६१-६२ में ५,७२,४६७.४० थी और ६२-६३ में ६,७१,१२५.२० हो गई।

(२) चारों जगहों की ६१-६२ व ६२-६३ की आमदनी के आंकड़े ये हैं :

	६१–६२	६२–६३
रानीवाड़ा	३७,६०४	२७,३६१.३१
भीनमाल	६१,१८४.७०	७५,२१३.५३
सांचोर	४३,६०७.३१	४७,१६५.०७
जालोर	७४,३८५.४६	८७,६८७.६२

सिर्फ रानीवाड़ा की आमदनी कम हुई है। इसकी वजह यह है कि वहां की दूकान सितम्बर, १६६२ के महीने में बन्द रही क्यों कि पहले लाइसेन्सदार ने इस्तीफा दे दिया था और दुबारा कमीशन पर दी गई है।

(३) जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत सरकार के नोटिस में नहीं आई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रानीवाड़ा दूकान, कमीशन पर क्यों दी गई जब कि ठेकेदार जो कि आपने बताया वह लेने को तैयार था, तो क्यों कमीशन पर दी गई ? इसका क्या कारण था ? ए. सी. की मरजी से दी थी क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : जो गारन्टी निश्चित की थी उस गारन्टी पर लेने को तैयार नहीं था। अगर वह अब भी तैयार है तो विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह।

गाय चराने वालों पर गोली

६४ ए० श्री अमरसिंह (दूदू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि थानेदार दूदू ने नवम्बर १६६० में कुछ गाय चराने वालो पर गोली चलाई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : जी हां, किन्तु घटना २७ अक्टूबर १६६० को हुई है, न कि नवम्बर, १६६० की। इस सम्बन्ध में मैजिस्टीरियल जांच कराई गई जिससे पुलिस का गोली चलाना उचित पाया गया।

श्री अमरसिंह : क्या गाय चराना जुर्म है कि पुलिस को गोली चलाना पड़े।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

उनियारा अस्पताल

६५ ए. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : Will the Minister for Medical & Health be pleased to state :-

1. Is it a fact that Hospital building at Uniara District, Tonk has not been repaired since last so many years ? If yes, why ?

2 Is it a fact that still there is dispute regarding its ownership and hence the repairs are not being done ?

Page No 28

(श्री दिग्विजयसिंह)

3. Is it a fact that previously there were two compounders kept in that Hospital but now there is only one and the rush of patients is quite heavy? Will the Government, consider the proposal of sending another compounder?

4. Is it a fact that there is no lady nurse in the said Hospital and hence the female population of the town is handicapped and there have been many casualties? If yes, will the Government provide one?

5. Is it a fact that this hospital has been degraded as 'C' class? If so, when there is no other hospital in the radius of 24 miles, is the Government thinking of up-grading? If so, when?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : No. This is not a fact. Uniara dispensary building was repaired by PWD in 1959-60. It was again repaired in 1961-62 departmentally. This building has been taken on the maintenance list of Government buildings.

2. Question does not arise.

3. According to the Rationalised pattern only one post of Compounder should be provided in the Uniara dispnesary, but looking to the rush of patients the C. M. O. has been asked to post one more compounder at this dispensary.

4. There is a post of Nurse provided for the dispensary but due to acute shortage of trained technical personnel one trained Dai is working there at present. The C. M.O. Tonk, has been asked to post a Nurse Dai in this dispensary.

5. There was never a hospital at Uniara. Since the time of Thikana there was a non-beded dispensary and it is continuing. Thus the question of degrading this hospital as 'C' class does not arise. However beds will be provided when funds are available.

प्रश्न संख्या ६६ ए.

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनराज ।

फालना स्टोर पर चाइल्ड वेलफेयर सेन्टर

६७ ए० श्री मोहनराज (बाली) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने करीब दो वर्ष पूर्व एक दानदाता द्वारा भवन भेंट करने पर फालना स्टेशन पर चाइल्ड वेलफेयर एण्ड मेटरनिटी सेन्टर खोलने की स्वीकृति दी थी और आज तक उक्त सेन्टर नहीं खोला गया है ?

Page No 29

(श्री मोहनराज)

(२) अब इस सेन्टर के खुलने की कब तक सम्भावना है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां।

(२) मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र के खोलने के लिए जो भवन दानदाता द्वारा भेंट किया गया था वह मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र के नक्शे के मुताबिक न होने के कारण चीफ इन्जीनियर, निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर का नक्शा तैयार करने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं. २७० ।पी। ७६३ दिनांक १४-३-६४ द्वारा लिखा गया है। नक्शा प्राप्त होने पर दानदाता द्वारा भवन तैयार किये जाने के पश्चात् मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलने की कार्यवाही की जावेगी।

श्री मोहनराज : क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि वहां जो भवन निर्माण किया गया है उसका निरीक्षण जिले के स्वास्थ्य अधिकारी ने कर दिया है और पास किया था और चाभी भी अपने कब्जे में ले ली थी।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मेरी सूचना के अनुसार यह अभी नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल सारस्वत।

रतनगढ़ में गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था

६८ ए० श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि रतनगढ़ में गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था बिलकुल अनुपयुक्त है जिससे सड़कों के किनारे पानी सड़ता रहता है ?

(२) क्या यह सही है कि नगर के दक्षिणी भाग व रेलवे स्टेशन के आस-पास के पानी का निकास किसी भी तरफ संभव नहीं है ?

(३) क्या सरकार ड्रेनेज की पूरी योजना हाथ में लेकर जमींदोज नालियों से गन्दे पानी को नगर से बाहर पहुँचाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है या नगरपालिका को पर्याप्त अनुदान या ऋण देकर इस काम को शीघ्र करने की व्यवस्था करने का ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) गन्दे पानी के निकास की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

(२) जी हां।

(३) नगरपालिका से योजना प्राप्त होने पर साधनानुसार विचार किया जा सकेगा।

श्री मोहनलाल सारस्वत : योजना कई दफा भेजी जा चुकी है, कब विचार किया जायगा ?

श्री दौलतराम सारण : जो स्थिति है वह मैं अपने उत्तर में निवेदन कर चुका हूं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इस तरह के कचरे-कादे के कारण जनता को बहुत बड़ी तकलीफ है और ऐसी महत्वपूर्ण योजना पर जल्दी से जल्दी क्यों नहीं विचार किया जाता है ?

Page No 30

श्री अध्यक्ष : श्री भानुप्रसाद ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : साहब, मेरे प्रश्न का उत्तर तो आया ही नहीं ।

थानों और पुलिस चौकियों की स्थापना

६६ ए. भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चौमू विधान सभाई क्षेत्र में कुल कितने थाने व पुलिस चौकियां हैं ?

(२) पुलिस चौकियां व थाने किस किस आधार पर खोले जाते है ?

(३) क्या सरकार खेजडोली, कालाडेरा सामोद व बड़ा उदयपुरिया में पुलिस चौकियां स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) चौमू विधान सभाई क्षेत्र में दो पुलिस थाने एवं एक चौकी है ।

(२) क्षेत्र के विस्तार, आबादी एवं अपराध संख्या को विशेष कर ध्यान में रख कर थाने या चौकियां कायम की जाती हैं ।

(३) सामोद में पुलिस चौकी हाल ही में खोली जा चुकी है, अतः अन्य तीन स्थानों पर पुलिस चौकियां खोले जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

प्रश्न संख्या ७० ए.

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ।

(अनुपस्थित)

जालोर नगरपालिका को ऋण अनुदान

७१ ए. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

(१) जालौर नगरपालिका को सरकार द्वारा पिछले पांच वर्ष में कितनी कितनी धन राशि ऋण अथवा अनुदान के रूप में किस किस कार्य के लिए और कब कब दी गई ? कृपया संबंधित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या सरकार की तरफ से दी जाने वाली धनराशि का उपयोग उसी काम के लिये किया गया जिसके लिये कि उसे दी गई थी ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या इस प्रकार की अनियमितताओं पर ऑडिट ने एतराज उठाया है ।

(४) यदि हां, तो इस प्रकार से पाई गई अनियमितताओं के कारण संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है, इसलिये अगली दफा उत्तर दूंगा ।

नागोर जिला अस्पताल में भरती हुए मरीज

७२ ए. श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) नागौर जिला अस्पताल में १६६२,

(श्रीमती गौरी पूनिया)

मार्च से जून, १९६३ तक इन्डोर पेशेन्ट्स कितने भर्ती हुए ? केवल नम्बर देने का कष्ट करें ।

(ख) इनमें से कितने ठीक हुए तथा कितनों की मृत्यु हुई तथा कितने जोधपुर व बीकानेर अस्पतालों में भेजे गए ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (क) नागौर जिला अस्पताल में १९६२, मार्च से जून १९६३ तक कुल १३९८ इन्डोर पेशेन्ट भरती हुए है ।

(ख) इनमें से ११६० रोगी ठीक हुए तथा ३१ रोगियों की मृत्यु हुई, शेष २०७ रोगी चिकित्सा सलाह के विरुद्ध अस्पताल छोड़ कर चले गए । इनमें से कितने जोधपुर व बीकानेर अस्पतालों में गए, उसका रिकार्ड में कोई उल्लेख नहीं है ।

श्रीमती गौरी पूनिया : कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनके रोग का इलाज नहीं होने के कारण ट्रान्सफर किये जाते हैं, क्या ऐसे रोगियों का होस्पिटल में रेकॉर्ड नहीं रखा जाता ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो अस्पताल से ट्रान्सफर किये जाते हैं उनका रेकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन जो अस्पताल की सलाह के विरुद्ध चले जाते हैं उनका रेकॉर्ड नहीं रखा जाता ।

श्रीमती गौरी पूनिया : मैं उनका पूछ रही हूं ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ऐसा नहीं है ।

श्रीमती गौरी पूनिया : मैं बताती हूं, अभी चौमू की लड़की को इस अवस्था में ट्रान्सफर किया और उनकी डेथ हो गई ? क्या यह आपके नोटिस में नहीं है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आप नोटिस में लाई हैं, इसकी जानकारी की जायगी । लेकिन जो जानकारी आपको दी गई है वह जून, १९६३ तक की है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : जो लोग अस्पताल छोड़ कर दूसरे अस्पताल में चले गये हैं क्या इसका कारण यह नहीं है कि वहां की व्यवस्था खराब है और मरीजों को अच्छी तरह से नहीं देखा जाता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिंह ।

श्री गंगासिंह (जायल) : जितनी मृत्यु हुई हैं उनमें से ऑपरेशन के कारण कितनी हुई हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री गंगासिंह ।

प्राइमरी हेल्थ सेन्टर हिन्डोली

७३ए. श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डौली): क्या स्वास्थ्य मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि हिन्डोली पंचायत समिति के अन्तर्गत प्राइमरी हैल्थ सेन्टर काम कर रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि इस सेन्टर के डॉक्टर का तबादला करीब ५ माह पूर्व हो चुका है और अभी तक डाक्टर की कोई

Page No 32

(श्री गंगासिंह परिहार)

व्यवस्था नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में अधिकतर फौजी परिवार रहते हैं एवं उनके परिवार की इलाज सम्बन्धी कोई व्यवस्था नहीं है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां, हिन्डोली पंचायत समिति के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र १-६-५८ से कार्य कर रहा है।

(२) जी हां, हिन्डौली प्रायमिक स्वास्थ्य केन्द्र से डाक्टर का तबादला किया गया था और उसकी जगह पर एक दूसरा डाक्टर दिनांक २-८-६३ को लगा दिया गया है।

(३) इस क्षेत्र के अमर गांव में फौजी परिवार रहते हैं जिनकी मेडिकल केयर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डॉक्टर द्वारा ही की जाती है।

श्री गंगासिंह परिहार : अब तक १९ तारीख तक तो वहां पहुँचा नहीं डॉक्टर।

८ महीने बीते गये है, वहां कोई डॉक्टर नहीं है। अर्ज करने का मतलब यह है कि वहां पर हजारों सोल्जर्स मौजूद हैं सारे एरिया में। आप यह देखिये कि ५-६ महीनों में न तो वहां पर कोई देख-भाल कर रहा है बल्कि वहां पर एक गाड़ी थी वह भी कोटा चली गई। वहां यहां तक हुआ है कि एक सूबेदार का बच्चा वहां पर गया और बगैर इलाज के मर गया। उसको बूंदी लाया गया और वहां उसके प्राण निकल गये। वह सूबेदार नेफा से आया था। उस सूबेदार और उसकी पत्नि की हालत देखी नहीं गई।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : वहां पर डॉक्टर भेज दिया गया है, इस तरह की शिकायत नहीं होगी।

संसार ट्रान्सपोर्ट की बसें

७४ ए. श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि संसार ट्रान्सपोर्ट को सूरतगढ़, अनोपगढ़ रूट पर बस का परमिट मिला हुआ है ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सही है कि यह बस इस रूट पर नहीं चल रही। यदि हां, तो क्यों व सरकार ने इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

(३) आज तक संसार ट्रान्सपोर्ट की इस बस से सरकार को कितना पैसेन्जर टेक्स प्राप्त हुआ ? अलग अलग महीनेवार सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां।

(२) जी हां। कंपनी बस नहीं चला रही हैं। शो कॉज नोटिस दिया जा चुका है और मामला आर० टी० ए० की अगली मीटिंग में विचारार्थ रखा जायेगा।

(३) संसार ट्रान्सपोर्ट कंपनी ने इस बस का पैसेन्जर टैक्स आज तक इस प्रकार दिया है :—

Page No 33

(श्री भीमसिंह)

१. मई १९५९	१५३.६८ न.पै.
२. अगस्त ५९	१७.५२ न.पै.
३. सितम्बर ५९	१७.०७ न.पै.
४. अक्टूबर ५९	१५.२१ न.पै.
५. नवम्बर ५९	६.४१ न.पै
६. अक्टूबर ६०	६६.८० न.पै.
७. नवम्बर ६०	६६.५६ न.पै.

श्री श्योपतसिंह : जब यह गाड़ी इस रूट पर चल नहीं रही है तो इसे कैंसिल क्यों नहीं किया जाता ?

श्री भीमसिंह : शो कॉज नोटिस इसीलिये तो दिया गया है।

श्री श्योपतसिंह : यह शो कॉज नोटिस कब दिया गया ? तारीख बताने की कृपा करें।

श्री भीमसिंह : तारीख इस समय मेरे पास नहीं है, बाद में बता सकता हूं।

मंत्रियों के बंगलों पर व्यय

७५ ए. श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या १९६२-६३ और १९६३-६४ में अब तक किन्हीं मंत्रियों के बंगलों में नई मरम्मत या बढ़ोतरी (एडीशन्स-आल्टरेशन्स) की गई हैं।

(२) यदि हां, तो किस किस के बंगले में ?

(३) इस मरम्मत और बढ़ोत्तरी (एडीशन्स-आल्टरेशन्स) में अलग अलग बंगलों पर कितना कितना रुपया खर्च हुआ है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): (१) जी हां।

(२) निम्नलिखित बंगलो में नई मरम्मत व बढ़ोत्तरी की गई : बंगलो नं० ८, बंगलो नं० ११, बंगलो नं० १४, बंगलो नं० ४८, बंगलो नं० ५०, बंगलो नं० ३८०, बंगलो नं० ३८३, बंगलो नं० ५१।

एक माननीय सदस्य : बंगला नं० ८ किसका है, यह बताते जाइये ताकि दुबारा कष्ट न करना पड़े।

श्री हरिश्चन्द्र : बंगलो नं० ८ चीफ मिनिस्टर साहब का है। सन् ६२-६३ में उस पर ३२,२८०.८७ नये पैसे खर्च हुए और ६३-६४ में ११४०.६१ न.पै. खर्च हुए।

बंगलो नं० ११, फाइनेन्स मिनिस्टर साहब : ६२-६३ में १५,०४१.८१ न.पै. और ६३-६४ में निल।

बंगलो नं० १४, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब : ६२-६३ में १३०५.१२ न.पै. और ६३-६४ में १०४३.८८ न.पै.।

बंगलो नं० ४८, श्री परसरामजी मदेरणा, उप-मंत्री : ६२-६३ में ६५१.०६ न. पै. और ६३-६४ में २२२.६६ न.पै.

बंगलो नं. ५०, श्री हरिभाऊजी उपाध्याय : ६२-६३ में २६६६.६५ न.पै. और ६३-६४ में ४९.०३ न.पै.।

श्री रामानंद अग्रवाल : ४९ हजार ?

श्री हरिश्चन्द्र : ४९ रुपये ३ नये पैसे।

बँगलो नं० ३८० श्रीमती कमला बेनीवाल : ६२-६३ में ५९८.७२ न.पै. और ६३-६४ में निल।

बँगलो नं० ३८३ डांगीजी, उप-मंत्री : ६२-६३ में २१६.७२ न.पै. ६३-६४ में निल।

बँगलो नं० ५१ श्री भीखाभाईजी : ६२-६३ में १५,९६९ रु० ६३-६४ में ८८८.८ न.पै.।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इतना खर्च करके मंदिर बनाया था क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि जो मंत्री बँगलो सरकार का नहीं लेते हैं उनको २५० रु० हाउस रेन्ट के दिये जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : उनको अधिकार है बँगलो लें, न लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इसलिये कहता हूं कि हाउस रेन्ट के उनको २५०) रु. दिये जाते हैं तो क्या यह उचित नहीं है कि उन बँगलोज की रेन्टल वेल्यू कराकर २५० रु. से ऊपर का रेन्ट उनसे वसूल किया जाय ?

श्री अध्यक्ष : आप तथ्य के बारे में पूछ सकते हैं।

श्री रामानंद अग्रवाल : क्या यह सही है कि सरकार ने इकोनोमी की तहत यह निर्णय लिया था कि बिल्डिंग एक्सपेन्डिचर बंद किया जाय ? उसकी तहत स्कूलें भी कई जगह बंद करदी गईं, कई जगह अस्पताल के बिल्डिंग रोक दिये गये; उसके बावजूद भी चीफ मिनिस्टर, फाइनेन्स मिनिस्टर और इरिगेशन मिनिस्टर के बंगलों पर ३८ हजार और १६-१६ हजार रुपये रिपेयर्स में खर्च किये गये ? क्या यह सरकार जो इकोनोमी की बात कहती है, उस नीति के विरुद्ध नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : यह आॅर्डर होने के बाद कोई खर्चा नहीं किया गया ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : ३८ हजार रुपये सी० एम० के बँगलो पर खर्च किये गये, उससे क्या बिल्डिंग बनाई और ऐसी आराम की कौनसी चीज ईजाद की गई ?

श्री रामनंद अग्रवाल : क्या यह सही नहीं है कि जिन दिनों हमारे देश में एमर्जेन्सी डिक्लेयर हुई उन्हीं दिनों चीफ मिनिस्टर साहब और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के घरों पर चेजा चल रहा था और मरम्मत हो रही थी ? यह मरम्मत कौनसे महीने में हुई ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक तरफ एमर्जेन्सी और दूसरी तरफ हजारों रुपये रिपेयर्स के लिये !

श्री अध्यक्ष : आपको इन सारे मुद्दों पर बोलने का बहुत मौका मिलेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह मरम्मत पर खर्चा हुआ है या एडीशन पर ?

श्री अध्यक्ष : एडीशन्स एन्ड आल्टरेशन्स के हैड में खर्चा हुआ है। उनके आंकड़े बताये गये हैं।

Page No 35

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, एग्रर कन्डीशन और एयर कूलर लगाये हैं ?

श्री अध्यक्ष : जैसा मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया ··· ····

(व्यवधान)

Order Please ! जैसा मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया, यह बहस का समय नहीं है।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : एक सवाल और पूछना है।

श्री अध्यक्ष : और माननीय सदस्यों को सारी बातें कहने का मौका दो दिन ढाई दिन पूरा मिलेगा, उसका पूरा उपयोग करें।

श्री मुरलीधर व्यास।

श्री श्योपतसिंह : इनके घर पहले कैसे थे, यह इनसे पूछें ?

श्री अध्यक्ष : Order Please ! Next.

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : यह वसूल कर लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

राज्य सरकार द्वारा कर्ज के रूप में ली गई धनराशि

७६ ए. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) भूतपूर्व राज्यों के विलीनीकरण पर राज्य सरकार के पास सन् ४९ में कुल कितनी धनराशि कोष में थी ? किस किस रियासत से कितनी कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

(२) विलीनीकरण के बाद आज तक कितनी धनराशि सरकार ने कर्ज के रूप में कहां कहां से ली ?

(३) आज तक कर्ज में ली गई धनराशि पर कुल कितना ब्याज सरकार को प्रति वर्ष देना पड़ता है ?

(४) सरकार के पास अपनी कितनी पूंजी (जायदाद) है तथा उससे सरकार को प्रतिवर्ष कितनी आमदनी होती है तथा उसका प्रति वर्ष ब्याज क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) से (४) इन सवालों के जवाब में एक फहरिस्त सदन की मेज पर रख दी गई है जिसमें चाहे गये आंकड़े तफसीलवार दिये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

श्री मुरलीधर व्यास : नम्बर २ में विलीनीकरण के बाद की जो कर्ज की राशि बताई गई है २०१ करोड़ की और १९६२-६३ के बजट के अन्दर जो प्रस्तुत राशि थी उससे अधिक होने का कारण क्या है ? १९६२-६३ के बजट में....

श्री बालकृष्ण कौल : १९६२-६३ में बजट राशि थी ७२१, लेकिन उसके अन्दर....

श्री मुरलीधर व्यास : जो कर्ज अपने ऊपर, राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर है, उसकी राशि १९६३-६४ के बजट में रखी गई थी उसमें और इस राशि में फर्क होने का क्या कारण है ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह चार मदों में हुई, ३१ मार्च, १९६३ तक कर्ज के रूप

(श्री बालकृष्ण कौल)

में ली गई रकम २०१.५० करोड़ है, जो नीचे लिखे मुताबिक है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट का लोन है, शोर्ट टर्म लोन है, लाइफ इन्श्योरेन्स का है और परमानेन्ट लोन, स्टेट डेवलपमेंट लोन है; यह मिलाकर २०१.५० करोड़ है । आपका क्या कहना है ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह कहना है कि यह २०१.५० करोड़ है और १९६३-६४ के बजट में जो कर्ज राज्य सरकार के ऊपर बताया गया था, उसकी राशि १३५ करोड़ थी; यह इतना फर्क होने का क्या कारण है ?

श्री बालकृष्ण कौल : १३५ करोड़ आपने किस आंकड़े से लिये ?

श्री मुरलीधर व्यास : आपने बजट में आंकड़े रखे थे वे सही है ?

श्री अध्यक्ष : आप आंकड़े अच्छी तरह से देख लें और फिर किसी बात पर बहस करनी हो तो बाद में की जा सकती है । प्रश्न का मतलब है कि कुछ तथ्य, आंकड़े माननीय सदस्यों के सामने आ जायं जिनका उपयोग वे बहस में या और किसी तरह करना चाहते हों तो उसके और तरीके हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : चौथे प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है । पूछा इसमें गया है कि राज्य सरकार की कुल जो जायदाद और पूंजी है उस पर सरकार को कितना व्याज देना पड़ता है, जो रकम कर्ज के रूप में है और उसके साथ साथ उनके पास व्याज इनका आता है वह १ करोड़ ७५ लाख बताया गया है । वह बहुत ज्यादा बताया गया है । तो सरकार इसको किस प्रकार एडजस्ट करेगी आगे के दृष्टिकोण से ?

श्री बालकृष्ण कौल : एडजस्टमेंट किस चीज का ?

श्री मुरलीधर व्यास : सात करोड़ व्याज के रूप में राज्य सरकार को देना पड़ता है और असेट्स के इन्ट्रेस्ट के रूप में १ करोड़ ४५ लाख रुपया आता है तो चार करोड़ का घाटा रहता है ?

श्री बालकृष्ण कौल : वह रेवेन्यू से करते हैं, रेवेन्यू अकाउन्ट से करते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : किन्तु जायदाद जितनी है उसके ऊपर जो व्याज देते हैं, आपको अपनी पूंजी से व्याज देना पड़ता है और अपना पैसा जितना भी है उससे जो रकम आती है व्याज के रूप में वह कम हो जाती है जैसा कि अंत में जवाब में कहा है कि कम होता है, उसकी पूर्ति किस प्रकार करेंगे ?

श्री बालकृष्ण कौल : रेवेन्यू अकाउन्ट से करते हैं तभी तो टैक्स लगाते हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : गत बजट अधिवेशन के बाद में राज्य सरकार ने भारत सरकार से कितना कर्ज लिया है ?

श्री बालकृष्ण कौल : बजट अधिवेशन के बाद ? मेरे पास इस वक्त आंकड़े नहीं हैं ।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : लिया तो है ना ?

श्री मुरलीधर व्यास : लिया है तभी तो बढ़ा है ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

बोन्ड की रजिस्ट्रेशन फीस

७७ए. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि एक आदेश द्वारा १००) रुपयों से ऊपर की धनराशि तकावी में दी जाने पर अचल सम्पत्ति बंधक बोण्ड के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि इस रजिस्ट्रेशन का खर्च काश्तकार को देना पड़ता है जो ५००) रु० पर रजिस्ट्रेशन फी, एण्डोर्समेन्ट फी और नकल फी मिला कर ८.७५ बैठते हैं और जो किसान के लिये भारी और महंगा पड़ता है ?

(३) क्या सरकार स्टाम्प फी की भांति रजिस्ट्रेशन फी भी माफ करने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) जी नहीं।

(२) सवाल पैदा ही नहीं होता। अगर ऐसा कोई केस सरकार के नोटिस में आ जाय तो उस पर जांच की जायगी।

(३) सवाल पैदा ही नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह भाला।

चेचक की रोकथाम

७८ए. श्री विजयसिंह भाला (नाथद्वारा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में सन् ६२ की जनवरी से लेकर अब तक चेचक की बीमारी से कुल कितने व्यक्ति एवं बच्चों की मृत्यु हुई ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) सरकार ने इस बीमारी को रोकने की क्या कोशिश की ?

(३) इतने कितने व्यक्ति हैं जो चेचक का टीका लगाने पर भी इस बीमारी से ग्रस्त हुए हैं ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) राजस्थान में सन् ६२ से लेकर अब तक चेचक की बीमारी से कुल १४३५ व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिसमें अधिकांश करीबन ८० प्रतिशत बच्चे थे। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सरकार ने इस बीमारी को रोकने के लिए १९६२ में समस्त जिला अधिकारियों को आदेश दिये कि वे अपने क्षेत्र में सामूहिक टीका अभियान द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगवाने का कार्य शीघ्र करें। समस्त विकास अधिकारीगण, जिलाधीश, हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सब अधिकारियों को पहले ही चेतावनी दी गई कि उनके क्षेत्र में माता की बीमारी होने की सूचना शीघ्र दे दी जाय अपने निकटतम स्वास्थ्य अधिकारी को ताकि रोकथाम का प्रबन्ध किया जा सके। चेचक उन्मूलन योजना के अन्तर्गत एक पाइलट

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

प्रोजेक्ट जयपुर में अप्रैल १९६० से शुरू किया गया। जयपुर के अतिरिक्त १९६२ के अलवर, सीकर और झुंझुनू के जिलों में भी कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त राजस्थान के राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन योजना के अन्तर्गत ७ ईकाइयों द्वारा निम्न जिलों में चेचक उन्मूलन अभियान तारीख ७-१-६३ से जारी किया गया--१. गंगानगर, २. बीकानेर, ३. चुरू, ४. जयपुर ५, भरतपुर, ६. अजमेर, ७. कोटा। जुलाई, सन् १९६३ से तीन अन्य इकाइयों--नागोर, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिलों में संगति की गई है।

(३) ये आंकड़े समस्त जिलों से एकत्रित किये जा रहे हैं। चेचक का टीका केवल ३ वर्ष तक आवश्यक रूप से चेचक से बचाता है। जिन व्यक्तियों को ३ वर्ष के बाद दुबारा टीका न लगा हो उनमें चेचक अवरोधक शक्ति न रहने के कारण चेचक की बीमारी हो जाती है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

श्री विजयसिंह झाला : इस बीमारी से जो व्यक्ति या बच्चे मरे, क्या उनका रजिस्टर सरकार की तरफ से मेन्टेन किया जाता है या पंचायतों की तरफ से मेन्टेन किया जाता है?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : ये आंकड़े तो गलत हैं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह सूचना मेरे पास नहीं कि किस विभाग के पास किया जाता है। मेरे पास आंकड़े आये हैं वे विभाग के द्वारा आये हैं।

श्री विजयसिंह झाला : ये आंकड़े किस विभाग द्वारा आये और किस आधार पर?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मेरे विभाग द्वारा आये हैं।

श्री विजयसिंह झाला : क्या आपका विभाग किसी प्रकार का रजिस्टर मेन्टेन करता है जिसमें, जो डेथ होती हैं, उनको दर्ज कर लेते हैं?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सब जगह रखे जाते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आपने कहा कि तीन साल तक असर रहता है। जिस साल टीका लगाया उसी साल माता निकल जाती है, इसका क्या कारण है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसका कारण आपकी सेवा में निवेदन करती हूं। माता के टीके लगाये जाते हैं उससे पहले माता के कीटाणु शरीर के अन्दर आ जायं--वैसे चौदह दिन के अन्दर सात दिन का पीरियड होता है जब कीटाणु जोर पकड़ लेते हैं। उसके बाद टीका लगाते हैं तो वे कारगर नहीं होते हैं। उससे पहले लगाते हैं वे कारगर होते हैं। टीका लगाने के पहले कीटाणु शरीर में प्रवेश कर चुके हों तो निश्चित रूप से माता निकलेगी, लेकिन कम निकलेगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : दवाईयों में खराबी है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : दवाइयों में खराबी नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : जो सूची जिलेवार दी है उसमें जयपुर और भीलवाड़ा में

Page No 39

(श्री विजयसिंह झाला)

सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है। जयपुर में औसत ६० है जब कि जयपुर इकाई में पाइलट प्रोजेक्ट काम कर रहा है। यह माना जाता है कि इससे ज्यादा किसी जिले में है नहीं, सबसे ज्यादा मृत्यु यहां हुई है। तो क्या जो चेचक उन्मूलन की योजना है वह गलत है और उस पर ऐसे ही पैसा खर्च किया जा रहा है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : योजना गलत नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : जिलों के अन्दर तो सबसे ज्यादा

श्री अध्यक्ष : Crder please ! Next Question

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह चेचक....................

श्री अध्यक्ष : Order please ! Next Question

Shri Ram Kishan.

गैर सरकारी बसों के परमिट

७९ए. श्री रामकिशन (वैर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में विभिन्न मार्गों पर गैर सरकारी बसें चलाने के कुल कितने परमिट सन् १९५० से मार्च १९६३ तक जारी किये गये है ?

(२) परमिट पाने वालों की कुल संख्या क्या है ?

(३) ऐसे हरिजन, मुसलमान तथा आदिबासी परमिट होल्डरों की संख्या क्या है जिन्हें राज्य में किसी स्थान पर बसें चलाने का परमिट दिया गया है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१)

जयपुर	जोधपुर	उदयपुर	कोटा	बीकानेर	कुल
२२९३	८८९	६०४	२२६	५५१	४,५९९
२२९३	६१५	४५३	११८	४६१	३,९७०

(३) इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते और न प्रार्थना-पत्रों में ही ऐसा कोई विवरण रखने की व्यवस्था है अतः आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : प्रश्न यह है कि क्या सरकार ऐसी नीति बनाने का विचार रखती है कि आदिवासी, हरिजन, शूद्र और महिलायें, जो कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उन लोगों को आर्थिक संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक सरकारी संरक्षण दिया जाय और ये लाइसेन्स, परमिट और और तरीके की चीजें दें। क्या सरकार इस तरह की योजना पर विचार करने के लिए तैयार है ?

श्री भीमसिंह : आर. टी. ए. के हाथ में हैं। वह सारी बातों पर विचार करके देता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि जिनको परमिट दिये गये हैं उसमें से ८० प्रतिशत संख्या कांग्रेस के सक्रिय सदस्यों की है ?

श्री भीमसिंह : नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या किसी को नेशनलाइज्ड रूट्स पर भी इस प्रकार के स्पेशल परमिट दिये जाते हैं ?

श्री भीमसिंह : नहीं दिये जाते।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर दिये गये हों और दिये जाते हों तो ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार जयपुर) : भीलवाड़ा में इस प्रकार के परमिट दिये गये है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो इससे संबन्धित प्रश्न नहीं है। आप तो नेशनलाइज्ड रूट्स पर आ गये। नैक्स्ट।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि एक व्यक्ति को परमिट दिये जाते हैं और वह उन परमिटों को दूसरे व्यक्ति को बेच देता है और दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को बेच देता है। क्या इस तरह से भी परमिट लोगों को प्राप्त हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, एक आदमी के नाम परमिट इश्यू किये जाते हैं और वह अपने परमिट को दूसरे को बेच देता है और दूसरा तीसरे व्यक्ति को बेच देता है।

श्री अध्यक्ष : आप इस बात की शिकायत कीजिये कि किसने इस प्रकार के परमिट बेचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।

मींडा नदी पर पुल का निर्माण

८० ए. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि नावां से सांभर जाने वाली सड़क के बीच ग्राम अखेपुरा व नानणा के पास होती हुई मींडा नदी में २–३ माह तक आवागमन बिल्कुल बन्द हो जाने से यात्रियों को कठिनाई होती है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इस नदी पर कोई पुल बनवाने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां। अधिक वर्षा होने पर।

(२) जी हां।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। वित मंत्री जी।

(३.५३ म. प.)

सदन की मेज पर रखी गई अधिसूचनाएं

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय में राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, १९५४ की धारा २९ के अन्तर्गत वित्त (रेवेन्यु एण्ड इकोनोमिक एफेयर्स) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :—

(१) अधिसूचना संख्या एफ ५ (४१) एफ० डी० । आर० टी० । ६३ दिनांक १३ जून, १९६३ तथा

(श्री बालकृष्ण कौल)

(२) अधिसूचना संख्या एफ ५ (४१) एफ० डी० । आर० टी० । ६३ दिनांक ९ जुलाई, १९६३

राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण के संशोधन की प्रति की प्रस्तुति सम्बन्धी औचित्य प्रश्न

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्युत् मंत्री द्वारा राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) १९६३-६४ से संबंधित शुद्धि-पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखने के लिए प्रस्तुत हुई है। मेरी इस संबन्ध में आपत्ति है और वह आपत्ति बहुत गंभीर है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस संबंध में डिफेन्स ऑफ इन्डिया एक्ट और इसमें जो रूल्स हैं उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसके आधीन इस प्रकार की कोई भी सूचना पब्लिश नहीं की जा सकती। इस संबन्ध में सरकार का मतभेद हो सकता है कि जिस समय ३ अप्रैल, १९६३ को राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण को सदन में प्रस्तुत किया गया था और उस समय बहुत सारे डोक्युमेन्ट्स और पेपर ले किये गये थे उस समय मैंने एक प्रार्थना-पत्र गवर्नमेंट के समक्ष प्रस्तुत किया था कि इस प्रकार की कार्यवाही है वह डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स के नियम ५२ है उसके सब क्लॉज में जो है बसका ब्रीच है। और मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय कि इन रूल्स के ब्रीच करने में मेरी यह मान्यता है कि इस सदन को भी सहयोगी बनाना होगा जब कि यह सदन में आ गया है। डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स के मुताबिक यह ब्रीच ऑफ रूल्स है। मैं आपका और सदन का ध्यान डिफेन्स ऑफ इण्डिया रूल्स के रूल ५२ की तरफ दिलाना चाहता हूं जो इस प्रकार से है :—

"52. Restrictions of publication of information relating to certain undertakings :-(1) This rule applies to any of the following undertakings carried on in India by any person or authority whatsoever (including Government) :-

(i) Undertakings for the supply of electricity,

(ii) Undertakings for the supply of water;

(iii) Inland water transport undertakings;

(iv) Port, harbour, dock or pier undertakings,

(v) Colliery and mining undertakings; and

(vi) Railways.

(2) No person shall publish, or cause or allow to be published in India the accounts or any copy thereof or extract thereon or any undertaking to which this rule applies, or any report or other document, or any copy thereof or

Page No 42

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

extract therefrom, relating to the operation of the undertaking which discloses any information contained in any such accounts or any statistical or other information relating to the progress of the undertaking;"

और फिर इसके अन्दर लिखा है :

"(6) If any person contravenes any of the provisions of this rule, he shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees"

और रूल कहता है :—

"154 Cognizance of contravention of the rules etc.-(1) No Court or Tribunal shall take cognizance of any alleged contravention of these Rules or of any order made thereunder except on a report in writing of the facts constituting such contravention, made by a police servant."

अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में शायद राजस्थान सरकार यह कहेगी कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो तीसरी धारा है उसके तहत यह आवश्यक है कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपना बजट राज्य सरकार के समक्ष पेश करे। उनको यह अधिकार है और उस अधिकार के अन्तर्गत उनको अपना बजट राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ में इस प्रकार का प्रोविजन है वह शायद उनके 16 and 63 of the Indian Electricity Supply Act में लिखा हुआ है। इसके अन्दर गृह मंत्री, जो कानून के मंत्री भी हैं, वे कानून के जानकार हैं और शायद उनको इस तथ्य पर जानकारी हो। मैं यह कहूंगा कि वे इस तरह का तर्क देने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को राज्य सरकार को फाइनेन्शियल एकाउन्ट्स और सारी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी आवश्यक है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि इस संबन्ध में डिफेन्स ऑफ इन्डिया एक्ट में धारा ४३ है उसको उन्होंने नहीं पढ़ा है। वह रूल इस प्रकार है :-

"43. Effect of Act, rules etc. inconsistent with other enactments.- The provisions of this Act or any rule made thereunder or any order made under any such rule shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this Act or any instrument having effect by virtue of any enactment other than this Act."

इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, सेक्शन ४३ जो है उसका over-riding इफेक्ट है और नेशनल एमर्जेन्सी में डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स का ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा। बाकी जितने भी कानून हैं उनका कोई ओवर राइडिंग इफेक्ट नहीं होता। इस पर कई प्रान्तों के मामले खड़े हुए तो वे मामले हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक गये। पटना की हाई कोर्ट ने इस संबन्ध में अपना फैसला दिया है। अगर चाहें तो आप उसको एग्जामिन कर सकते हैं।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर विद्युत् मंडल को राज्य सरकार के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सामने सारे डॉक्युमेन्ट ले डाउन करने की जो धारा है वह डिफेन्स ग्रॉफ इन्डिया रूल्स के ग्रन्तर्गत ग्रोवर राइड हो जाती है। जितने भी डॉक्युमेन्ट्स हैं उनका पब्लिकेशन नहीं हो सकता ग्रौर ग्रगर कोई भी व्यक्ति उन रूल्स का उल्लंघन करता है तो वह एक प्रकार का ग्रॉफेन्स है। डिफेन्स ग्रॉफ इन्डिया रूल्स के ग्रन्तर्गत राज्य सरकार जब लोगों को सीखचों में बन्द कर सकती है ग्रौर वही सरकार उन रूल्स का उल्लंघन करेगी तो मैं समझता हूं कि कि देश के सामने कोई ग्रच्छी नजीर नहीं रहेगी। इसलिये इन रूल्स का उल्लंघन सरकार को नही करना चाहिये।

एक बात माननीय गृह मंत्री से ग्रौर कहूंगा, बाद में मौका नहीं मिलेगा।

(४ म. प.)

वे शायद यह कहेंगे कि 'पर्सन' में गवनर्नमेंट नहीं ग्राएगी। 'पर्सन' का मतलब 'व्यक्ति,' 'ग्रादमी' से है; व्यक्ति ग्रॉफेन्स कर सकता है, गवर्नमेंट ग्रॉफेन्स नहीं कर सकती। जहां तक यह प्रश्न है, शायद हवाला देंगे जो सुप्रीम कोर्ट की ग्रॉथेारिटी हुई है; लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से सवाल के बारे में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने २१-१२-६२ को यह फैसला किया स्टेट ग्रॉफ बंगाल बर्सेज यूनियन ग्रॉफ इंडिया एक केस खड़ा हुग्रा; तो इस प्रकार का फैसला दिया कि पर्सन में गवर्नमेट भी ग्रा जाती है। गवर्नमेंट भी पर्सन में इन्क्लूडेड है, इस प्रकार के ग्रनेक उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन माननीय गृह मंत्री देखने की कोशिश करें, यह पैनल स्टेचूट है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के ऐनोलोजी का तर्क न दें। यह एक प्रकार का कन्ट्रोवर्शियल इश्यू है, इसको ग्रच्छी तरह से एग्जामिन करना चाहिए। उन्होंने जो एग्जामिन कराया है इस प्रश्न का उसमें यह एक्सप्लीसिट ग्रोपीनियन नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है, उसमें भी इस प्रकार की चीज है कि जब तक इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली इस प्रकार की चीज नहीं हुई तब तक नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं रिलवेंट पोर्शन सदन की जानकारी के लिए रखता हूं, सुप्रीम कोर्ट का :

"The Supreme Court, upholding the immunity of Government from the operation of certain statutes, particularly statutes creating offences, was of the view that the prosecution of the officer was in effect.........the prosecution of the Government andt he Government could not be prosecuted since there was nothing in the statute to indicate that the Government was bound by the statute either expressly or by necessary implication."

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक्सप्रेसली इसमें यह चीज है, इसलिए यहां पर पर्सन के इन्टरप्रिटेन का सवाल नहीं खड़ा होता। यह जो मन्शा डिफेन्स ग्रॉफ इंडिया की है, नहीं तो बेकार हो जाएगी, सारे प्रोविजन्स रिडन्डेंट हो जायेंगे; सारे मंत्री प्रोवीजन्स का वायोलेशन करेंगे। ग्राज इस प्रकार की सूचनाएं जनता में नहीं जानी चाहिए, वे कल ग्रखबार में छापेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस 'पर्सन' के ग्राधार पर इस प्रकार का वह एग्जेम्पशन लेने की कोशिश न करे। यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अभी अभी भी कन्ट्रोवर्शियल सवाल है, डिफरेन्स ऑफ ओपीनियन है इस संबंध में। वे अधिक जानकारी प्राप्त करें। इस सवाल को जब हाई लेवल पर एग्जामिन करवाएं तब तक इस प्रकार से भारत रक्षा कानून का उल्लंघन न हो। जो कुछ हो गया है उसके लिए किसी को क्या सजा देते हैं, मेरा कोई विशेष रूप से विद्युत् मंत्री को सजा दिलाने का कोई विचार नहीं है, १०००) रु० जुर्माना करवाने का नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि वे आगे कोई ऑफेन्स न करें, वे ज्यादा तकलीफों में न आयें। कोई राय उनके पास आये कि मंत्री रैस्पोन्सीबल है, सरकार रैस्पोन्सीबल नहीं है, उस हालत में माननीय विद्युत् मंत्री ऑक्वर्ड पोजीशन में आ जायं। इसलिए आवश्यक है कि वे इस पर पुर्नविचार करें और जो इस सदन में शुद्धिपत्र पेश करना चाहते हैं, जब तक यह कान्ट्रोवर्सी सेट असाइड नहीं हो जाय तब तक इसे पेश नहीं करना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उसके ३ पहलू हैं। सबसे पहली बात है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अकाउंट्स का विवरण सदन की मेज पर रखने की। बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के मातहत सरकार को रिपोर्ट पेश करता है और सरकार उसे इस सदन की मेज पर रखती है। प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या laying of the report on the Table of the House means publication. यह बहुत मुद्दे का प्रश्न है। सदन की मेज पर कोई रिपोर्ट किसी विभाग की या किसी कॉर्पोरेशन की सरकार का मंत्री रखे, कानून के मातहत तो यह पब्लिकेशन या पब्लिसिटी डिफेन्स ऑफ इंडिया रूल्स की धाराओं के मातहत समझा जायगा या नहीं। यह पहला प्रश्न है जो माननीय अध्यक्ष को इसका निर्णय देना है। सदन की मेज पर किसी चीज को रखना in itself is not publication. जब कि एक कानून हमारे पास है, जिसके मातहत इसको रखा जाता है और उस कानून बनाने के लिए भी इसके पीछे कई मुद्दे हैं, उसूल हैं, वे यह कि क्योंकि जो ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन है पब्लिक सेक्टर में, उनके अकाउन्ट्स, उनका विवरण माननीय सदस्यों के आगे इसके ऊपर चर्चा करने के लिए रखा जाता है।

दूसरे, चर्चा करने से उनका पब्लिकेशन हो सकता है, इसलिए रेकॉर्ड के लिए रखा जाय और जब एमर्जेन्सी खत्म हो, डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स विद्ड्राँ हों, तब उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। तो इसलिए प्रश्न यह पैदा होता है कि डिफेन्स ऑफ इंडिया रूल्स का जो मन्शा है वह यह है कि किसी चीज के पब्लिकेशन से हमारी विद्युत् पैदा करने वाली संस्थाओं के आंकड़े दुश्मन के हाथ में न जाने पायें, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स में इस चीज को रखा है कि उनका पब्लिकेशन नहीं होना चाहिए, यह उन रूल्स की मन्शा है। फिर अगर कोई उसके बाद में रख दे, पब्लिकेशन कर दे तो ५२ सेक्शन के मातहत उसकी सजा दी गई है।

ऐसा है कि जहां तक यह प्रश्न है कि उसको सदन की मेज पर रखा जाय या नहीं उसके लिए मेरी यह धारणा है और मैं नम्र निवेदन करूं कि सदन की मेज पर रिपोर्ट को रख देना ही इन इटसेल्फ उसका पब्लिकेशन नहीं है जब तक कि उस रिपोर्ट का पब्लिकेशन

(श्री मथुरादास माथुर)।

नहीं करवाया जाय या उस रिपोर्ट का डिस्कशन यदि अध्यक्ष महोदय चाहें तो इन कैमेरा करवा सकते हैं, गैलरीज और प्रेस को क्लीअर कर, तो भी उसका पब्लिकेशन नहीं समझा जायगा, क्योंकि यह बहुत जिम्मेदार सदन है। इसलिए माननीय अध्यक्ष आपको निर्णय करना होगा कि इस रिपोर्ट को यहां रखने के बाद में, उसका डिस्कशन एक सीक्रेट सेशन में करवाया जाय या नहीं या उस रिपोर्ट को रेकॉर्ड पर रखा जाय और उसका डिस्कशन कतई नहीं करवाया जाय जब तक कि डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स का सवाल है और एमर्जेन्सी है। मगर मैं नम्र निवेदन करूं कि जो कि हम लोगों पर, सरकार पर ऑब्लीगेटरी है किसी कानून के मातहत, उस रिपोर्ट को यहां सदन की मेज पर रखना, उसको नहीं रखना, इस सदन के प्रिविलेज का ब्रीच समझा जायगा।

अब सवाल है कि सरकार सदन के प्रिविलेज को ब्रीच करे या डिफेन्स ऑफ इन्डिया को ब्रीच करे, यह प्रश्न हो सकता है। मेरा निवेदन है कि डिफेन्स ऑफ इन्डिया को ब्रीच करने का सवाल तब पैदा होता है जब इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखा जाय, उसका पब्लिकेशन हो, यहां डिस्कशन हो, जिसमें प्रेस और गेलेरीज हों।

इसलिए मैं नम्र निवेदन करूंगा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह सरकार के लिए लीगल ऑब्लीगेशन है इस रिपोर्ट को यहां रखने का, उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रख दिया जाय। सिर्फ रख देने से ही उसका पब्लिकेशन नहीं होगा, उसकी वजह से डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स का उल्लंघन नहीं होगा।

पहले जो माननीय सदस्य ने कहा कि यह रिपोर्ट रख दी गई है, तो यह जो रिपोर्ट रख दी गई है उसके लिए अगर अध्यक्ष का यह निर्णय हुआ कि रिपोर्ट नहीं रखी जाय तो फिर उस रूलिंग के बाद में हमारा हाउस का प्रिविलेज ब्रीच नहीं होगा, हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो आपकी रूलिंग के बाद में जैसा आदेश हुआ वैसा किया जायगा।

जहां तक इस रिपोर्ट को यहां रखने का सवाल है और जो डिस्कशन हुआ है, जो पास्ट एक्शन्स हैं उनके बारे में माननीय सदस्य ने एक खत के जरिए मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहा था। उसके बाद में माननीय सदस्य की धारणा थी कि रिपोर्ट रख देना ही वे उसको पब्लिकेशन मानते हैं और मान लिया जाय पब्लिकेशन। यह इन्टरप्रिटेशन है उसका। मैंने उस सवाल को डिटेल में एग्जामिन करवाया है। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की लॉ मिनिस्टरी से एग्जामिन करवाया है और हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि रिपोर्ट को सदन की मेज पर रख देने से पब्लिकेशन नहीं होता और यदि पब्लिकेशन होता है तो सरकार का दफा ५२ डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स में प्रासीक्यूशन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें 'पर्सन' शब्द दिया हुआ है और गवर्नमेंट 'पर्सन' की तारीफ में नहीं आती। मैंने जो रिपोर्ट थी। उसको आपको बता दिया है, उसको पढ़कर आपने दिया। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गया है; बंगाल में हुआ। हमारे यहां माननीय सदस्य ने उठाया था

(श्री मथुरादास माथुर)

हमने इसको thoroughly एग्जामिन करवा लिया है और हमारी यह राय है कि रिपोर्ट रख दी जाय तो सरकार का कोई प्रोसीक्यूशन नहीं हो सकता, इसके सम्बन्ध में लॉ की डिटेल्ड ओपिनियन आई है वह आपको दे दी है। तो मेरी राय है कि सदन की मेज पर रख देना पब्लिकेशन नहीं और अगर पब्लिकेशन माना भी जाय तो गवर्नमेंट का डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स के रूल ५२ के माफिक गवर्नमेंट के खिलाफ कोई प्रोसीक्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि उसमें वर्ड 'पर्सन' दिया हुआ है और गवर्नमेंट 'पर्सन' में नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट में यह फाइनली तय हो चुका है।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना पब्लिकेशन नहीं होता है, फिर भी माननीय अध्यक्ष रूलिंग देंगे, उसके माफिक होगा ताकि फिर कोई प्रिविलिज का प्रश्न ही पैदा न हो सके।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a point of clarification, Sir, अभी गृह मंत्री जी ने कहा कि कोई ओफेन्स नहीं बनेगा जब तक कि पब्लिकेशन न हो। क्या उन्होंने ३ अप्रेल, १६६३ को डोक्युमेंट्स, प्रोपोजल्स, फीगर्स सदन में रखे, या सदस्यों को वितरित किये या समाचार-पत्रों को वितरित किये और उससे फर्दर पब्लिकेशन हुआ। मैंने लेटर में इस प्रश्न को उठाया था कि इस क्वेश्चन को एग्जामिन करवायें कि यह फर्दर पब्लिकेशन है या नहीं। इसमें कहीं नहीं है कि जो फर्दर पब्लिकेशन हुआ है वह ऑफेन्स है कि नहीं। ऑफेन्स है तो क्या कार्यवाही करने वाले हैं?

दूसरे, आपने कहा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्टरी ऑफ लॉ से एग्जामिन करवाया है वह राय कहती है कि : "Ratio decidendi of this would be that Government would not be a person unless expressed by necessary implication"

नेसेसरी इम्प्लिकेशन से हो सकता है। नेसेसरी इम्प्लिकेशन से हो सकता है; यह जो आपने लॉ मिनिस्टरी से एग्जामिन करवाया है तो इसमें 'पर्सन' वर्ड में कवर कर सकते हैं गवर्नमेंट को और इम्प्लिकेशन्स से भी हो सकता है। इस सम्बन्ध का जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि ऑफेन्स नहीं बनता। यह माननीय विद्युत् मंत्री जी के सोचने का प्रश्न है। हाउस सुप्रीम है, हाउस के प्रिविलेजेज को कर्टेल नहीं किया जाय। मैं तो विद्युत् मंत्री जी से निवेदन करूंगा। आप तो सब कुछ कर सकते हैं, एक्स एम. एल. एज. को भी उठाकर रख सकते हैं, फिर जो मंत्रि मण्डल की प्रतिद्वंद्विता चल रही है, उससे आप भी नहीं बचेंगे; Otherwise I also stand fot the privileges of the House.

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता ने और उसके पूर्व माननीय गृह मंत्री जी ने जो राय व्यक्त की है, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इस मसले पर माननीय गृह मंत्रीजी की राय से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। इस बात को तय करने के लिये कि यह पब्लिकेशन है या नहीं, इसमें जुरिसप्रुडेन्स का ही सवाल नहीं, पोलिटिकल थ्योरी बहुत कुछ इन्वोल्व्ड है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि यह

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सदन राजस्थान स्टेट के सारे अफेअर्स का पूर्ण रूप से मालिक है, पूर्ण रूप से मास्टर है। यह सरकार इस सदन की एजेन्सी है, एक्जीक्यूटिव बॉडी है। आप घबराइये नहीं, मैं 'सर्वेन्ट' वर्ड का यूज नहीं करूंगा कि आप चमक जायं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : You are servants of the public and since we represent the public, you are our servants.

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : We are your most obedient servants.

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसलिए मेरा निवेदन है कि इस रिपोर्ट को ऐसा माना जाय कि जो नीचे की एजेन्सी है वह अपने मालिक को पूर्ण रिपोर्ट देती है, वह किसी तरह पब्लिकेशन में नहीं आ सकता। इसको यदि प्रिविलेज में ले लेंगे तो जो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार सदन का है वह खत्म हो जायगा। यह बात सही है कि इस सदन में इलेक्ट्रिसिटी के बजट पर बहस की जाय और वे आंकड़े सदन में आयें, उनको अखबारों में प्रकाशित नहीं किया जा सकता। जो प्रकाशित करेगा उसके विरुद्ध डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स में कार्यवाही की जायगी। पर इस सदन की मेज पर रखना, बहस करना पब्लिकेशन नहीं है क्योंकि आज जो गवर्नमेंट है उसका कॉन्स्टीट्यूशन है, उसके अन्दर सदन की ऑथोरिटी सुप्रीम है, यह सदन मालिक है, सदन की मेज पर रखना, रिपोर्ट टू दी मास्टर्स है, वह पब्लिकेशन की तारीफ में नहीं आ सकता। इसलिये इस सदन में माननीय विद्युत् मंत्री रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं उन्हें इजाजत दी जानी चाहिये, उस पर बहस भी होनी चाहिये। मैं माननीय गृह मंत्रीजी के इस रुख से सहमत नहीं कि कैमेरा में डिस्कशन हो। अखबार वाले भी अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं। इसलिये इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखा जाय। It is a report to the masters.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कानून के इन्टरप्रिटेशन में 'प्रेजेन्टेशन' और 'पब्लिकेशन' शब्द अलग माने रखते हैं। 'प्रेजेन्टेशन' अलग चीज होती है। हमारे सामने दो बातें आती हैं, पर्टीक्यूलर आइटम पब्लिकेशन की तारीफ में आता है तो इन्फ्रिन्जमेंट ऑफ डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स होता है, लेकिन अगर उसको पब्लिकेशन की तारीफ से बचा सकते हैं या ऐसा कोई बचाव हो सकता है कि वह प्रेजेन्टेशन के रूप में रहे तो डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स का कोई इन्फ्रिन्जमेंट नहीं होगा। इसका निर्णय आपको देना है। इस निर्णय के लिये ही मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

जहां तक हाउस के प्रिविलेज का प्रश्न है, गवर्नमेंट की यह ड्यूटी है, गवर्नमेंट का यह फर्ज है कि हाउस के प्रिविलेजेज के आधार पर ही काम करे। साधारण आदमियों को जो राइट्स हैं जिनको वे कोर्ट ऑफ लॉ में एन्फोर्स करा सकते हैं उन्हीं को इस हाउस में प्रिविलेज के नाम पर दिया है। बल्कि जो कोर्ट ऑफ लॉ में एन्फोर्स करा सकता है उससे भी ज्यादा सिग्निफिकेन्स हाउस के प्रिविलेजेज का है। इन प्रिविलेजेज को प्रोटेक्ट

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

करने वाली सबसे बड़ी ग्रॉथोरिटी स्पीकर है, उस सबसे बड़ी ग्रॉथोरिटी के सामने मसला ग्राया है तो मेरा निवेदन है कि जहां तक इसके प्रेजेन्टेशन का प्रश्न है, it is a privilege of the House. ग्रगर यह प्रेजेन्ट नहीं होती है, हाउस के सामने नहीं ग्राती है तो यह हाउस के राइट्स का इन्फ्रिन्जमेंट होगा ग्रौर उसका प्रोटेक्शन करना स्पीकर का कर्तव्य होगा। हाउस के प्रिविलेज का प्रोटेक्शन होना चाहिये।

दूसरा मसला यह ग्राता है कि इस हाउस में डिस्कस करते हैं तो इस हाउस में दो तरह की बातें हैं। ग्राप पत्र प्रतिनिधियों को रोक नहीं सकते, उनको इजाजत दी है, वे ग्राते हैं। जनरल पब्लिक ग्राती है, स्पीचेज सुनने के लिए ग्राती है, उसको भी पर्मिशन दी है। यह भी ग्रापके हाथ की बात है। एक मेटर सेपरेट ग्रौर सीक्रेट, केमरा में डिस्कस किया ज ा सकता है। तो ऐसी बात हो सकती है तो उसको पब्लिकेशन की तारीफ में न लें, ऐसी ग्रॉथोरिटी मिल जायगी। ग्रगर वही चीज सिक्रेट केमरा मीटिंग के ग्रलावा एक्स्ट्रा ग्रादमी ग्राकर उसको सुन सकते हैं, जो उसका राइट है, सुन कर, ले जाकर दूसरों को कह देने का भी उसका ग्रधिकार है, ग्रापके पास कुछ नही है कि उसको रोक सकें तो वह पब्लिकेशन की तारीफ में ग्रा जावेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोरेस्पोन्डेन्स में, लैटर्स में वह चीज जा सकती है। मैं ग्रपना लैटर दूसरों को कन्वे कर दूं ग्रौर वह उसको पढ़ दे तो यह भी पब्लिकेशन की तारीफ में ग्राजायगा। तो यहां पर जो डिस्कशन हुग्रा है, मान लीजिये वह पत्र द्वारा या दूसरे व्यक्ति के जरिये से दूसरे की नोलेज में ग्राजायगा वह भी पब्लिकेशन की तारीफ में ग्रा जायगा।

तो मैं समझता हूं जहां तक पब्लिकेशन का प्रश्न है यह तो ग्राप एग्री करेंगे कि डिफेन्स ग्रॉफ इन्डिया रूल्स का इन्फ्रिन्जमेन्ट हो सकता है, लेकिन केवल प्रेजेन्टेशन हो हाउस में तो मेरी मान्यता के ग्रनुसार कोई इन्फ्रिन्जमेन्ट नहीं होता है ग्रौर हाउस का जो राइट है, उसको प्रोटेक्ट करने का ग्रापका राइट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत् मंत्री) : मैं जवाब देना चाहता हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप ग्राखिर में जवाब दे दीजिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : यह कानूनी ग्रौर दिलचस्पी का विषय है। ग्रहमियत ग्रपनी २ ग्रलग ग्रलग है। जहां तक प्रेजेन्टेशन का मतलब है, जैसा ग्रभी सुराणाजी ने बताया, एक सर्वेन्ट ग्रपने मास्टर के सामने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उस तरह से है। यह हाउस का प्रिविलेज है। यदि इस प्रिविलेज को हाउस से हटा दिया तो इसका मतलब यह होगा कि वारटाइम में यदि हिन्दुस्तान की सुरक्षा का प्रश्न पैदा हो तो यह हमारा ग्रटमोस्ट कर्तव्य होजाता है कि हिन्दुस्तान की एसेन्शियल सर्विसेज को ग्रच्छी तरह रख सकें, यदि उनमें खामियां हैं तो उनको दूर करें, यह सदन सार्वभौम है ग्रौर इस सदन के माननीय सदस्यों पर भी इसका दायित्व है, हम यह नही कर सकेंगे। तो ऐसे टाइम में खास तौर से संकट की घड़ी हमारे सामने ग्रा रही है, विशेष तौर से हमारा ज्यादा कर्तव्य हो जाता है, कि इस प्रकार की

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

एसेन्शियल सर्विसेज के बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगा कर उनकी कमियों को दूर करने के लिए अच्छे सुझाव सदन के अन्दर रख सकें ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सदन में भी कुछ एजेन्ट हो सकते हैं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक बात मेरे पीछे से जयपुर से आने वाले महानुभाव द्वारा कही जा रही है कि सदन के अन्दर भी कुछ एजेन्ट हो सकते हैं । मैं तो ऐसा नहीं मानता । यदि यह बात है कि चीन के एजेन्ट यहां सदन में भी है या चीनी भाषा के बोलने वाले यहां उपस्थित हो जायं तो पब्लिकेशन की बात तो पैदा ही नहीं होती । कॉम्युनिकेशन की बात पैदा होती है । कॉम्युनिकेट करने की बात हो सकती है, जो इन्फोर्मेशन आप ले (lay) करें उसको कॉम्युनिकेट कर दें for their master, इसके लिए डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स में प्रोविजन है और माननीय गृह मंत्रीजी अच्छी तरह इसको डील कर सकते हैं । इस प्रकार ब्लैक शीप्स को अच्छी तरह से सबक सिखाया जा सकता है और इस प्रकार की एजेन्सीज़ को हाउस से वाइप आउट करने का दायित्व माननीय गृह मंत्रीजी पर है ।

जहां तक डिस्कशन का सवाल है यह एक प्रिविलेज है । पब्लिकेशन की तारीफ में नहीं ले सकते । डिस्कशन करने का अधिकार हमारा है । डिस्कशन इसलिए नहीं करते कि हमें आनन्द आता हो, हमें इसका कोई शौक हो, किन्तु डिस्कशन इसलिए करते हैं कि हम बहुमूल्य सुझाव दे सकें और सरकार उनको अच्छी तरह से उपयोग में ला सके ।

इसके अलावा मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक इस हाउस में किसी रिपोर्ट का या एरेटा के प्रेजेन्टेशन का ताल्लुक है वह वैलिड है, हाउस की प्रिविलेज है । आप हमारे अधिकारों के कस्टोडियन हैं, आप हमारे प्रिविलेजेज की कस्टोडियन की हैसियत से रक्षा करेंगे । यहां 'पर्सन' का ताल्लुक है । मेरा नम्र निवेदन है कि गवर्नमेन्ट 'पर्सन' में इन्क्ल्यूड होती है । 'पर्सन' का मतलब इन्डिविजुअल नहीं हैं । 'पर्सन' का मतलब लीगल और ज्युरिडिकल 'पर्सन' से है । गवर्नमेन्ट लीगल और 'ज्युरिडिकल पर्सन' में आती है । कोई गवर्नमेन्ट अधिकारी जुर्म करता है तो उससे बच नहीं सकता । मैं याद दिलाऊं । कोई गवर्नमेन्ट का अधिकारी देश-द्रोह का काम करे, हाउस उसको बक्सेगा नहीं, जनसाधारण उसको बक्सेगा नहीं । गवर्नमेन्ट की साइड से, कोई उसका पुर्जा देश-द्रोह का काम करता है, गवर्नमेन्ट की मशीनरी कोई देशद्रोह का काम करेगी तो वह 'पर्सन' की तारीफ में नहीं आती है, इस प्रकार की लच्चर दलीलें देकर बक्सा नहीं जा सकता ।

तो इसको हाउस में प्रेजेन्ट करने दिया जाय और डिस्कशन करने दिया जाय । गेलेरीज़ खाली हो जायं और दुर्भाग्य से यदि हमारे बीच कोई ब्लैक शीप आकर बैठ गयी है, कोई चीनी एजेन्ट आकर बैठ गये है तो गृह मंत्रीजी का यह कार्य है, वे अपने विशेष आज्ञा द्वारा कन्सेन्ट्रेशन केम्पों में, बड़ी बड़ी जेलें हैं, हमारे यहां, आखिर उनको बनाया किसलिए गया है, इसीलिए तो, ऐसे द्रोहियों को वहां भेज दें और हमारी प्रिविलेज को गार्ड किया जाय ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का चान्स दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, एक बजट जो कि सब मेम्बर्स में डिस्ट्रिब्यूट हो चुका है, एरेटा पुट अप हुआ है, डी. आई. आर. का एक मुद्दा खड़ा हो गया है कि इस बजट की रिपोर्ट को डिस्कस किया जाय या नहीं। एक और हाउस की प्रिविलेजेज का सवाल है और उसी प्रिविलेज की दुहाई दी जा रही है और उस और कुछ काली भेड़ें उन प्रिविलेजेज को चरने के लिए आ रही हैं।

एक माननीय सदस्य : ये काली भेड़ें कौन हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): यह एक रिमार्क है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ये शब्द वापिस लें।

श्री अध्यक्ष : आपके मन्तव्य को दोहरा रहे हैं। बाद में कहेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : काली भेड़ें हों, सफेद भेड़ें हों या कश्मीर की घाटी में चरने वाली भेड़ें हों, अमेरिका से, आस्ट्रेलिया से आयी भेड़ें हों, वे हमारी प्रिविलेज को चरने आ रही हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आस्ट्रेलिया से तो दो आये है अभी। आपका मतलब उनसे है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अर्ज कर रहा था........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Does it refer to the Chief Minister and the Agriculture Minister who have returned from Australia ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बजट डिस्कस किया जाय और मेरा तो ख्याल यह है कि अखबारों में समाचार पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उल्लेख रात-दिन सामाचार-पत्रों में निकलते हैं। कितनी बिजली कहां सप्लाई की गई, किस प्रकार से रखते हैं, यह मोटिव होम मिनिस्टर साहब की ओर से नहीं होगा। उनकी बात तो छोड़ दीजिये। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ही ले लीजिये। बिजली के डिस्ट्रिब्यूशन, एक्स्टेन्शन के लिए रात-दिन डिस्कशन करते हैं, थर्मल स्टेशन या और स्टेशन फिक्स करते हैं, इसकी रात-दिन चर्चा करते हैं, रात-दिन चर्चा चलती रहती है। मेरा ख्याल है कि कॉम्युनिकेशन उनके पास है। उसके कॉम्युनिकेट करने के पहले ही अखबार में छप जायगी, उनको उसकी जरूरत नहीं होगी कि अमेरिका को समाचार भेजें, उससे पहले ही अमेरिका के लोग पढ़ लेंगे, अखबार वहां रेगुलरली पहुंचते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार के अन्दर या तो इलेक्ट्रिसिटी के सम्बन्ध में सारे समाचार आज से पहले ही होम मिनिस्टर साहब बन्द कर देते, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है कि बजट और एरेटा को डिस्कस न किया जाय। इससे पहले ऐसा कदम नहीं उठाया गया। यह बात रेज की गई उनके सामने जिनको प्रिविलेजेज हैं और बजट को डिस्कस करना चाहते हैं, खामियों पर गौर करना चाहते हैं। डिफेन्स के पोइन्ट को लेते हुए कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्टेन्ट एजेन्सी है। अध्यक्ष महोदय, यह आवश्यक है कि मेम्बर्स

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

गम्भीरता से डिस्कशन करें। मैं तो इसमें भी कोई एतराज नहीं समझता कि यह पब्लिश हो। यह सचेतता, जागरूकता बताती है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : देश-द्रोह इसी तरह से होता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : देश-द्रोह का पर्सनली आपको अच्छी तरह पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है और आप लोग उसके एक्सपर्ट हैं, मास्टर हैं।

तो अध्यक्ष महोदय, मेरी राय में यह ऐसी चीज नहीं जो बजट के डिस्कशन को रोका जा सके। मेरा ख्याल है कि बजट पर डिस्कशन होना चाहिये। यदि इस पर बहस की जाती है, हर माननीय सदस्य इस पर गम्भीरता से विचार कर सकते हैं, हर माननीय सदस्य अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत है ऑपोजीशन वाले केवल ऑपोजीशन के लिये यह करते हैं; लेकिन यह निश्चित बात है कि इस पर बहस हो सकती है, यह बजट सदन के समक्ष पेश कर सकते है। मेरे ख्याल में इसके अन्दर कोई खामी नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत् मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस सदन की मेज पर दो चीजें रखी गई हैं एक तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट है और दूसरा एक रिपोर्ट है जो सदन की मेज पर रखी गई थी।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट के सिलसिले में जो आपत्ति उठायी है उसके ऊपर लॉ मिनिस्टर साहब ने रोशनी डाली है। मुझे उस सम्बन्ध में विशेष नहीं कहना है। जहां तक इस रिपोर्ट या बजट का सवाल है वह एक अच्छे इन्टेन्शन से रखी गई थी और इस मकसद से कि सभी माननीय सदस्यों को इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की गतिविधियों से परिचय मिल सके, इसके अकाउन्ट्स और अन्य चीजों की भी जानकारी मिल सके, इस इन्टेन्शन से यह रखी गई थी। साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन कर दूं कि यहां पर विशेष तौर से यह भी मांग की गई थी कि ऐसी एक रिपोर्ट रखी जाय जिससे माननीय सदस्यों को आसानी से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की प्रोग्रेस मिल सके। उसी के साथ साथ एक छोटी सी पुस्तिका भी माननीय सदस्यों को दी गई है। लेकिन यह जो प्रश्न उठा यह इतना महत्व-पूर्ण है कि डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स में यह रखा गया है, जहां अन्डरटेकिंग्ज का नाम आता है उसमें इसको भी शामिल कर लिया गया। मैं यह समझता हूं कि यह ऐसी जरूरी चीज है उसका ओपन डिस्कशन अपनी कन्ट्री के हित में, अपने देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। यह जो ऑब्जेक्शन माननीय सदस्य ने उठाया इस पर ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर डिस्कशन किया जाता है तो लाइन्स है, इन्स्टालेशन्स हैं, उनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है, इस प्रकार की इन्फोर्मेशन तो मान-नीय सदस्यों के सामने तो आ सकती है। कोई भी चीज माननीय सदस्यों से हाइड करने का सवाल नहीं आता। ब्रिटिश डेमोक्रेसी के अन्दर भी टोप मोस्ट सीक्रेट डॉक्युमेंट्स, टोप मोस्ट सीक्रेट बातें भी सदन में रखी जाती हैं। यह माननीय अध्यक्ष के कन्सीडरेशन के लिये है कि वे जिस रूप में इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट पर डिस्कशन रखना चाहें, यह अध्यक्ष महोदय के निर्णय करने का सवाल

(श्री हरिश्चन्द्र)

है । मेरा तो यही निवेदन है कि जिस समय इस बजट पर बहस हो उस समय गैलेरीज खाली कर दी जायं, प्रेस गैलेरीज भी खाली कर दी जाय और इन कैमेरा सीक्रेट सेशन बुलाया जाय ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : ब्लेक शीप को भी यहां से निकाला जाय ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ब्लेक शीप कौन है, यह तो बताइये ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़): अगर इस तरह का वातावरण बनाने की माननीय सदस्य चेष्टा करेंगे तो हमें भी और कोई रास्ता अख्त्यार करना पड़ेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, अगर सीक्रेट सैशन बुलाकर इसको डिस्कस किया जाय तो कोई अनुचित बात नहीं होगी । मैं यह पोइन्ट अध्यक्ष महोदय के कन्सीडरेशन के लिये रख रहा हूं ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय............

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से काफी बहस हो चुकी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इन्डिपेन्डेन्ट्स का व्यू नहीं पाया ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस इन्फोर्मेशन के हाउस की टेबल पर रखने का प्रश्न है वह तो हाउस का प्रिविलेज है । जहां तक इस इन्फोर्मेशन के पब्लिश होने का सवाल है, मैं समझता हूं उसके प्रकाशित होने से डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स का ब्रीच हो चुका है । अगर उस पर यहां डिस्कशन होता है तो यह हाउस का प्रिविलेज है, डिस्कशन अवश्य होना चाहिये, वह कैमेरा में हो सकता है । जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा ब्रिटेन के अन्दर भी टोप मोस्ट सीक्रेट मसले भी हाउस में डिस्कस हुए हैं, कोई महत्वपूर्ण मसला है तो उसको इन कैमेरा डिस्कस किया जा सकता है । डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स के तहत पब्लिक सेफ्टी के लिहाज से इलेक्ट्रिसिटी के संबन्ध में, इसके इन्स्टालेशन के संबन्ध में, पॉवर्स के आकड़ों के संबन्ध में डिस्कशन हो तो the discussion must be confined to camera.

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक ऑब्जेक्शन उठाया और उसके संबन्ध में रूल ५२ का हवाला दिया । यदि उस रूल के सब क्लॉज (३) को पढ़े तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि गवर्नमेन्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या अन्डरटेकिंगज के संबंध में जो भी अकाउन्ट है वह लोकल ऑथोरिटीज के सामने, गवर्नमेन्ट के सामने रखेंगे । उसके वर्डिंग्ज़ ये हैं :

"(3) Nothing in sub-rule (2) shall, unless the Central Government by general or special order otherwise direct, be deemed—

(a) to relieve any person carrying on an undertaking to which this rule applies, from any obligation to furnish to Government or to any

(श्री नर्थासिंह)

Government authority such accounts, reports or documents or copies thereof, or extracts therefrom;

(b) to prohibit the publication of such accounts reports or documents, or copies thereof or extracts therefrom;"

इसमें यह साफ तौर से लिखा हुआ है कि बोर्ड को अपना अकाउन्ट असेम्बली को देना होता है, सदन के सामने उसको रखना पड़ता है। लोकल आॅथोरिटी होती, इन्डिपेन्डेन्ट बोर्ड होते हैं, इसमें कॉर्पोरेट किया जाता है उसको असेम्बली में लाना आवश्यक है। इसमें ओब्लिगेशन रखा गया है इस प्रकार के दस्तावेजों के पेश करने का। इसको भी कॉन्फीडेंशियल मार्क करके रखा जाता है, वह इसलिये कि इसको पब्लिश न करे।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विषय में पहले भी सदन के सामने निवेदन कर दिया था; जैसी कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है वह मैंने आपके समक्ष पेश की। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी पेश की थी वह मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा था।

'गवर्नमेन्ट' बाई इम्पलीकेशन 'पर्सन' में आ सकती है :

"The Supreme Court, upholding the immunity of Government from the operation of certain statutes, particularly statutes creating offences, was of the view that the prosecution of the officer, was in effect the prosecution of the Government and the Government could not be prosecuted since there was nothing in the statute to indicate that the Government was bound by the statute either expressly or by necessary implication. The ratio decidendi of this decision would be that the Government would not be a 'person' unless stated so expressly or by necessary implication. It is indicated, inter alia, that the Government cannot be held to be bound by such penal statutes as the Government itself will have to initiate prosecution against itself. The Government cannot be sentenced to imprisonment and if the Government is sentenced to pay the fine, the fine will ultimately have to go from the Government to itself and such position is incongruous with the penal provisions binding the Government."

On this ground the Supreme Court has held that the Defence of India Act cannot be made applicable to the Government and, therefore, Government in that respect is not a person.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लास्ट पैरा सुप्रीम कोर्ट का नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : यह मैंने पढ़ा है, वह सुप्रीम कोर्ट का है। "and such position is incongruous with the penal provisions binding the Government" यह इसका इन्फरेन्स है, इस बारे में मेरा सब्मिशन यह है कि रिपोर्ट को सदन की मेज पर रख देना, सदन में बहस कर लेना

(श्री मथुरादास माथुर)

उसके लिये जहां तक इसमें माना गया है गवर्नमेन्ट इसको पब्लिश करेगी। The Government is not a person and the Defence of India Rules are applicable to a person only. फिर भी सदन की मेज पर रख देना in itself is not a 'publication.'

मैं तो यह कहता हूं कि इसके बारे में कैमरा में डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठायी है उसको मद्दे नजर रखते हुए भी जो रिपोर्ट माननीय मंत्री महोदय रखना चाहते हैं उसको रखने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने यह आपत्ति प्रस्तुत की है कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक), १९६३-६४ में जो शुद्धिपत्र मंत्री महोदय प्रस्तुत करने वाले हैं, उनको ऐसा न करने दिया जाय क्योंकि उसको इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करने से डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स का हनन होगा और सरकार इसके लिये जिम्मेदार होगी।

इस सम्बन्ध में माननीय विधि मन्त्री व अन्य माननीय सदस्यों ने बहस में भाग लिया।

एक बात जो सदन के सामने आई वह यह है कि सदन के समक्ष ये आंकड़े या तथ्य यदि रख भी दिये जावें तब भी इनको पब्लिकेशन नहीं कहा जा सकता और विधि मन्त्रीजी ने आगे यह भी कहा कि अगर पब्लिकेशन भी मान लिया जावे तो भी सरकार चूंकि 'पर्सन' की परिभाषा में नहीं आती है, इसलिये उसको डिफेन्स ऑफ इण्डिया रूल्स में या अन्य किसी दूसरे कानून के अन्तर्गत सजा नहीं दी जा सकती।

माननीय सदस्यों ने प्रिविलेजेज की भी बात उठाई कि सदन का यह प्रिविलेज है कि इस तरह के आंकड़े व बजट तथा तथ्य सदन के सामने आयें व माननीय सदस्य उन पर बहस करें। ऐसे सुझाव भी आये कि इन कैमरा सदन में इस पर विचार हो सकता है और मैं समझाता हूं कि अगर यह बात पहले भी सरकार के ध्यान में होती तो उसको सदन के समक्ष प्रस्तुत करने में और तरीका बरता जा सकता था, लेकिन चूंकि यह आपत्ति बाद में आई और चूंकि सरकार को इस तरह की परिस्थिति का उस समय ज्ञान नहीं था इसलिये वह बजट या आंकड़े सदन के सामने आये और प्रेस में भी गये; अन्य जनता ने भी उनको देखा और वे पब्लिश भी हुए, तो मैं उस सारी बहस में इस समय पड़ना नहीं चाहूंगा।

इस सदन के लिये यह न उचित है और न यह आवश्यक ही है कि इस समय हम यह निर्णय करें कि ऐसा करने से किसी अमुक कानून का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है।

सदन के समक्ष एक बजट या उसका जो शुद्धिपत्र है उसको प्रस्तुत करने के लिये आज्ञा चाही जा रही है और केवल प्रश्न यह है कि वह आज्ञा दी जावे या नहीं दी जावे।

पहले भी सदन में ऐसी एक व्यवस्था हो चुकी है। कोई विधेयक सदन के सामने आया

Page No 55

(श्री अध्यक्ष)

और यह आपत्ति की गई कि यह विधान के विपरीत है, यहां आना नहीं चाहिए, तो उस समय भी यह व्यवस्था दी गई थी कि अगर किसी तरह मान भी लिया जावे किन्हीं माननीय सदस्यों द्वारा कि यह संविधान के विपरीत है, पर फिर भी यह सदन का अधिकार है कि उसे पारित करे या पास करे ।

पर इस समय अगर सदन इस बात का निर्णय करने बैठता है कि कोई प्रस्ताव कानून के अन्तर्गत है या नहीं, संविधान के अनुकूल है या नहीं, तो यह, मैं समझता हूं, अपने अधिकारों का ठीक तरह से उपयोग नहीं करना होगा । क्योंकि यह विधिवत् है या नहीं है, यह तो अदालतों का फंक्शन है और केवल अदालतें ही यह कह सकती हैं कि कौनसा सरकार का कार्य या विधेयक, जो कानून बनने जाता है, वह किसी कानून का या संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है या नहीं करता है । इसलिये उस व्यवस्था में कहा गया था कि अगर यह मान लिया जावे कि यह संविधान के विपरीत है तो भी सदन का यह अधिकार है कि वह उसे पारित करे या न करे जैसा वह चाहे करे ।

अब उसके बाद उसका जो भी नतीजा निकले, वह अदालतों के अधिकार-क्षेत्र में आता है । अगर सरकार पर या अन्य किसी व्यक्ति पर किसी कानून या संविधान के उल्लंघन की बात है तो उसे अदालतों में जाकर चैलेन्ज किया जा सकता है कि वह किसी हिस्से को या सारे कानून को संविधान या किसी कानून के विपरीत मानता है और अदालत जैसा चाहे उसे घोषित करे या कोई दूसरा नतीजा निकाले ।

तो उसी व्यवस्था को यहां पर लागू किया जावे । मैं समझता हूं कि हमें इस समय यह नहीं देखना है कि सदन जो भी निर्णय करे, या सरकार जो भी कार्य कर चुकी है वह पब्लिकेशन की परिभाषा में आवे या नहीं, उसका क्या कानूनी असर पड़ता है डिफेन्स ऑफ इण्डिया रूल्स के अन्तर्गत या दूसरे किसी कानून के अन्तर्गत, इन सब पर इस समय विचार करना सदन के लिये न उचित ही है न आवश्यक ही ।

हमें यह सोचना है कि जो शुद्धिपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है सदन में उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान की जावे या नहीं ।

मेरी मान्यता है कि माननीय मन्त्री महोदय जो शुद्धिपत्र सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं उनको इसकी इजाजत दी जानी चाहिये और जो आपत्ति माननीय सदस्य की तरफ से उठाई गई है उसको अस्वीकार करते हुए मैं यह स्वीकार करता हूं कि मन्त्री महोदय को यह अधिकार है कि वे अपना शुद्धिपत्र सदन के समक्ष प्रस्तुत करें ।

मैं माननीय मन्त्री महोदय को अपना शुद्धिपत्र सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान करता हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्यय), १९६३-६४ से सम्बन्धित शुद्धिपत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं ।

(५. ४७ म. प.)

Page No 56

राजस्थान सार्वजनिक उद्यान (संशोधन) विधेयक, १९६३

(प्रवर समिति का)

श्री भीखाभाई (वन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सार्वजनिक उद्यान अधिनियम, १९५६ में और संशोधन करने का विधेयक, १९६३ विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सार्वजनिक उद्यान (संशोधन) विधेयक १९६३ को सदन में माननीय वन मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन से यह व्यवस्था चाही गई है कि जो सार्वजनिक उद्यान हैं, जो पब्लिक पार्क्स अंग्रेजी में कहे जाते हैं उनके उपयोग या उनमे आने-जाने के सम्बन्ध में सरकार को फीस लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज राजस्थान के अन्दर जहां एक ओर सरकार भी यह महसूस करती है और आम जनता भी इस बात की मांग करती है कि राजस्थान के किसी भी नगर में और कस्बे मे किसी भी प्रकार के पब्लिक पार्क्स नहीं हैं और उनके न होने मे जो कुछ भी दशा वहां की है वह हम सब जानते हैं, पर थोड़े बहुत पार्क्स जहां कहीं भी है उनके उपयोग के सम्बन्ध में भी इस प्रकार का कोई शुल्क लगाया जावे तो यह बात समझ में कम आती है। मैं नहीं समझता कि वन मन्त्री महोदय क्या इतने छोटे हैं कि जो वित्त मन्त्रीजी से दब गये, जो उनके इस प्रभाव में आ गये और यह टैक्स लगाने की बात मान गये। ऐसा लगता है वित्त मन्त्रालय ने यह सुझाव दिया कि अब कहीं से और पैसा मिलने वाला नहीं है, अगर लैंड रेवेन्यू पर सरचार्ज लगाया जाता है तो सदन में विरोध करते हैं, और स्वयं कांग्रेस दल के ही लोग उन सारी व्यवस्थाओं का विरोध करते हैं, और इसीलिये राजस्थान सरकार को मजबूर होकर अपने २। करोड़ रुपयों के साधन निकाल देने पड़े और इसीलिए किसी से पैसा वसूल करने की जब कोई गुंजाइश नहीं पाई वित्त मन्त्रालय ने, तो जो थोड़े बहुत पब्लिक पार्क्स या सार्वजनिक उद्यान बने हुए हैं, जिनमें जाकर राजस्थान की दो करोड़ जनता में से मुश्किल से दस लाख ऐसे होगे जो उनका उपयोग कर सकने की स्थिति में होंगे और वहां जाकर मनोरंजन करते हैं, उनमें सरकार टैक्स लगाने की गुंजाइश देखती है। सरकार यह समझती है कि उन पर भी टैक्स लगाना चाहिये। क्या यह वन मन्त्रीजी चाहेंगे।

उनको तो आवश्यकता नहीं होगी। मन्त्रि-मण्डल के सदस्यों को भी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि पब्लिक पार्क मे वे क्यों जावें? उनके तो स्वयं के बंगले ही पब्लिक पार्क्स है। इतने बड़े बड़े वे पार्क हैं, लॉन्स हैं वहां, उन लॉन्स पर इतना पानी लगता है कि जिसके बड़े बड़े बिल सरकार चुकाती चुकाती थकती नहीं, अच्छा वहां पर हैज है, हैज का कटिंग इतना अच्छा है कि उनमें मोर के, मयूरों के नाचते हुए चित्र उनमें हैं। उनका लॉन हर वक्त छांटा जाता है और ऐसा हरा भरा लगता है कि बैठने में बड़ा आनन्द आता है, चारों तरफ फुलवारी लग रही है,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अच्छे फलदार पेड़ लगे हुए हैं, फल और फूलों के भी बेशुमार पेड़ लगे हुए हैं। दीवारों पर से, रेलिंग पर से अन्य लोग भी उन फल और फूलों का रसास्वादन करते होंगे। उनके एक एक बंगले के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर काल में भी काफी चर्चा आई। तो उनके स्वयं के बंगले लाखों रुपयों के हैं और उनमें रोज एडीशन और ऑल्टरेशन होते रहते है, जिन पर हजारों रुपये खर्च होते हैं। उनको देखें तो मालूम होगा कि कितने सुन्दर उनके ये बंगले हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जयपुर के अन्दर तीज और गनगौर का त्यौहार मनाया जाता है और उसमें हमारे राजस्थान के हर क्षेत्र से गांव के आदमी आते हैं और यहां आकर जयपुर की चौड़ी-चौड़ी सड़कें देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। जब वह मेला देख लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके सामने प्रश्न आता है, वे अब क्या करें, दिन भर कहां जायें और इसके लिए वे जौहरी बाजार के दोनों तरफ जो पेड़ लगे हुए थे उनके नीचे बैठकर अपनी दोपहरी गुजारा करते थे और हमारी राजस्थान सरकार की तुग़लकशाही योजना ने दोनों तरफ के पेड़ों को हटाकर बीच में हैज लगा दी, जिसकी छाया में कोई बैठ नही सकता। इसलिए गांव का आने वाला व्यक्ति रामनिवास बाग में जायेगा और वहां पेड़ की छाया के नीचे बैठेगा, पानी पीयेगा और कुछ विश्राम करेगा। तो हमारे माननीय वन मन्त्री का आदेश रहेगा कि आप रामनिवास बाग में घुसने के पहले मेहरबानी करके टिकट खरीदिये, बिना टिकट के आप पार्क में नहीं घुस सकते और कोई घुस भी गया तो आखिर उस गांव वाले के साथ कोई बच्चा या कोई रिश्तेदार बाहर से आ गया और मानों पार्क में बैठे बैठे शेर की आवाज सुनाई दी और बच्चे ने पूछा कि शेर कहां से आया और किसी ने कह दिया कि पास में चिड़ियाघर है, उसके लिए बच्चा एकदम कहेगा कि चिड़ियाघर देखेंगे तो फिर चिड़ियाघर में जाने के लिए टिकट खरीदने होंगे। रामनिवास बाग देखने का टिकट, चिड़ियाघर देखने का टैक्स–तो आखिर आप किस देखने का टैक्स नहीं लेंगे? मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो सारा एरिया है वहां पर कोई भी आदमी शेर देखने के लिए जाये, भालू देखने के लिए जाये, भालू देखने पर टैक्स लगेगा। मैं मन्त्री महोदय से पूछूं कि कोई आपके इलाके का आदमी आपसे मिलने आये, वहां पर आप शिड्यूल लगा दें, क्या यह कोई वाजिब चीज होगी। आखिर देखने की बहुत सारी चीजें हैं.........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यानी आप मन्त्री महोदय को भालू समझते हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : जू के पास तो मैं रहता हूं। कोई आयेगा तो मेरे पास आ सकता है उनके पास कैसे आ सकता है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वहां भी आ रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चीते के साथ जिक्र होगा आपका।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस कानून में जो व्यवस्थायें हैं उसमें ऐसा लगता है। यहां तक तो आपत्ति नहीं है, लेकिन पब्लिक पार्क्स की डेफीनिशन जो डिफाइन्ड है रामनि-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वास बाग, उसमें टैक्स लगेगा, जो चिड़िया घर है, जो जंगली जानवर हैं उनको देखने पर टैक्स लगेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे फोरेस्ट के मिनिस्टर हैं और डिप्टी फोरेस्ट मिनिस्टर हैं उनमें झगड़ा उठ खड़ा हुआ। मिनिस्टर साहब ने कहा कि सारे इलाके मे डिप्टी मिनिस्टर रहते हैं जिनका बंगला वहां है उस चिड़ियाघर से जुड़ा हुआ है और वहां पर कोई आदमी चिड़ियाघर को देखता देखता घुस गया तो वहां भी टैक्स....

श्री निरंजननाथ आचार्य : आधे तो आपके चुनाव क्षेत्र के रिसीव करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो आपस का झगड़ा है।

मैं निवेदन कर रहा था कि आखिर हमारे यहां राजस्थान में इस प्रकार के पब्लिक पार्क्स की और सार्वजनिक उद्यानों की कमी है, एन्टर्टेनमेन्ट की कमी है। एन्टर्टेनमेन्ट की दृष्टि से जहां मैं समझता हूं कि जितने एन्ट–र्टेनमेन्ट के साधन हैं, जितने भी मनोरंजन के साधन हैं उनके ऊपर वित्त मन्त्री महोदय की कृपा होने के कारण गरीब व्यक्ति उन सिनेमा घरों में नहीं जा सकते। साधारणतया जो थियेटर होते हैं, सिनेमा शो होते हैं उनके ऊपर पाबन्दी लगने के कारण मैं समझता हूं कि राजस्थान की गरीब जनता ऐसी हालत में नहीं है कि वह मयूर सिनेमा में या मान प्रकाश सिनेमा में या प्रेम प्रकाश सिनेमा में या पोलो विक्ट्री और रामप्रकाश सिनेमा में जाकर बैठें। इसलिए मैं समझता हूं कि हर एक आदमी इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। इसलिए उसके मनोरंजन के लिए आपको सार्वजनिक उद्यानों को प्रोत्साहन देना चाहिए। आपके क्षेत्र में इतने जंगल हैं और पिछड़े हुए भील रहते हैं वहां के लिए मन्त्री महोदय फैसला कर लें कि यहां पर पब्लिक पार्क्स लगायें, जंगली जानवरों को रखें। आपके पिछड़े हुए इलाके के लोग वहां देखने के लिए आयें, जानवरों को देखने के लिए आयें, दोपहरी बिताने के लिए आयें तो क्या आप उचित समझते है कि सारे लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाये और क्या यह उचित है कि राजस्थान की सरकार को पब्लिक पार्क्स में या सार्वजनिक उद्यानों में एन्ट्री करने पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया जाये ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारी सरकार के बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनसे कोई आमदनी नहीं होती है। जैसे अस्पताल है वहां आमदनी का कोई जरिया नहीं है और इस प्रकार से और भी कई डिपार्टमेन्ट्स हैं जिनमे कोई आमदनी नहीं होती। उनमें लाखों रुपया खर्च होता है और उनसे प्रोफिट कुछ नहीं आता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये मनोरंजन के स्थान, ये घूमने–फिरने के स्थान, स्वास्थ्य–लाभ करने के स्थान–इनके अन्दर आप आने–जाने पर शुल्क न लगायें। क्या यह उचित है ? मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि यह सही है कि हमारे माननीय उप-मन्त्री जी वहां रहते हैं; मन्त्रियों का जहां तक सवाल है वे सिनेमाओं में भी चले जाते हैं वहां भी उनको टिकट खरीदने की नौबत नहीं आती। लेकिन यह सवाल सबके लिए नहीं है। आपके लिए तो सिनेमा शो भी फ्री हैं, आपके लिए रवीन्द्र रंगमंच भी फ्री है, आप जा सकते हैं, आपका परिवार जा सकता है, आपके इष्ट मित्र जा सकते हैं, रिश्तेदार भी जा सकते हैं। वह रवीन्द्र थियेटर जो १३ लाख की लागत से बना है वहां पर होने वाले

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नाटक में गरीब आदमी नहीं जा सकता। उसको बैठने की तमीज नहीं होगी। जब इस प्रकार के थियेटर्स में और ऊंचे ऊंचे कला और संस्कृति के कार्यक्रमों में आप पधारते हैं, महारानी कॉलेज में जाते हैं, वहां एक गरीब आदमी इन सब जगह नहीं जा सकता, आप जा सकते हैं। इसके अलावा और भी आपके लिए बहुत सारे मनोरंजन के साधन हैं जो कि जनसाधरण को नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा बहुत जनसाधरण के लिए मनोरंजन के साधन रहने चाहिए। इसलिए मैंने प्रस्ताव रखा है कि इस प्रकार के अमेन्डिंग बिल को राजस्थान की जनता की राय जानने के लिए प्रसारित किया जाये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो आदमी पैसे की दृष्टि मे गरीब है और जिसके पास मनोरंजन के कोई साधन नहीं हैं, हर आदमी इसका विरोध करेगा और कहेगा कि रामनिवास बाग में जाने के लिए, उसमें प्रवेश पाने के लिए शुल्क नहीं लगाना चाहिए। जोधपुर का हर आदमी इस बात का विरोध करेगा। उनके घरों में लॉन नहीं, पार्क नहीं, कोई स्वास्थ्य लाभ करने का दूसरा साधन नहीं। बहुत सारे पेन्शनर्स हैं जो सुबह सुबह घूमने के लिए रामनिवास बाग में जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आम जनता इसका विरोध करेगी, गरीब जनता इसका विरोध करेगी।

इंग्लैंड में कभी भी कोई पब्लिक पार्क के बारे में और अमेरिका में भी हैल्थ को मेन्टेन करने के लिए; केनेडी की स्पीच मैंने पढ़ी थी और उन्होंने इस बात पर बड़ा जोर दिया था कि हमें पब्लिक हैल्थ के लिए बड़ा जागरूक रहना चाहिए और इसके लिए पब्लिक पार्क्स की व्यवस्था करनी है। हां, इंग्लैंड और अमेरिका का कुछ तबका ऐसा हो सकता है जिसको पब्लिक पार्क की जरूरत न हो। वहां भी बहुत बड़ी बड़ी एस्टेट्स हैं। क्लेवडन एस्टेट है, डाक्टर वार्ड जैसे लोग रहते हैं जिनकी खुद की एक एस्टेट है और जिनको मनोरंजन के अनेक साधन हैं, उनकी एस्टेट बहुत बड़ी पार्क हो सकती है और उनको इस प्रकार के सारे साधन उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन जहां तक गरीब जनता का सवाल है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान की जनता के पास इस विधेयक को भेजा जायेगा तो हर आदमी इसका विरोध करेगा। हजारों आदमी आम रामनिवास बाग में घूमने-फिरने के लिए जाते हैं, अपनी सभा बैठकें करने के लिए जाते हैं, सामाजिक चर्चा करते हैं, पंचायतों के फैसले वहां पर बैठकर करते हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सार्वजनिक दृष्टि से आज सबके बैठने के लिए बैठने का स्थान हो सकता है, हर जाति का आदमी हर आदमी ऊंचा, नीचा, गरीब और अमीर सायंकाल के समय, अगर इन्टीग्रेशन का नमूना देखना है, एकता का दृश्य देखना है तो सब जगह आप नहीं देख सकते। सिनेमा घरों में नहीं देख सकते। वहां पर फर्स्ट क्लास और फोर्थ क्लास में बैठते हैं। गरीब नीचे और अमीर ऊपर बैठते हैं, वहां आपको विषमता देखने को मिलेगी। वहां छोटे और बड़े आपको दिखाई देंगे, लेकिन रामनिवास बाग में जायेंगे तो उसी घास के ऊपर अगर किसी की लैण्डमास्टर या एम्बेसेडर कार है तो वह भी उसी घास पर लेट रहा है और जो गरीब होगा वह भी उसी घास पर लेट रहा है। यहां पर सायंकाल के समय सभी लोग जाति-पांति को भुलाकर एकता के सूत्र में बंधने की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दृष्टि से यह स्थान है और उसके ऊपर आप टैक्स लगाना चाहते हैं !

(५.०० म. प.)

उन स्थानों पर जाने के लिए आप पैसा लेना चाहते हैं, आप शुल्क लेना चाहते हैं ! मैं माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय वनमंत्री जिस समय अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे इस सदन में तो वे बतायेंगे कि सरकार की कितनी ऐसी योजनाएं हैं और कितना पैसा इस प्रकार के टैक्स से वसूल करना चाहती है ? राजस्थान में कौन से ऐसे चिड़ियाघर हैं, कौन से सार्वजनिक उद्यान हैं जहां कि इस प्रकार शुल्क लिया जायगा ? कितने पैसों की आमदनी उससे होगी ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वन मंत्री महोदय ने आंकड़े तैयार किये होंगे, कोई नक्शा और खाका होगा । ऐसी स्थिति को प्रस्तुत करेंगे और उस स्थिति के सिलसिले में यह सुझाव देंगे । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर उनको लाख, दो लाख की जरूरत है तो वे कहें कि इस तरह से इसके लिए पैसा चाहिए । सदन के माननीय सदस्य उसके लिए अपने सुझाव पेश करेंगे । पब्लिक पार्क्स में एन्ट्रीज पर, जाने-आने पर, उठने-बैठने पर और चिड़ियाघर को देखने पर पाबन्दी लगाई जाय, तो मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार की पाबन्दी किसी प्रकार से उचित नहीं हो सकती है आज राजस्थान में ।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि सदन के कई माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनके इलाकों में नये नये चिड़ियाघर खुलने वाले हैं या सप्लीमेंट्री ग्रान्ट आने वाली है या एक्सेस डिमाण्ड आने वाली है । माननीय सदस्य डिमाण्ड करने वाले हैं कि उनके इलाकों में पब्लिक पार्क्स खोले जायं । हर म्युनिसिपेलिटी में हर आदमी इस बात की कोशिश में है कि उनके यहां ज्यादा से ज्यादा पब्लिक पार्क खोले जायं । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में हर जिले में चिड़ियाघर खुलेगा । तहसील, निजामत और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर से आने वाले सारे ऐसे माननीय सदस्य और विशेषकर गरीबों का प्रतिनिधित्व करने वाले, पिछड़े इलाकों का प्रतिनिधित्व करने वाले, ग्रामीण इलाकों से आने वाले माननीय सदस्य जब कभी कभी जयपुर आते हैं, जयपुर में रहने वाले तो चाहे जभी रामनिवास बाग में जा सकते हैं और चिड़ियाघर को देख सकते है, लेकिन छोटे छोटे कस्बों से आने वाले, ग्रामीण इलाकों से आने वाले जो कि कभी कभी जोधपुर, जयपुर या अजमेर जाते हैं तो चिड़ियाघर उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है । तो गंगानगर के कुछ लोग आये थे, तो माननीय सदस्य जो कि रायसिंहनगर से आते है उनसे उन्होंने पूछा, 'वित्त मंत्री कौल किस्यो है ?' वे समझते हैं कि कौल भी माननीय हांडा की तरह से होगा जिसके दो हाथ, दो पैर होंगे । उसके कोई पूंछ तो नहीं हो सकती...........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दारू पिलान्दा है, इसलिए देखना चाहते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गांवों में कई बार ऐसा होता है कि हम कभी कभी राजस्थान के दौरे पर जाते हैं तो मंत्रि-मंडल की छंटनी की बात करते हैं कि छंटनी की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जाय, कटौती की जाय तो कभी कभी मजाक में कह देते है कि छंटनी की बात तो कहते हैं लेकिन हमारे यहां मंत्री ऐसे है जैसे कि माननीय भीखाभाई, जो पहले से छंटे-छंटाये हैं और कितना छांटेंगे तो जनता की इच्छा होती है उन्हें देखने की। वे इतने छंटे हुए हैं कि सदन में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो कुर्सी से भी नीचे रहते हैं तो उनसे कहा जाता है कि खड़े होकर बोलिये तो उपाध्यक्ष महोदय को कहना पड़ता है कि वे पहले से ही खड़े हैं, तो लोटा कहते हैं कि कितने छोटे हैं, बोने हैं उन्हें देखा जाय...........

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : इसका मतलब क्या है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नया चिड़ियाघर खोलने की योजना है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपको भी उसमें लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार का कुतूहल स्वभावत: राजस्थान जैसे कई दृष्टियों से पिछड़े हुए लोगों का होना स्वभाविक है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में मौका देना चाहती है क्योंकि अब जंगलों में जाने की किसी की हिम्मत नहीं है कि जंगल में जाकर शेर को देख लें। अब तक किसी के घर में आदमी घुस जाय और वहां पर मरे हुए शेर का शरीर लगा हुआ है उसको देख कर लोग डर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को देखने का मौका दें या आपने यह तय कर रखा है कि राजस्थान की जनता का पौरुष खत्म करके छोड़ेंगे। लोगों को पराक्रमी जीव-जन्तुओं के पास नहीं आने दें जिससे कि उनमें इस प्रकार का पराक्रम जागृत हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले ऐसा था कि इस देश का नाम भारतवर्ष, जिस भरत राजा के नाम पर पड़ा है, जो कि बचपन में शेर का मुंह खोलकर दांत गिना करता था। वह तो पुरानी बात हुई, लेकिन आज से कुछ वर्ष पहले की बात है कि आपको मालूम होगा कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य, श्री शिवचरणदासजी, ने एक टाइग्रेस, जो कि सीकर के इलाके में आया था, उसके लिए कलेक्टर ने उनको बुलाया था, तो उससे उनका आपस में संघर्ष हुआ और संघर्ष होने के बाद वे पहाड़ पर से फिसले........

श्री निरन्जननाथ आचार्य : वह मरा हुआ था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसे पराक्रमी लोगों को देखना चाहते है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी एलिमेंट आॅफ साइन्टिफिक रिसर्च दिखाना चाहते हैं, एटम बम्ब और हाइड्रोजन बम दिखाना चाहते हैं, तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, एग्रीकलचरल एक्जीबिशन दिखाना चाहते है, इन्डस्ट्रियल एक्जीबिशन लगाना चाहते है और हर आदमी को बताना चाहते हैं कि ये चीजें हैं इनसे डरना, घबराना मत। इनके नजदीक आओ; इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जंगल में खुले शेर नहीं मिलते हैं, कहीं भी देखने का मौका नहीं मिलता है जंगल में। इस प्रकार के पराकमी जीव-जन्तुओं को देखने का तो कम से कम,

Page No 62

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह वह शेर है जो मेरा नहीं है, बल्कि सरकार के एम्ब्लेम में है, वह राष्ट्रीय सरकार का निशान है, उस जीवित शेर को दिखाने के लिए टैक्स लेना चाहती है; तो सरकार उस पर विचार करे।

मैं सदन से निवेदन करूंगा कि यह विधेयक जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है कि इसको ३ महीने के लिए पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजा जाय, इस प्रस्ताव को सदन स्वीकार करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान सार्वजनिक उद्यान (संशोधन) विधेयक जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय, ऐसा मेरा प्रस्ताव है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, On a point of order, Sir लोगों ने मोशन्स दे रखे हैं उसके अनुसार यह हो।

एक माननीय सदस्य : उनका भी मोशन है।

श्री अध्यक्ष : वे भी आयेंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इस प्रस्ताव को सदन में लाने के लिए, मेरे क्या कारण हैं, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय को और सदन के समस्त माननीय सदस्यों से।

हमारे देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात् प्रत्येक प्राणी के हृदय में यह भावना उत्पन्न हुई है कि पेट भर कर उसको खाने के लिए रोटी मिले, शुद्ध पानी मिले, अपने देश में अपनी आवाज मिलेगी, अपने देश में ताजा हवा मिलेगी। लेकिन इस प्रजातन्त्र से शासन-प्रणाली करने वाली सरकार के लिए कितने क्षोभ का विषय हो सकता है, कितने दुःख का विषय हो सकता है कि पेट भर कर रोटी मिले या न मिले, पानी मिले या न मिले, लेकिन साफ हवा पर टैक्स लगाने जा रही है। सार्वजनिक उद्यानों पर टैक्स लगाने के मायने यह होते हैं कि हमारी राज्य सरकार जिनके हाथों हमने अपनी शासनसत्ता का भार इसीलिए सौंपा था कि यह हमारी सरकार है और वह हमारे आराम का विचार करेगी। उनके आराम का विचार नहीं करने के बजाय आज सरकार यह विचार कर रही है कि जनता को शुद्ध हवा नहीं खाने दी जाय। उन्हें सार्वजनिक उद्यानों में नहीं घूमने दिया जाय; बल्कि उन पर टैक्स लगाया जाय, हो सकता, है कि सरकार के सामने ऐसी मजबूरियां आ गई हों। यह आप जानते हैं, और कम से कम जयपुर की जनता यह अनुभव करने लगी है कि जिस जयपुर में कभी पानी का अकाल नहीं रहता था और चौबीसों घन्टे बराबर नल चलता रहता था....

(५.०८ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वहां अब पानी नहीं मिलता है। पानी का अभाव तो क्या, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार पानी और रोटी

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

का अभाव दूर करने का तो नहीं सोचे लेकिन जो मनुष्य की निजी आवश्यकताएं हैं, जिन आवश्यकताओं के आधार पर मनुष्य आगे चलता है, उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने के बजाय राज्य सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि ताजा हवा पर टैक्स लगाया जाय।

मैं यह निवेदन करूंगा कि टैक्स लगाने का इस सदन को अधिकार है। टैक्स यह सदन लगा सकता है, क्योंकि सिद्धान्त की बात है कि जहां रिप्रेजेन्टेशन हो टेक्सेशन भी हो सकता है, लेकिन मैं उन रिप्रेजेन्टेशन करने वाले माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर इस सदन में आने से पहले जनता के प्रति भी आपका कोई कर्तव्य था, मैं उन माननीय सदस्यों की उन भावनाओं को जागृत करना चाहता हूं कि जो यह संशोधन विधेयक इस सदन में आ रहा है इस पर सदस्य चाहें वे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी तबके के हों, वे पार्टीबाजी और दलबन्दी की भावना से ऊपर उठकर इस बात पर विचार करें कि टैक्सेशन फ्रेश एयर, फ्री एयर पर लगाने जा रहे हैं वह टैक्सेशन कहां तक मान्य हो सकता है, जनता उसका कहां तक स्वागत करेगी ? इसका सम्बन्ध जनता से है। क्या इस टेक्सेशन को लगाने से पहले यह चीज मानते हैं कि जिस तबके से या कॉन्स्टीट्यूएन्सी को रिप्रेजेन्ट करने आप इस सदन में आ रहे हैं; इस दावे के साथ कहने का अधिकार आपको इतना हो सकता है कि आप उन लोगों की आवाज बुलन्द कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि आपकी कॉंस्टीट्यूएन्सी के रहने वाले लोग या आपके इलाके के रहने वाले इस बात को पसन्द करेंगे कि वे ताजी हवा नहीं ले सकते ? इसलिये मेरा यह फर्ज है और मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसको पारित करने से पहले राज्य सरकार से कहें कि यह विधेयक जनता के जीवन से संबंध रखता है, उसकी भावनाओं से सम्बन्धित है, यह जनता का मूलभूत अधिकार है कि वे स्वच्छंदता से शुद्ध हवा प्राप्त कर सकें, उस पर प्रतिबन्ध लगाने का कानून यदि बनाना चाहते हैं तो उस जनता से अवश्य पूछना चाहिये। जनमत जानने से पहले पास नहीं कर सकते। मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि माननीय सदस्य विचार करें कि जिसके वोटों पर आप यहां आये हैं, हो सकता है कि उनके जीवन के साथ गद्दारी करने का प्रश्न आ सकता है। कोई माननीय सदस्य तैयार नहीं होगा कि जिस जनता के वोटों से सद्भावना लेकर आते हैं उस जनता के साथ गद्दारी करेंगे, प्रत्येक सदस्य के लिये महत्वपूर्ण हो जाता है। मंत्री महोदय को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये, विचार करना चाहिये कि टेक्सेशन किस आधार पर लगाना चाहते हैं।

मैं दूसरी बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि पहले जो कानून बना सार्वजनिक उद्यानों के लिये उसके अनुसार राज्य सरकार का पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि सार्वजनिक उद्यानों को नष्ट न करें और उनकी सुरक्षा के लिये कोई ऐसा कानून बनाया जाय और संभवतः इसी भावना के साथ इस कानून का निर्माण करना चाहिये। मैं कहूंगा कि चाकू का निर्माण किया जाता है। कलम निर्माण के

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

लिये और शाक–सब्जी सुधारने के लिये। लेकिन दुःख की बात है कि वही चाकू यदि किसी बंदर के हाथ में पड़ जाता है तो वह शाक सब्जी सुधारने के बजाय नाक काट लेता है पड़ोसी की और अपने आपकी। यहां इस कानून का निर्माण इस भावना से हुआ है कि सार्वजनिक उद्यानों का किसी प्रकार से नुकसान नहीं हो सके। उसकी रक्षा और प्रदर्शन के लिये शुरू में इस कानून का निर्माण हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस पर सोच लेने के बाद बंदर के हाथ में पड़े चाकू जैसा हो जाता है और वह बंदर सद्भावना छोड़कर अपना और पड़ोसियों का नाक काटने की कोशिश करता है। इस कानून से जन-उद्यानों को प्रकट करने के पश्चात् उन पर टैक्स लगाने की भावना हो जायगी, यह पहले कोई नहीं सोच सकता था। जहां तक पार्कों पर टैक्स लगाने के सवाल हैं मैं समझता हूं कोई जिम्मेदार व्यक्ति इसकी पुष्टि करने को तैयार नहीं होगा।

दूसरा प्रश्न सदन के सारे माननीय सदस्यों के विचारणीय हैं, आपको विचार करना है। आप देखिये राजस्थान के जितने बड़े बड़े नगर हैं, आज से ५–१० वर्ष पहले की उनकी पोपुलेशन पर विचार करिये। जो आज से १० वर्ष पहले राजस्थान के नगर थे उनके मुकाबले में आज उनकी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिन गलियों में बहुत से ओपन पार्क थे, चौक थे, दालान बने हुए थे आज वहां पर बस्तियां बस गई हैं। शहर इतने कंजेस्टेड हो गये हैं और रास्ते इतने गंदे हो गये हैं कि राजस्थान के लोगों को, जन-साधारण के लोग जो वहां बसते हैं उनको शुद्ध हवा मिलना कठिन हो गया है।

राज्य सरकार से दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आप सार्वजनिक उद्यानों पर टैक्स लगा रहे हैं, क्या यह भी होगा कि सार्वजनिक उद्यानों के निर्माण में बढ़ोतरी की जायगी ? आप जयपुर में ब्रह्मपुरी को देखिये, एक जमीन वहां पर इसलिये थी कि वहां सार्वजनिक उद्यान का निर्माण हो। बनीपार्क में सर्कल्स इसलिये छोड़े गये थे कि वहां पर पब्लिक पार्कों का निर्माण किया जाय। लेकिन १० साल हो गये वहां सिवाय रेत उड़ने और कंकड़–पत्थर उड़ने के आपने और कोई स्टेप नहीं लिया जिससे कि पार्क का निर्माण हो सके और जनता जा सके। एक या दो पार्क जयपुर शहर में पुराने जमाने से चले आ रहे है जिनके कारण लोगों को शुद्ध हवा मिल रही हैं। संभवतः वर्तमान सरकार से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह पब्लिक पार्क्स का निर्माण कर सकें या मौजूदा पार्कों का जो मेन्टीनेन्स चल रहा है उसको निभा सके। आप ख्याल कीजिये, उस जमाने की सरकार ने पब्लिक पार्कों का निर्माण किया, उनका मेन्टीनेन्स किया, उनको पब्लिक के लिये ओपन किया और कहा कि इनका सदुपयोग कीजिये। लेकिन आज उनका मेन्टीनेन्स यह सरकार नहीं कर सकती। उनके मेन्टीनेन्स के लिये यह सरकार उन पर टेक्स लगाना चाहती है और कहती है कि पब्लिक पार्क्स पर टेक्स लगाना जरूरी हो गया है। किसी डेमोक्रेटिक सोर्ट ऑफ गवर्नमेन्ट के लिये यह शोभनीय बात नहीं हो सकती और जो संशोधन विधेयक राज्य सरकार लाना चाहती है वह बिल्कुल सद्भावना के साथ नहीं है, बल्कि यह कहूंगा कि बुद्धिमना पूर्ण अमेन्डमेन्ट भी नहीं है।

तीसरी बात यह है कि यदि राज्य सरकार संकट-काल में यह अनुभव करती है कि

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

उनके पास पैसा नहीं है तो आप विचार करिये पब्लिक पार्क्स पर एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स लगाकर कितना पैसा ले सकते हैं ? मैं यह कहना चाहूंगा कि जो एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स लगाते हैं सिनेमाओं पर और दूसरी बातों पर उससे आप कितना पैसा वसूल करते हैं, किस तरह से परसेन्टेज लगा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पब्लिक पार्क पर घंटों या मिनिट के लिये किस प्रकार टैक्स लगाने की चेष्टा करेंगे और वह कितना वसूल हो सकता है ? कितने आदमी वहां जाते हैं और कितने रुपये इस एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स से वसूल करेंगे ? आप अपने हृदय पर हाथ रख कर देखिये। आज ही प्रश्नोत्तर काल में उत्तर दिया है; डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेन्ट के मिनिस्टर हजारों और लाखों रुपये एक साल में बंगलों के एडीशन्स और ऑल्टरेशन्स पर खर्च कर सकते हैं ? यदि वे इस प्रकार का खर्च कम कर देंगे तो संभवत: ऐसी नौबत नहीं आयेगी कि पब्लिक पार्क्स पर टैक्स लगावें। ऐसी जरूरत पेश नहीं आयेगी। यह सोचने की बात है कि आपके इस प्रकार के स्टेप्स, इस प्रकार के टैक्स जनता पर लगाते हैं, यह स्वयं इस बात का द्योतक है कि जनता की भावना कितनी प्रतिकूल हो रही है। जनता को खिलाफ करने के दोषी आप हैं, जनता को खिलाफ करने का उत्तरदायित्व आप पर है। मुझे आपसे हमदर्दी है, इसलिये जनता की सही बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जनता के दुख-दर्द और तकलीफ पर विचार करना चाहिये। आपको सीखना चाहिये कि जनता चाहती है वह करें। नाजायज टैक्स लगाने की कोशिश नहीं करें। आपने शिक्षा का विरोध किया था, आज किस तरह से पाठ्य पुस्तकें मिलती हैं, आप उन पर कंट्रोल कर रहे हैं, उधर आपने टैक्स लगा दिये। जिस क्षेत्र में चले जाइये चारों ओर से टैक्स के भार से जनता लदी हुई है। ताजी हवा और शुद्ध हवा खाने का प्रत्येक मानव को ईश्वर प्रदत्त अधिकार है, उसके बारे में भी कांग्रेस सरकार के मिनिस्टर समझते हैं कि यदि ईश्वर ने प्रकृति का उपयोग करने का अधिकार दिया है तो हम खुदा से भी बड़े हैं, ईश्वर से भी बड़े हैं, हम आपको उससे वंचित कर सकते हैं। इस प्रकार की भावना लगातार बढ़ाना चाहते हैं, इस प्रकार का कानून बनाना चाहते हैं। हो सकता है, मंत्री महोदय का दिमाग फिर गया हो। लेकिन सदन के माननीय सदस्यों को विचार करना चाहिये, क्योंकि वे जनता से वादा करके आये हैं। उनको सोचना चाहिये कि जो कानून जनता को ताजी हवा से रोकता है, अवरुद्ध करता है, ताजी और शुद्ध हवा पर प्रतिबन्ध लगता है उसका समर्थन हम नहीं कर सकते। गरीब जनता पर प्रतिबन्ध लगता है, इसके लिये यह कानून है इसलिये गरीब जनता के विचारों को जानने के लिए, उनको समझने के लिये जनता के सामने इसको भेजा जाना निहायत आवश्यक हो जाता है और इस दृष्टिकोण से इसे जनता का विचार जानने के लिये भेजा जाना चाहिये।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि भूतपूर्व दो माननीय सदस्य सदन के समक्ष पब्लिक पार्क्स के ऊपर टैक्स लगाने के सम्बन्ध में अपने विचार रख चुके हैं, इस सम्बन्ध में मैं हाउस के माननीय सदस्यों को सर्वप्रथम उस एक्ट से वाकिफ कराना चाहता हूं जिसमें यह अमेंडमेंट लाया गया है। सबसे पहले तो

(श्री अब्दुलजब्बार)

उसका नामकरण संस्कार है वह पब्लिक के नाम से है। आज तक यह चीज देखने में नहीं आई है कि कोई पब्लिक प्लेस टैक्स्ड हो। सिनेमा को पब्लिक प्लेस मानते हैं, लेकिन वहां स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन स्पेशल शो के लिये दिया जाता है। पब्लिक प्लेस में जाने के लिए किसी किस्म का प्रतिबन्ध नहीं है। ऐसी सूरत में सबसे पहले इस कानून को देखते हुए, यह टैक्स का प्रोवीजन अमेंडमेंट के रूप में लाया जा रहा है, यह बिल्कुल बेजा है। मैं, जो पब्लिक पार्क एक्ट है, राजस्थान पब्लिक पार्क्स एक्ट, १९५६, है वह माननीय सदस्यों को बताता हूं।

"An Act to provide for the establishment, protection and preservation of public parks in the State of Rajasthan for the establishment of zoos and maintenance of animals therein, for the preservation of other objects of scientific interest therein, for securing the public from molestation and annoyance while resorting thereto and for incidental matters"

इसमें कहीं यह चीज नहीं है। इस एक्ट को बनाते वक्त हमारी विधान सभा के भूतपूर्व माननीय सदस्यों ने अच्छी तरह से इसके ऊपर बहस की होगी, यह मानते हैं और इस बात का आशय उन्होंने नहीं दिया होगा कि इन पब्लिक पार्क्स को देखने के लिए, तफरीह करने के लिए यदि कोई व्यक्ति जाय तो सरकार उस पर टैक्स लगाये। अफसोस की बात तो यह है कि इस एक्ट में, जो कि बड़ी सूझ बूझ के साथ बनाया गया, साइन्टिफिक पर्पजेज के लिए कॉलेज के स्टुडेन्ट रिसर्च करने के लिए, फूल-पत्तियां देखने के लिए, फूल पत्तियों की बनावट देखने के लिए, या ऑक्सीजन के एक्सपेरीमेंट के लिए, या पौधे कितना ऑक्सीजन देते हैं– यह देखने के लिये आयें तो उन बेचारे विद्यार्थियों को टैक्स किया जा सकता है क्योंकि इस अमेंडमेंट में साफ तौर से जाहिर किया गया है।

"6A. Power to provide for the levy of fees for the purposes of Act.- The State Government may, from time to time, by notification in the official Gazette, prescribe the scales of fees that may be charged for all or any of the purposes of this Act."

अब यह चीज देखने की है कि कोई बाग बनाया जाता है, कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो सबसे पहले इस बात की कोशिश की जाती है कि इस बाग का उपयोग क्या होगा? इसी तरह कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसका उपयोग सोच–समझ कर किया जाता है कि इसमें इतने कमरे होंगे, इतनी लेट्रीन्स होंगी, इतने बाथ रूम्स होंगे। उस तरह का एम करते हुए इसका पब्लिक पार्क नाम रखा गया है; तो इसको बनाने का मकसद यह है कि राज्य की जनता को राहत मिले, जो गर्मी और तपिस से धबरा कर परेशान होती है। जयपुर के निवासी यह अच्छी तरह से जानते होंगे, इस हाउस के माननीय सदस्य जो पधारते हैं वे अच्छी तरह से जानते होंगे कि जयपुर के कन्जेस्टेड एरिया में रहने वाले गरीब इन्सान गर्मी और तपिस से राहत पाने के लिए बाग की तरफ मुंह करते हैं और वहां जाकर घास पर सोते है, खुली हवा में चैन की सांस लेते हैं। उसके ऊपर आज समाजवादी समाज का निर्माण

(श्री अब्दुलजब्बार)

करने वाली सरकार टैक्स लगाना चाहती है जिससे उन गरीब लोगों को राहत नहीं मिले। वह सरकार जो चाहती है कि गरीबों को ऊंचा उठाये, वह उन गरीबों पर टैक्स लगाना चाहती है जिससे कि उनको आराम नहीं मिले । इस किस्म की बात केवल यहां तक ही महदूद नहीं है । हमारे राज्य में, या कहिये हमारे देश में जहां पब्लिक पार्क्स है वहीं अट्रैक्शन है टूरिस्ट्स का । जो यात्री बाहर से आते हैं उनके अन्दर आकर्षण शक्ति पैदा होती है । वे सोचते हैं कि चलो, बाग देखने चलें । उस तरह यदि उस ध्येय से सोचा जाय तो बाग सरकार इसलिए लगाती है कि जनता का अट्रैक्शन हो और यह बात तब जाहिर की जाय कि यह हकीकत है कि यह राज्य कल्याणकारी कार्य कर रहा है और जनता के स्वास्थ्य के लिए जनता को कुछ राहत पहुँचाता है।

शाम को बाग में जाकर आपने देखा होगा, रामनिवास बाग में माननीय सदस्यों ने, कि वहां कोई जिमनास्टिक कर रहा है, कोई कसरत कर रहा है, कोई कुश्ती कर रहा है और कोई खेल रहा है। क्योंकि जयपुर की स्थिति यह है कि यहां इतने लम्बे-चौड़े प्लेस नहीं हैं कि जहां खेल-कूद के लिए, क्रीड़ा के लिए कोई व्यवस्था की जाय। इसके अलावा पब्लिक एमिनिटीज के लिए गवर्नमेंट खुद रेस्पोन्सिबल है । ऐसी स्थिति में बाग में ये खिलाड़ी लोग खेलने जायं उन पर भी टैक्स लगे, अगर कोई अस्पताल में जाना चाहेगा और बाग में से होकर निकलेगा तो उस पर भी टैक्स लगेगा क्योंकि बाग में से होकर उसकी एन्ट्री है। ऐसी सूरत में एक लॉ से कई टैक्स आ सकते हैं । इस एक्ट में यह प्रोवीजन किया हुआ है कि जनता के लोग बाग में जानवर देखने जायेंगे तो वहां जो जानवर हैं उन जानवरों को चिड़ायेंगे नहीं, उनको मारेंगे नहीं । यह क्लॉज ६ में साफ तौर से लिखा है, जो गवर्नमेंट रूल बनाने की पॉवर रखती है उसमें साफ तौर से है, उसको मैं पढ़ कर सुना देता हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि कहीं इस क्लॉज में टैक्स नहीं है। टैक्स लगाने का नया क्लॉज जोडा जायगा "Power to make Rules" ६ और ७ क्लॉज हैं ।

"The State Government may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of the Act, and in particular as to all or any of the following matters :—

(a) the powers and duties of the Superintendent and other officers and Servants employed in a park in regard to:—

(i) the exclusion of members of the public from any area or areas within the park........."

इस तरह से इसमें करीब करीब 'K' तक ही कर रखा है और उसमें कहीं यह चीज नहीं है कि किसी किस्म की एमिनिटी देने के लिए या पब्लिक पार्क में जाने के लिए फीस लगने की सम्भावना है । लेकिन यह स्पेशल क्लॉज फीस लगाने का इस अमेंडमेंट बिल की रूप से आता है । वह फीस जनता पर ही नहीं है, जो विद्यार्थी जायेंगे उन पर भी फीस है । इसके अलावा कोई बीमार होता है ट्युबरक्युलोसिस से, उनके लिए पार्क बनाये जाते हैं, सेनीटोरियम के बाहर पार्क बनाये जाते हैं ताकि उनका इलाज अच्छी तरह से हो । लेकिन हमारे राज्य में

(श्री अब्दुलजब्बार)

अलग प्रणाली है। हमारे यहां जो ट्यूबरक्युलोसिस के जो सेनीटोरियम हैं और जिनका मैन तकाजा है कि उन गरीबों के दिलों को खुशी पहुँचे, जिनके ट्यूबरक्यूलोसिस से दिल टूटे हैं, इस बीमारी के बीमार आदमी हैं उनके लिए सरकार कहती है कि ट्यूबरक्यूलोसिस के मरीजों के लिए सेनीटोरियम बने हैं; लेकिन साथ ही वह कहती है कि अगर वे शुद्ध हवा पाने के लिए बगीचे में जाना चाहते हैं तो उनको पैसा देना पड़ेगा। यह सरकार यह नहीं सोचती है कि उन गरीबों, जिन्हें कि दोनों जून पेट भरने के लिए नाज नहीं मिलता उनको नाज दिया जाय, सस्ता नाज दिया जाय, उनको अगर शक्कर नहीं मिलती है तो उनको सस्ती शक्कर दी जाय। अफसोस की बात है कि उन बीमार आदमियों पर भी टैक्स लगाया जायगा जो कुदरत की हवा खाने जाते हैं। बाग में जो पोधे होते हैं और जो वे ऑक्सीजन देते हैं उसका सेवन करने जाते हैं, उनको टैक्स देना पड़ेगा। कुदरत की दी हुई चीजों के लिए कोई कहे कि सरकार बाग को मेन्टेन करने के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। लेकिन वह कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से देती है, जनता वह पैसा देती है। वह सरकार को फोर्स कर सकती है कि हमारे आराम के लिए एमेनिटीज मुहैया की जायं। क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि जनता की सुविधा के लिए एमिनिटिज प्रोवाइड की जायं। इस सम्बन्धी जो माननीय मंत्री विराजमान हैं, वे उस तबके से सम्बन्ध रखते हैं जो गरीब तबका कहलाता है। गरीबों की जिन्दगी से उन्हें बखूबी वाकिफ होना चाहिए, उनको गरीबों की झोंपड़ी से बखूबी वाकिफ होना चाहिए। उन्होंने उनके साथ जिन्दगी बसर की है। वे जानते हैं कि वे जिन्दगी कैसे बसर करते हैं। इसको जानते हुए उनके दिल में एक इन्कलाब बरपा हो जाना चाहिए, दिल में आग का शोला भड़क जाना चाहिए। गरीबों की जिन्दगी में इस तरह का तूफान लाने वाले बिल को लाकर वे यहां खुद क्यों बैठे हुए हैं? सब जानकारी होते हुए उन्हें यह कुर्सी छोड़ देनी चाहिए जिसमें विराजमान हैं।

सरकार कहती है कि वह जन-कल्याणकारी कार्य करने जा रही है। क्या गरीबों की हंसी और मुस्कराहट को छीनना ही कल्याणकारी कार्य है। कहां गया महात्मा गांधी का वह सपना जिसमें उन्होंने कहा था कि हरिजन और बेरिस्टर को हम बराबर करेंगे महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने वाली सरकार क्या करना चाहती है? वह गरीब इन्सानों को लूटना चाहती है। जो बाग में हवाखोरी को जायं उनको वह लूटना चाहती है। अगर सरकार यह कर देती है कि जो फीस दे सकते हैं वे बाग में टहल सकते हैं तो वे लोग बाग में नहीं जायेंगे। वे अपने रिप्रेजेंटेटिव्ज की महरबानी से गंदी सड़कों और गलियों और बन्द घरों के अन्दर जिन्दगी गुजारेंगे। वे उस जिन्दगी में कीड़े-मकोडों की मौत मर जायेंगे और श्मशान में दफना दिये जायेंगे। इस तरह के बिल से सरकार की यही मन्शा जाहिर होती है कि वह गरीब इन्सानों को मार दे। इसके अलावा वह कुछ नहीं करना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले एक लेख पढ़ने को मिला था। उसका टाइटल यह था, 'देखना है जोर कितना बाजु-ए-कातिल में है'। वह लेख नवभारत टाइम्स में निकला था और उस वक्त निकला था जब रक्षा कोष में पैसा इकट्ठा किया जा रहा था।

(श्री अब्दुलजब्बार)

उसमें साफ कहा था, फ्रंट पर मरने वाला कौन है ? गरीब इन्सान, झोंपड़ी में पैदा हुआ इन्सान ! डिफेन्स फंड में फौज की सहायता के लिए पैसा देने वाला कौन है ? गरीब किसान, सूखी रोटी खाने वाला और फटे कपड़े पहनने वाला। देश की रक्षा के लिए फौज में भर्ती होने वाला कौन ? गरीब किसान, मध्यवर्गीय और मास्टर ! और उसका फायदा उठाने वाला कौन है ? २० परसेन्ट आदमी ! तो ८० परसेन्ट की जनता की ओर से उस लेखक ने क्या कहा है, 'देखना है जोर कितना बाजु-ए-कातिल में है'। हकीकतन इस बात को स्पष्ट किया है कि ८० परसेन्ट की उन्नति और सुविधा के लिए बीस परसेन्ट साधन अगर मुहैया कर सकते है तो करने की चेष्टा करें। लेकिन अगर नहीं करते है तो कल नहीं परसों और परसों नहीं तो वह समय दूर नहीं है जब सरकार को अपने आप झुकना पड़ेगा। अगर नहीं झुकेगी तो ८० परसेन्ट जनता अपने खून के सैलाब से आपको झुका देगी। आपकी गोली उनके सीने को छेदेगी, आपके बल्लम उनके सीने में बरपा होंगे और उनके सीनों से खून का फव्वारा निकलेगा और उस खून के फव्वारे का सैलाब आयगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस रोज यह गांधी के सपनों को साकार करने वाली सरकार उस खून के सैलाव में बहेगी और फिर एक गवर्नमेंट का नव–निर्माण होगा और उस समय शुद्ध हवा पाने से गरीब इन्सान को महरूम नहीं किया जायगा। हो सकता है कि आप गरीबों की दुनिया से वाकिफ नहीं हैं। चन्द दिनों के लिए अगर कोई इन्सान एक ओहदे पर पहुँच जाता है तो उसको यह नहीं भूल जाना चाहिये कि गरीबों की आहें क्या होती हैं ? गरीबों की क्या हालत हो रही है ? यह शायद मन्त्री जी जानते हुए भी मौन हैं। लेकिन मैं मन्त्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि चन्द दिनों के बाद टूटी हुई दीवारें भी उनका साथ नहीं देंगी, चन्द दिनों के बाद कोई भी व्यक्ति उनको उनकी दुर्दशा पर शरण नहीं देगा। चन्द दिनों में उनके खुद के घरों की छतें भी इस बात से मजबूर कर देंगी, उनके लिए छतें भी नीचे आ जावेंगी और उनको दबा देंगी क्योंकि जुल्म की भी कोई इन्तदा होती है। ये छोटे छोटे मामले हैं। कोई भी टैक्स लगाया जाता है तो गरीबों पर लगाया जाता है। मैं तो यह कहता हूं कि आप साफ तौर से कहिये कि आपकी भूख इतनी बढ़ गयी है कि आप खाये बगैर नहीं रह सकते तो आप मक्खियें मत मारिये कहावत है अंग्रेजी में, "Hungry Wolf catches no fly." अगर आप भूखे हैं तो मक्खियां मत मारिये। पकड़ो किसी भैंसे को, पकड़ो किसी मोटी-ताजी गाय को, पकड़ो किसी ऐसे को जिसके पास कुछ पाओगे। क्यों इन छोटी–छोटी मक्खियों की तरफ अपना मुंह फैलाते हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल्याणकारी राज्य की दुहाई देने वाली सरकार से, शासन से इतना ही कहना चाहता हूं कि आयन्दा आप यह कल्याणकारी शब्द अपने मुंह से न निकालें। 'कल्याणकारी, शब्द का पता तो जिस वक्त मंत्रि–मंडल के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आएगा उस समय बताया जावेगा। इस समय केवल इतना ही कह देना, चाहता हूं कि यह आप गार्डन्स पर फीस लगा कर गरीबों को इस बात से महरूम न करें कि वे साफ हवा का भी वहां जाकर, उस गार्डन में सेवन न कर सकें। आप उन पर इतना बन्धन न करें, वर्ना हो सकता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं

(श्री अब्दुलजब्बार)

कि जितना पैसा आप इस प्रकार के टैक्स से वसूल करेंगे उससे ज्यादा आपको गेट पर कलेक्ट करने वालों को देना होगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपको कम से कम गेट पर कलेक्ट करने के लिये व्यक्ति रखने पड़ेंगे और ८०) रु० माहवार भी देंगे तो बहुत खर्चा पड़ेगा । थोड़े दिनों के लिये आपको अपने रामनिवास बाग है उसके सभी गेटों को बन्द करना होगा । आपको कितने ही आदमियों को रखना होगा । आपको उन्हें तनख्वाह देनी होगी । आप खर्चे को और जो पैसा इससे आप कलेक्ट करेंगे उसको मिला कर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपको क्या मिल पाएगा । हमारे देश की आर्थिक स्थिति का अन्दाज़ लगाते हुए आपको देखना चाहिये कि इस प्रकार के टैक्स लगने चाहिये या नहीं ? आप राशन कार्ड छपवाते हैं तो पैसा लेते हैं । सेल्स टेक्स आप लेते हैं और इससे काफी पैसे लोगों की जेब से जाता है । कभी कोई व्यक्ति बाग में जाकर बैठ जाता है, उस पर भी आप टैक्स लगाना चाहते हैं । इसके अलावा राजस्थान में बहुत इने-गिने बाग हैं । जयपुर में है, उदयपुर में है और अजमेर में है । बीकानेर में हो नहीं सकता क्योंकि वहां पानी की कमी है । ये दो-तीन जगह हैं जहां बाग हैं और लोग जाकर वहां लॉन पर बैठ जाते हैं, उनको भी आप बन्द करना चाहते हैं । तो मैं तो कहता हूं कि आप खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हैं । जनता तुली हुई है । जनता को इस बात का गम नहीं है, जनता समझ गई है कि इस प्रकार सरकार कब तक चलती रहेगी । अब जनता इस बात को जानने लग गई है कि हमारे गले पर हमारी सरकार सीधी छुरी नहीं चला रही है, उल्टी छुरी चला रही है, कसाई बकरे की गर्दन पर सीधी छुरी चलाता है ताकि वह मर जावे और उसको तकलीफ नहीं हो, वह तड़फे नहीं । मगर हमारी आज की सरकार उल्टी छुरी फेर कर तड़फाती है । ऐसी हालत में मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप देख लें कि यह बिल वापिस लिया जाता है या नहीं, अगर वापिस नहीं लिया जाता है तो आप पार्टी का जो चोगा है उसको उतार दीजिये और कह दीजिये कि यह गरीबों का प्रश्न है, हम पार्टी का चोगा नहीं मानते । हमको मंत्री महोदय को बता देना चाहिये कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध गरीबों के लिये, उनके स्वास्थ्य के लिये घातक है और उनके लिये एटम बम है । इसलिये इस एटम बम को हमें दूर फेंकना चाहिये । पार्टी का प्रतिबन्ध छोड़ कर आपको कहना चाहिये कि हम जनता का साथ देते हैं । अगर आप इसको दबाते हैं तो वह इसी प्रकार की बात होगी जैसे बड़ की जड़ें ऊपर से नीचे को फैलती हैं और बड़ को मजबूत बनाती हैं, उसी तरह राजस्थान में करप्शन की जड़ें मजबूत हैं और ये जड़ें इतनी फैल गई हैं कि रास्ता मिलना मुश्किल हो गया है । ये जड़ें तो ऊपर ही निकलती हैं; यहां ऐसा कोई स्थान खाली नहीं हैं जहां कोई न कोई पेड़ करप्शन का खड़ा न हो । ऐसी स्थिति में माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे खुल कर इसका विरोध करें और इसको पास नहीं होने दें । मेरा यह निवेदन है कि इस बिल को तीन महीनों तक के लिये जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे । बाद में स्वयं मंत्री महोदय को पता चल जावेगा कि जनता कितनी खिलाफ है और बगावत करने

(श्री अब्दुलजब्बार)

को तैयार है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अभी सदन में रखा गया है वह पारित हो जाता है तो ठीक है, वरना मैं प्रस्ताव रखूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे ।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त इस विधेयक को देखा तो ऐसा लगा कि हमारे वन मंत्री कोई नई योजना लेकर आये हैं । लेकिन दरअसल में इसे देखा तो मालूम हुआ कि...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : श्री अध्यक्ष महोदय, जो सूची मेरे पास है उसमें जो माननीय सदस्य अभी बोले हैं, श्री अब्दुलजब्बार उनके साथ इनका नाम नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला : सूची नं० १ में है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब सारे संशोधित बिल को देखा तो मुझे माननीय मन्त्री महोदय की बुद्धि पर तरस आया । जबकि हमारे दुश्मन हमारे पर हमला करने के लिए तैयार हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी जनता के स्वास्थ्य को ठीक बनाये रखना है । और वह तभी बनेगा जब उनको अच्छी और ताजी हवा मिलेगी । मगर हमारे मन्त्री महोदय इस प्रकार का संशोधन ला रहे हैं जिससे जनता के स्वास्थ्य पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और बीमारी फैलेगी । जो जनता शहरों में रहती है और शहरों के लोग सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, मजदूर मिलों में काम करते हैं, एक रिक्शा चलाने वाला है, जयपुर में आपको मालूम ही है कितने व्यक्ति रिक्शा चलाते हैं और जब दिन भर के थके हुए वे लोग ताजी हवा के लिये बाग में जावेंगे तो आप उनसे टैक्स लेंगे । इसका नतीजा यह होगा कि जो गरीब जनता पैसे नहीं दे सकेगी और जब वे लोग पैसा नहीं दे सकेंगे तो वे बाग में नहीं जा सकेंगे और ताजी हवा का लाभ नहीं उठा सकेंगे और इसका असर उनके स्वास्थ्य पर अवश्य पड़ेगा । हमारे वन मन्त्री की बुद्धि उल्टी हो गई है कि वे इस प्रकार का कानून लाना चाहते हैं जिसका असर जनता के स्वास्थ्य पर पड़ेगा । इसलिये मैं वन मन्त्री से निवेदन करूंगा कि आपको पुन: इस पर विचार करना पड़ेगा और इसके साथ साथ एक बात समझ में आ सकती है कि आपका कोई ऐसा पोर्शन हो जिसमें आपने बहुत पैसा खर्च किया है तो उस पोर्शन के लिये, आपको घुसने के लिये टिकट लगावें तो बात समझ में आ सकती है लेकिन इस प्रकार कोई जाकर लॉन पर विश्राम लेगा तो लॉन पर सोने के लिये या फूलों को देखने के लिए कोई टैक्स देना पड़े तो यह उचित नहीं होगा । यदि वन मन्त्री यह कहें कि रामबाग में जैसे जयपुर में अजायबघर है उसमें जाकर देखने के लिये टिकट लगावें तो समझ में आ सकता है । कोई जू की बात हो तो समझ में आ सकती है । मगर केवल लॉन पर जाकर सोना चाहे, उसे ताजी हवा खाने के लिए भी आप उस पर टैक्स लगावें तो यह बात हमारी समझ में नहीं आती है क्योंकि इसका असर जनता के स्वास्थ्य पर पड़ता है ।

इसके साथ ही साथ वन मन्त्री इस संशोधन को पारित कराना चाहते हैं तो इस पर और भी एग्जेम्पशन्स के बारे में सोचना पड़ेगा । सारे बागों की कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी, कौनसा पोर्शन आकर्षित है जिससे

Page No 72

(श्री विजयसिंह झाला)

कि जो आदमी वहां जाते हैं और जितना टैक्स उनसे लिया जाता है उतना रिक्रिएशन मिले। इस पर सोचना पड़ेगा। तो इस प्रकार की बहुत सी अड़चनें हैं, उन पर सोचने के लिए इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करना पड़ेगा।

इससे जो आय होगी वह सारी आय कर्मचारी जो रखने पड़ेंगे उन पर खर्च हो जायगी। इसके साथ ही साथ क्या जितनी यह आय होगी वह आय क्या दूसरा खर्चा वन विभाग में कम करके पूर्ति कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, तो इन सारी बातों को सोचने के लिए मैं समझता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय और वह अपनी रिपोर्ट १५ दिन या एक महीने में पेश करे, ताकि वह इन सारी बातों पर सोच सके।

इससे तो अच्छा होता कि हमारे वन मन्त्री को किसी बाग में बन्द कर दिया जाय, किसी कौने में, क्योंकि जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि राजस्थान की जनता हमारे वन मन्त्री को देखने के लिए लालायित है, तो एक घण्टे के अन्दर उनकी इच्छा की पूर्ति हो सकेगी, जिसकी पूर्ति वे एक साल से करना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : Point of order ! This in an aspersion on the Van Mantri.

क्या वन मन्त्री कोई भालू हैं जिनको बाग में बन्द कर दिया जाय, मुझे सख्त ऐतराज है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उन्होंने कैसे अन्दाज लगाया ?

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री विजयसिंह झाला : यदि हम बाग पर टैक्स लेते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि जो टैक्स देते हैं उसका रिक्रिएशन मिले, जाने वाले का माइन्ड वहां तेज हो। मैं समझता हूं कि हमारे वन मन्त्री को यदि जयपुर के बाग के अन्दर किसी कौने में खड़ा कर दिया जाय और उस बाग में एक रुपये का टिकट भी रख दिया जाय, तो हजारों आदमी इस प्रकार के मिलेंगे जो हमारे वन मन्त्री को देखना पसंद करेंगे। इससे जो बाग का खर्चा है वह भी मिल जायगा और लोगों का रिक्रिएशन भी हो जायगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पहले के बाग बने हुए हैं उनको सरकार मेन्टेन करना नहीं चाहती है। उदयपुर में लाल बाग बना हुआ है, जहां से मुख्य मन्त्रीजी जीत कर आये हैं; उस बाग की आज क्या स्थिति है ? आज उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई है। उसी प्रकार नाथद्वारा के अंदर जो सार्वजनिक उद्यान है उसकी हालत भी बिगड़ी हुई है।

कहने का तात्पर्य यह है कि एक ओर सरकार बागों को मेन्टेन करना नहीं चाहती। किसी प्रकार का साधन नहीं लगाना चाहती जिससे जनता को वहां जाने पर थकावट दूर हो और उसके बाद वहां कोई आदमी जाय तो उनसे टिकट मांगा जाय। यह बात समझ में नहीं आती।

तो बहुत सी ऐसी अड़चनें हैं। दरअसल सारे सार्वजनिक उद्यानों को हिस्सों में

(श्री विजयसिंह झाला)

विभाजित करना चाहिए और कुछ आकर्षक पोर्शन्स बनाने चाहिए, जहां टिकट लगाया जा सकता है, लेकिन सारे बाग की बाउंडरी पर टैक्स लगाना उचित नहीं है । इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों का मसला है, मजदूरों का मसला है । वे जब थकावट दूर करने जायेंगे तो उनसे टिकट मांगा जायगा ।

अतः मैं निवेदन करता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हांडा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९५९ के राजस्थान पब्लिक पार्क्स एक्ट में दफा ९ में एक संशोधन पेश किया गया है, जो सदन के सामने विचारणीय है । इसके दफा ९ में जिसके अनुसार सरकार को रूल्स बनाने के अधिकार प्राप्त होते हैं, यह संशोधन दर्ज किया गया है । इसके अतिरिक्त इस दफा के अन्दर दर्ज है कि लोगों का बाग के अंदर, कुछ एरिया के अन्दर जाना और आना, उसके संबंध में भी यही दफा रिफर करती है । बाग की कोई चीज बेचना भी इस दफा के अन्तर्गत है, उससे संबंधित चीजें भी इस धारा में शामिल हैं । लेकिन जिस ढंग से यह संशोधन रखा गया है वह बिल्कुल गोलमाल चीज है । कुछ इसके उद्देश्यों और कारणों से स्पष्ट है कि अधिनियम के समस्त या किन्हीं प्रयोजनों पर शुल्क लगाये जाने की व्यवस्था की जा सके यानी कुछ प्रयोजनों पर शुल्क लगाने की बात है । कोई स्पष्टीकरण नहीं कि किन प्रयोजनों पर शुल्क लगाया जा रहा है । बहुत प्रयोजन हो सकते हैं । जू भी शामिल है । बाग के अंदर प्रवेश होने पर शुल्क लगाया जा सकता है । बाग के अन्दर म्यूजियम है, उस पर भी टैक्स लगाया जा सकता है । तो इसका अगला कदम यही हो सकता है कि म्यूजियम के ऊपर टैक्स लगा दिया जाय, क्योंकि इस संशोधन के अंदर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है, तो विशेष रूप से बात इंगित नहीं की गई है कि किस चीज पर टैक्स लगाना चाहते हैं, इसलिए मानकर चलते हैं कि यह टैक्स इन सब चीजों पर लगाया जा सकता है और सरकार की मन्शा है कि सभी चीजों पर टैक्स लगाया जाय ।

आज राजस्थान के अन्दर अनाज पर टैक्स लगाया, लैंड रेवेन्यू पर सेस लगाया, इसके अलावा जानवरों पर टैक्स लगाया और हटाया । ये सब चीजें हो चुकी हैं और मिट्टी के तेल, मोटे कपड़े पर, और जिन्दगी की उन सारी चीजों पर टैक्स है । सन् १९५१ में जबकि भारत सरकार के टैक्सेज ६३ करोड़ रु० थे, आज सन् १९६३ में वह ९९० करोड़ हो चुके है । अगर कोई कसर बाकी रह गई थी तो पब्लिक पार्क्स के ऊपर टैक्स लगाने की बाकी चीज रह चुकी है । यह महान् कार्य वन विभाग के मंत्री से कराया जा रहा है । मुझे खेद है कि ऐसे भद्र पुरुष को इस प्रकार के कार्य के लिए चुना ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जयपुर की गंदी गलियों की ओर देखें कि किस प्रकार उन गंदी गलियों में जयपुर का इन्सान जीवन व्यतीत करता है । जयपुर के स्लम्स देखें । आज अगर एक वर्षा की झड़ी होती है तो जयपुर की गलियों के अन्दर भीषण गंध हो

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जाती है। ऐसी स्थिति में यहां का इन्सान अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। दूसरे शहरों की गलियों की भी यही अवस्था है। ये लोग इन गलियों को छोड़कर रात को कुछ क्षणों के लिए बाग के अन्दर जाते हैं। उधर मुख्य मंत्री ने अपने बंगले पर ३३,००० रु० लगा रखे हैं। राजस्थान के वित्त भार संभालने वाले स्वयं वित्त मंत्री १५,००० का फर्नीचर बंगले पर रखते हैं।

जयपुर के रामनिवास बाग की हालत को सब लोग जानते हैं। यह उस समय की बात कर रहा हूं जब मिर्जा इस्माइल जयपुर के प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बारे में एक कहावत है :-

"मान महीप लाये अजब मिर्जा ऊंट,
तरवर राम निवास के चर गयो चारों खूंट।"

उसके बाद अगर आज उस बाग की दशा देखें तो कोई छाया नहीं है, वृक्षों की दशा बहुत डिटीरियेरेट हो चुकी है। आज बाग में अंदर कोई मनुष्य इतवार के दिन चला जाय तो बैठने के लिए छाया प्राप्त होने वाली नहीं है। पिछले वर्ष देखा कि मुख्य मंत्री के बंगले पर ३३,००० रु० लगे हुए हैं, उनके लॉन्स में तरावट है, खुद इस बिल को लाने वाले मंत्री महोदय के लॉन्स पर तरावट है और वित्त मंत्री के बंगले का तो कहना ही क्या। उधर जयपुर के अन्दर उन गंदे मकानों से उठ कर शाम को थोड़े समय के लिए इस बाग में आकर बैठते हैं जिसके ऊपर अब टैक्स लागू कर दिये गये हैं, वे उसमें प्रवेश नहीं करते। ये टैक्स लागू करने की एक योजना बन गई है कि इसके ऊपर भी टैक्स लागू कर दिया जायगा, उसके ऊपर भी टैक्स लागू दिया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जयपुर के बाग में जाकर लोग मनोरंजन करते हैं, छोटे छोटे कर्मचारी जिनके जीवन को राज्य के कानूनों ने निहायत दुर्लक्ष्यपूर्ण बना दिया है, वे कुछ समय के लिये इस बाग में जाकर अपना मनोरंजन करते हैं। राजस्थान की पुलिस के सिपाहियों में जहां २० प्रतिशत सिपाही टी० बी० के मरीज हैं वे बाग में जाते हैं और थोड़ी देर के लिये अपना मनोरंजन करते हैं। तृतीय श्रेणी के, चतुर्थ श्रेणी के और मध्यम श्रेणी के लोगों के साथ जो दुर्लक्ष्यपूर्ण व्यवहार राजस्थान सरकार करती है, उससे मजबूर होकर रिश्वत लेते हैं और जीवन-यापन करने के साधनों को प्राप्त करने के लिये अन्यान्य तरीके अपनाते हैं। इसके अतिरिक्त गजेटेड ऑफिसर्स की उन्नतियां, इन्तखाब के सम्बन्ध में जो व्यवहार सरकार ने किया है, हालांकि यह इस बिल का विषय नहीं, पर इसने लोगों को मायूस बना दिया है। इस मायूसी को कुछ देर के लिये भूलने के लिये ये लोग इन चन्द बागों में रिक्रियेशन करने जाते हैं, उन बागात पर भी टैक्स लगा दिया है।

इसके अतिरिक्त जयपुर का म्यूजियम राजस्थान में अपना एक खास स्थान रखता है, इसका जू भी राजस्थान में विशिष्ट स्थान रखता है; जू को खास तौर से बच्चे देखने के लिये जाते हैं। विशेष रूप से क्लर्क, चपरासी जिंदगी से थके हुए अपने बालकों के बीच में बैठते हैं तो उनके पास खिलाने को कुछ नहीं, जो वे अपने बच्चों को दे दें, उनके पास

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

खुराक नहीं, न्यूट्रिशन नहीं, उनके पास यदि कोई चीज है तो वह यह है कि शाम को बच्चों को लेकर जू में जाते हैं और बच्चों को दिखाते हैं, उस जू पर भी आज एक ऐसे इन्सान के द्वारा टैक्स लगाया गया है। छुट्टियां होती हैं, प्राइमरी स्कूलों के, मिडल स्कूलों के विद्यार्थी जू में जाते हैं, मनोरंजन के साथ साथ कुछ सीखते हैं। आज जिस प्रकार का संघर्षपूर्ण जीवन है और मध्यमवर्ग की जिंदगी को टैक्सेज के बोझ से दबा दिया गया है, हर जरूरत की चीज पर टैक्स लाद दिया गया है, आज इन्सान की जिंदगी घुट कर रह गई है, जो थोड़े से साधन रिक्रियेशन के रह गये हैं उन पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। बड़े बड़े लोग रिक्रियेशन के लिये सिनेमाघरों में जाते हैं, कोकटेल पार्टीज में जाते हैं या और बड़ी बड़ी जगहों में जाकर रिक्रियेशन करते हैं, पर यह सब गरीब आदमी के बस की बात नहीं रह गई है। चपरासी सारे दिन मेहनत करने के बाद कहीं भी थोड़ा सा विश्राम प्राप्त करते हैं तो इन बागों में प्राप्त करते हैं, इन लोगों की बड़ी दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति है।

आज सिपाहियों, एल. डी. सी. और चपरासियों को देखें, सरकार ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि २० प्रतिशत पुलिस के सिपाही टी. बी. के मरीज हैं। वे इसलिये मरीज हैं कि उनकी इतनी तनख्वाह नहीं कि उनको न्यूट्रिशन मिल सके। मैं बोर्डर क्षेत्र से आता हूं, बोर्डर की रक्षा के लिये वहां सिपाही पड़े हुए हैं। हमारे बोर्डर के साथ ही साथ लगे हुए पंजाब के थाने हैं, जितना पंजाब के थानेदार के टट्टू का अलाउन्स है उतनी भी हमारे यहां एक सिपाही की तनख्वाह नहीं है। तो इन लोगों के जीवन में कुछ भी क्षण रिक्रियेशन के हैं तो यह है कि वे लोग पब्लिक पार्क्स में जाकर कुछ क्षण के लिये विश्राम प्राप्त करते हैं। आज जो मजदूर तबके के आदमी हैं उनके जीवन का संघर्ष इतना बढ़ गया है, जिंदगी की जरूरियात की चीजों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, सरकार पूर्ण रूप से नाकामयाब रही है इन कीमतों को बढ़ने से रोकने में। एशिया के देशों का मुकाबिला करें तो बर्मा में ८ पोइन्ट, सीलोन में ५ पोइन्ट कीमतों के आंकड़े बढ़े हैं वहां हमारे यहां भारतवर्ष में २४ पोइन्ट कीमतों के आंकड़े बढ़े हैं। आज हमारे यहां इन्सान की जिंदगी दूभर हो गई है। यह तो गनीमत है कि रामनिवास बाग में जो पेड़ थे उनको मिर्जा इस्माइल ने कटवा दिया, वर्ना आज इन्सान की जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई है कि जीवन से मायूस और ऊबे हुए इन लोगों की लाशें उन पेड़ों से लटकती हुई मिलतीं, मायूस लोग आत्म-हत्या करने बाग में जाते।

श्री जोधसिंह (गिरवां) : आप कहीं आत्म-हत्या मत कर लेना।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज आत्म-हत्या के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जिंदगी आज बुरी तरह घुट चुकी है, राज्य के कानूनों के कारण जिंदगी मायूस हो चुकी है, टैक्सेज के भार के कारण इन्सान आज पूरी तरह दब चुका है। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि पब्लिक पार्क्स, म्यूजियम और जू को इससे निकाल दें।

आप धन्ना सेठों से, रईसों से पैसा नहीं लेना चाहते, तो कम से कम इन छोटी छोटी चीजों पर तो टैक्स मत लगाइये, इनको आम

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आदमी की पहुंच से बाहर मत बनाइये, कम से कम पब्लिक पार्क पर तो टैक्स न लगायें। यह तो आपके द्वारा आज तक लगाये गये सभी टैक्सेज़ में निकृष्ट दर्जे का टैक्स होगा। इसलिये मैं दुबारा निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। आपने इन विगत १० सालों में बागों के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये, पार्कों के इम्प्रूवमेंट की आपने कोई व्यवस्था नहीं की, आपने कोई नये पार्कों का निर्माण नहीं किया। आपकी यात्राओं के टी. ए., डी. ए. के आंकड़े सदन में पेश हुए, आपकी कोठियों पर कन्स्ट्रक्शन इस साल और पिछले सालों में किये गये, उनके आंकड़े हमारे सामने हैं, ६० प्रतिशत आप पर खर्च हो रहा है। आप अगर इकोनोमी करना चाहते हैं, खर्च में कमी करना चाहते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी को प्रेसिडेन्ट बना कर इकोनोमी कमेटी बना दें।

पर आप यह सब कुछ नहीं करना चाहते। टैक्सेज़ के भार से दबे हुए इन्सानों को आप और दबाना चाहते हैं, जिंदगी से मायूस और गरीब लोगों पर आप और टैक्स का भार बढ़ाना चाहते हैं, आप आम आदमी की धड़कनों को नहीं समझते, उसकी मुश्किलात को आप महसूस नहीं करते कि आज आदमी जिंदगी की घुटन से बुरी तरह घुट चुका है, आपके भ्रष्ट शासन और भ्रष्ट अधिकारियों ने, जिनके सम्पर्क में आम इन्सान आता है, उसको मायूस और निराश कर दिया है। वह मायूस हो चुका है आपकी तरफ और उसका हृदय अंगारा बनता जा रहा है, वह भड़कने के लिए तैयार है। कम से कम इस प्रकार का टैक्स लगा कर आप उनके साथ और ज्यादती करेंगे और एक गम्भीर अन्याय करेंगे। मैं मन्त्री महोदय, माननीय भीखाभाई हैं, मैं उनकी कद्र करता हूं उनका मुतस्सिर हूं। वे बजरंगबली के भक्त हैं, जब भी जाते हैं तो बजरंगबली की भक्ति में लीन रहते हैं। अतः मैं हनुमानजी के परमभक्त से विनती करूंगा कि इस पाप के अधिकारी, भक्त-राज आप न बन जाओ।

(६.०० म. प.)

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के अन्दर जो अभी टैक्स लगे हुए हैं, मैं यह कहने की शक्ति रखूंगा कि दुनिया के अन्दर सबसे ज्यादा टैक्स यदि कहीं हैं तो यहां इस देश में हैं। फिर भी टैक्सों की भरमार हो रही है और न जाने कितने और टैक्स लगाये जायेंगे। पब्लिक पार्क्स पर जो टैक्स लगाया जा रहा है उसको यदि आप ध्यान से देखें तो जो आप इस समय टैक्स ले रहे हैं उस पर भी और टैक्स लगा रहे हैं। जब आप टैक्स वसूल करते हैं, अथवा लगाते हैं तो आप जनता से यह कहते हैं कि टैक्स इसलिये लगा रहे हैं कि हम आपके लिए मनोरंजन के साधन जुटायेंगे; आपकी बेहतरी के लिए काम किये जायेंगे। लेकिन जिस टैक्स को लगा कर आप बेहतरी के काम कर रहे हैं, पब्लिक पार्क्स पर आप टैक्स लगा रहे हैं, फिर उस पर भी और टैक्स लगायें तो यह डबल टैक्सेशन की तारीफ में आ सकता है।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन पब्लिक पार्क्स की मंशा के बारे में कहना चाहूंगा। आखिर पब्लिक पार्क्स क्यों रखे जाते हैं ? यह सम्भव नहीं है कि हर जगह पर शहर के रहने वाले हर आदमी के लिए प्राकृतिक चीज पैदा की जा सके, उसको

(श्री गंगासिंह राठौड़)

डेवलप किया जा सके। यह भी संभव नहीं है कि वे सब जंगलों में जा सकें। मुख्यतः यह स्वाभाविक है कि मनुष्य का प्रकृति से और प्राकृतिक दृश्यों से गहरा सम्बन्ध है। ऐसी दशा में उनको प्राकृतिक दृश्यों की छाया प्राप्त हो सके। शहर वालों के लिए, तो यह इन पार्क्स में ही सम्भव हो सकती है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक जीव-जन्तु भी उनको देखने के लिए इन्हीं पार्क्स में ही मिल सकते हैं, इसी ध्येय से ये पार्क्स बनाये गये थे। लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि जिस मंशा से ये पार्क्स बनाये गये थे उनकी मंशा भी पूरी नहीं हो रही है जबकि आप पार्क्स के लिए फीस ले रहे हैं। फीस देने का मतलब यह होगा कि लोग वहां पर इने-गिने रूप में ही जा सकेंगे।

आम जनता के लिए जो ये पार्क्स रखे गये हैं वे उनके उपयोग में नहीं आ सकेंगे। आपकी मंशा की पूर्ति भी इससे नहीं होगी। पार्क्स की बेहतरी के लिए होना तो यह चाहिये था कि आप लॉन्स लगायें, उनके बेहतरी के कार्य करें, अच्छे जीव-जन्तु वहां पर रखें जिनको नागरिक लोग देख सकें। आप उनको बिना किसी टैक्स या फीस के आम जनता को देखने देते। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि राजस्थान सरकार उन पर फीस लगा कर एक रुकावट पैदा कर रही है, जो पार्क्स की मंशा के ही खिलाफ है। राजस्थान पब्लिक पार्क्स एक्ट बनाया गया। उसको यदि ध्यान से देखा जाय तो उसमें जो मंशा बतलायी गयी है वह यह है कि राजस्थान सरकार ने कभी यह नहीं चाहा और न ही कोई ऐसी मंशा थी कि पार्क्स पर कोई फीस लगायी जायगी। लेकिन यह अमेन्डमेन्ट बिल लाया गया जो कि पहले पब्लिक पार्क्स एक्ट पास हुआ उसकी मंशा के खिलाफ है। इसको मद्देनजर रखते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि यह जो अमेन्डमेन्ट बिल पेश किया गया है उसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री।

श्री भीखाभाई (वन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जो बहस चली उसके अन्दर........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट में ही कुछ कह दूं। इधर बात करने में लग गया था।

श्री भीखाभाई : अब आपका तो हक हो गया ? मुझे कॉल कर लिया था।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री इसको वापिस ले रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री भीखाभाई : कौन वापिस ले रहा है ? आपकी इच्छा होगी।

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहनी है। वापिस लेते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Yes continue.

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, यहां मैंने अभी जो बहस हुई उसको सुना। माननीय सदस्यों ने जो संशोधन दिये उन

(श्री भीखाभाई)

पर उन्होंने विवाद किया । जो माननीय सदस्य जयपुर से आने वाले हैं उन्होंने अपने भाषण के अन्दर यह बात बतायी कि सार्वजनिक उद्यानों के अन्दर हम कोई टैक्स लगाना चाहते हैं। जो माननीय सदस्य हवामहल (निर्वाचन) क्षेत्र से आते हैं उन्होंने भी यही बात कही कि हम शुद्ध वायु पर भी कोई टैक्स लगाना चाहते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ध्यानपूर्वक इस राजस्थान सार्वजनिक उद्यान (संशोधन) विधेयक को पढ़ा होता और ठीक तरह से देखा होता तो शायद उनके दिमाग में एक यह जो गलत फहमी फैली है वह दूर हो जाती ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान पब्लिक पार्क्स एक्ट सन् १९५९ में पास हुआ था, उसकी डेफिनिशन्स का क्लॉज है जो सब क्लॉज (२) है उसके अन्तर्गत यह है कि : 'Park' means any park or garden declared to be a public park under this Act as well as any zoo within any public park so declared;"

जो वन मंत्री का स्फीयर है उसके अन्दर केवल जहां जू की परिभाषा आती है वह पब्लिक पार्क्स में आती है और वहीं तक वह है । अगर सार्वजनिक उद्यान पर कोई फीस आयद करने की बात होती तो सार्वजनिक निर्माण मन्त्री इस बिल को पाइलोट करते । लेकिन यह इस प्रकार की बात नहीं है । जू पर एक मामूली फीस लगाने की बात है, कोई टैक्स लगाने की बात नहीं है । यह भी नहीं है कि कोई टैक्स आयद किया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान ही नहीं किन्तु राजस्थान से बाहर; मद्रास, बम्बई, बिहार आदि कई प्रान्तों में जू पर नोमिनल फीस आयद की गई है । उसके लिए कई मकसद हैं । एक मकसद तो यह है कि जो बेजा लोग घुस जाते हैं, जानवरों को तंग करते हैं, भले लोग जाते हैं उनको तंग करते हैं............

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : जिस इन्सान की जेब में टका नहीं है वह भला नहीं है और जिसकी जेब में पैसा है वह भला है ?

श्री भीखाभाई : फालतू लोग, जिसकी इच्छा देखने की नहीं होती, बाहर से लोग जिस प्रकार से देखने के लिए आते हैं, उनके पीछे वे ही घुस जाते हैं, शौकियाना तौर पर आनन्द आता है किसी को छेड़ने में, आनन्द आता है जानवरों को छेड़ने में; जिनको मिस्चीवियस आनन्द आता है, इस चीज को रोकने के लिए ही यह फीस लगाई गई है । राजस्थान से बाहर के अन्य प्रान्तों में भी इस प्रकार की फीस लगाई गई है । आपने सुना होगा दिल्ली के अन्दर एक जू के अंदर एक वाइट लोइन लाया गया । वह रीवा से लाया गया और उस जू को उसके लिए चार लाख रुपयों की कीमत चुकानी पड़ी । इस प्रकार के काम को विकसित किया गया और वर्ल्ड के जू में वह प्रसिद्ध हो गया । हम राजस्थान के जू का विकास करना चाहते हैं, इसकी वृद्धि करना चाहते हैं, यदि इस जू को विकसित करना चाहते हैं तो यह बहुत ही आवश्यक है; उपाध्यक्ष महोदय, कि कोई नोमिनल फीस लगायी जाय । रेजिस्ट्रेशन एडमिशन के लिए और उसके लिए कोई फीस हो, यह आवश्यक है ।

(श्री भीखाभाई)

इसीलिए इस संशोधन विधेयक के जरिये से इस बात की कोशिश की गई है कि राज्य सरकार को जहां कहीं जरूरत हो इस प्रकार की फीस लगाने का अधिकार रहे। कोई बड़ा टैक्स लगाने की बात नहीं है।

माननीय सदस्य ने यह कहा कि लाखों रुपयों के बंगले बना लिये और एडीशन और आॅल्टरेशन हुए, यह बात उस समय ही पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब को स्पष्ट कर देनी चाहिये थी। मेरे लिये भी कहा गया। इर्रिगेशन मिनिस्टर के बंगले के बारे में भी कहा गया, १५ हजार का मकान बनाया गया उसके लिए। मैं यह बताना चाहता हूं कि डेढ़ साल पहले बनाया गया था। यह भी कहना चाहता हूं कि प्राइवेट पार्टी से खरीदा हुआ मकान है, जिसके अन्दर बहुत खामियां हैं। कोई भी माननीय सदस्य आकर देख सकते हैं। एमर्जेन्सी के अन्दर बनाया गया हो, यह बात सही नहीं है। ये पहले की बातें हैं जो उन्होंने कही थीं। सरकार चाहती है गांवों के अन्दर भी उद्यान लगें, वहां भी बच्चों के खेलने के लिये क्रीडास्थल हों, यह सरकार का उद्देश्य है। आप देखेंगे कि कई गांवों में जहां नई नई स्कूलें खुली हैं वहां छोटे छोटे लॉन भी लगाने का प्रयास किया है इसलिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई बड़ा भारी टैक्स नहीं है। बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस प्रकार का टैक्स लगा कर जनता थोड़ा बहुत शौक रखती है उसको मिटा देना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। वे तो बोखला कर यह बात कहते हैं कि कांग्रेस सरकार के द्वारा देहातों के अन्दर जो थोड़ी बहुत प्रगति हुई है वह मिटा देना चाहते हैं। यह तो उनका निरा भ्रम है। यहां यह भी बात बताई गई कि ग्रामीण लोग जो शेर और चीतों को देखना चाहते हैं उन पर टैक्स लगाना चाहती है। उनसे मेरा यह निवेदन है कि वे लोग तो जंगलों के अन्दर ही रहते हैं, रात-दिन शेरों को और चीतों को देखते हैं, रीछ और भालुओं को देखते हैं उनको तो देखने की इच्छा नहीं रहती। ये तो शहर के लोग हैं जो अपना मनोरंजन इस प्रकार जू में जाकर करते हैं। इस पर भी यह मनोरंजन टैक्स नहीं; वह तो इसलिये है कि यह एक प्रकार से रेस्ट्रिक्टेड एडमिशन हो जाय और जो वास्तव में देखने के लिये आया हो वही उसमें प्रवेश पा सके, इसलिये यह जो कट-मोशन रखे गये हैं जिनमें माननीय सदस्यों द्वारा........

अनेक माननीय सदस्य : यह कोई बजट थोडे ही है जिस पर कट मोशन रखा जाय।

श्री भीखाभाई : I am sorry, Sir, मेरा मतलब संशोधन से है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से जो रायसिंहनगर से आये हैं उन्होंने जो संशोधन रखा है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय यदि वे समझते हैं यह पाप है, उन्हीं पर ढोलता हुआ मैं निवेदन करूंगा कि यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। उसके बाद जो राय होगी सरकार उस पर विचार करेगी और आगे उसको पारित करवाने की चेष्टा करेगी।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, बहस के समय यह प्रश्न उठाया गया था कि इससे आपको कितनी आमदनी होने वाली है, यह आपने नहीं बताया।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : It is a-restricted entry.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इससे सौ रुपया भी आमदनी नहीं मिलती है, तो ऐसे बिल के लाने से क्या फायदा ?

श्री भीखाभाई : Now there is no need for any discussion.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है जो कि संशोधन श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री दुर्गालाल बाढदार और श्री अब्दुलजब्बार ने रखे हैं कि इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय, उसे स्वीकार किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

राजा श्री मानसिंह (डीग) : No, Sir, Ayes' have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को पुनः रखता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यहां पर जो मौजूद हैं उनकी गिनती करली जाय। 'Noes' have it.

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिर से प्रश्न रखता हूं। प्रस्तुत विधेयक में जो संशोधन श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री दुर्गालाल बाढ़दार और श्री अब्दुलजब्बार ने रखा है कि इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय, उसे स्वीकार किया जाय।

(पुनः मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

राजा श्री मानसिंह : 'Ayes' have it, Sir.

(विभाजन की घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : मैं पुनः इस प्रश्न को रखता हूं। जो संशोधन प्रस्तुत विधेयक में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री दुर्गालाल बाढ़दार व श्री अब्दुल जब्बार ने रखा है, उसको स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

(विराम)

संशोधन गिर गया।

राजा श्री मानसिंह : Shame ! Shame !!

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

Will the Hon. Minister like to accept the second amendment ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : सैकण्ड अमेंडमेंट तो हमने मंजूर कर लिया न।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री विजयसिंह भाला ने प्रस्तुत किया है और श्री हांडा एवं श्री गंगासिंह ने प्रस्तुत किया है इसे सिलेक्ट कमेटी में देने के लिये, उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन मान्य किया गया।

Page No 81

(श्री उपाध्यक्ष)

The Bill be referred to the Select Committee. Names will be announced later on.

(६.२१ म० प०)

राजस्थान मनोरंजन कर, (संशोधन) विधेयक, १९६३

(विचार–विमर्श एवं पारित)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूं कि राजस्थान एन्टर्टेनमेंट टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, १९६३ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

(विराम)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस एन्टर्टेनमेंट टैक्स बिल के विषय में मेरा निवेदन करना यह है कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जावे कि जिससे वह इस पर पूरी तरह विचार कर सके। ऐसा कहने के लिए मैं अपनी मान्यता रखता हूं और मैं आप लोगों के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक वही पोजीशन, जैसी अभी थोड़ी देर पहले एक बिल के बारे में रखी और यह बताया कि राज्य सरकार की धारणा जब कभी भी टेक्सेशन के प्रश्न के सिलसिले में आती है........

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि क्योंकि बिजनैस काफी है आज का, इसलिये अपने वक्तव्य जितने संक्षेप में हो सके उतना संक्षेप में देने का प्रयत्न करें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तो मैं यह मान्यता रखता हूं कि जहां टैक्स का सवाल आता है तो इन सब बातों पर विचार किया जावे कि वास्तव में जो ये हम टैक्सलगाने वाले कानून जनता पर लादते हैं तो उनकी कितनी कद्र जनता करती है! बिना विचारे उनको जनता पर लादने की कोशिश की जाती है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि मनोरंजन में किस स्थान पर किस प्रकार का कर लगाना चाहिये या कर में वृद्धि होनी चाहिये या कमी होनी चाहिये यह हमने अच्छी तरह से कभी नहीं सोचा। यह ऐसा विषय है जिस पर साधारण तौर से या आसानी के साथ विचार करके इस कानून को पास नहीं कर देना चाहिये, बल्कि पूर्ण रूप से विचार करने के बाद और विशेषज्ञों की राय जानने के बाद इसको लाना चाहिये और पास करना चाहिये। इसीलिये इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने के लिये मैंने प्रस्ताव किया है।

माना कि सदन कॉम्पीटेन्ट है इस पर विचार करने के लिये और इसे पास करने के लिये; पर मेरी राय है कि सदन के सामने कन्सीडर्ड ओपीनियन आनी चाहिये इस विषय को समझने वालों की राय आनी चाहिये

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

ग्रौर इसके बाद यह पास किया जावेगा तो कुछ महत्वपूर्ण बात होगी। मेरा यह सुझाव साधारण दृष्टिकोण से नहीं ठुकरा दिया जाना चाहिये बल्कि इस दृष्टिकोण से भी विचार किया जाना चाहिये कि सिलेक्ट कमेटी जो भी होगी वह भी ग्रापकी होगी, उसमें जो कन्सीडर्ड ग्रोपीनियन देने वाले लोग ग्राप रक्खेंगे वे भी ग्रापके होंगे। वे शांतिपूर्वक ग्रौर निष्ठा के साथ इस पर विचार करेंगे ग्रौर इसके बाद वे ग्रपने रीजनिंग ग्रौर तर्क सब ग्रापके सामने रक्खेंगे ग्रौर जब उनकी कन्सीडर्ड ग्रोपीनियन ग्रा जावेगी तो उस पर विचार करने के बाद सोचना चाहिए कि किन मुद्दों पर टक्स बढ़ा सकते हैं, किन पर घटा सकते हैं; इसमें ग्रापको सहूलियत रहेगी। जनता की भावना को भी हमें इससे समझने में ग्रासानी होगी, जनता के हित–ग्रहित का भी हमें विचार करना चाहिये। हां, ग्रगर ग्राप चाहते हैं कि इस पर जल्दी निर्णय लिया जा सके तो इसके लिये ग्राप कम समय निर्धारित कर दीजिये, उतने समय में सिलेक्ट कमेटी ग्रपना निर्णय दे देगी। एक सप्ताह में कमेटी इसके बारे में ग्रपना निर्णय दे सकती है ग्रौर उसकी विशिष्ट सम्पत्ति इस पर प्राप्त की जा सकती है। यह ग्रापके हित की चीज है। ग्रापको सुन्दर सुझाव ग्रौर ज्ञान मिलेगा।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी के लिये रेफर किया जाना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मनोरंजन कर (संशोधन) विधेयक में बहुत थोड़े ही संशोधन हैं, पर इससे भी सरकार एक ऐसी शक्ति ग्रपने हाथ में लेना चाहती है कि जिससे वह जिस संस्था को चाहे कर से मुक्त कर सकती है ग्रौर किसी को ग्रर्ध–कर से मुक्त कर सकती है। इसके द्वारा कर मुक्त करने के सारे ग्रधिकार वह ग्रपने हाथ में लेना चाहती है।

इससे पहले भी ये ग्रधिकार उसके पास थे, पर ग्रब ग्रधिक निश्चित रूप में लेना चाहती है; पर इस तरह के पॉवर्स जब सरकार ग्रपने हाथ में लेना चाहती है ग्रौर लिये हैं ग्राज भी ग्रौर पहले भी ग्रौर जब कभी भी, तो उन ग्रधिकारों का सरकार ने दुरुपयोग ही किया है।

यह ग्रधिकार पहले भी सरकार के हाथ में था कि एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स से वह किसी सिनेमा को या किसी प्राइवेट संस्था को टैक्स से माफ कर सकती थी। वह टैक्स का रुपया म्यूनिसिपल कमेटी में जमा होता था ग्रौर इसके बाद सरकार की इजाजत होती तो संस्था को दिया जाता था। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पॉवर का हमेशा मिसयूज़ हुग्रा। तो इसलिये जब तक हम यहां सदन में कानून बनाते समय ही यह तय नहीं कर देते कि उसका उपयोग किस किस जगह किस किस तरह से करना चाहिये, यह तरीका जब तक डिफाइन नहीं कर देते तब तक इसका ग्रागे भी दुरुपयोग होगा। तो हमें इस बारे में भी एक निश्चित नीति निर्धारित करनी चाहिये, ताकि इस पॉवर का दुरुपयोग सरकार न कर सके।

मुझे मालूम है नेताजी सुभाष सरीखे देश के सर्वमान्य नेता के एक स्टेच्यू की स्थापना के निमित्त २३ जनवरी को हमने एक सिनेमा का खास शो लिया ग्रौर उसके लिये एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स की माफी की दर्ख्वास्त दी। पर सर-

(श्री मुरलीधर व्यास)

कार ने अभी तक उसकी माफी का पत्र नहीं दिया। सुभाष सरीखे व्यक्ति के स्मारक से बढ़ कर और कौन सा उपयुक्त अवसर इस टैक्स की माफी के लिये होगा, यह मैं नहीं समझता।

इसके विपरीत अगर सरकारी पक्ष का कोई व्यक्ति हुआ या पार्टी हुई तो उसे जल्दी माफी मिल जाती है, फिर चाहे वह उस पैसे को किसी राजनीति में लगावे, किसी दूसरे काम में लगावे। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि सिनेमा के मालिकों ने स्वयं ने चैरिटी शो करवाये हैं और उसका जो मनोरंजन कर सरकार के पास जाना चाहिये था उसका उन्होंने अपने फायदे के लिये उपयोग किया है। इसकी जांच नहीं हो सकती। तो इस तरह से इसका दुरुपयोग होता है तो इस बारे में एक स्पष्ट नीति होनी चाहिये तभी ये पॉवर्स सरकार के हाथ में दिये जाने चाहियें। वह नीति इसके द्वारा हो नहीं सकती, इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मनोरंजन कर के सम्बन्ध में जो सरकार मुक्ति चाहती है उसके पीछे यह भावना नहीं है कि उसका लाभ किसी संस्था विशेष को ही मिलता रहे और दूसरे लोग चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हों, चाहे जनता की भलाई का कोई काम भी करें, जिससे सबको लाभ हो उसको तो लाभ न मिले और दूसरों को लाभ मिले। यह मैं समझता हूं कि अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि जैसा इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा है वह इसलिये ही रखा है कि इस बारे में कुछ निश्चित रूप से सोचा जा सके और ऐसी व्यवस्था की जा सके कि ऐसे पावर्स का दुरुपयोग न हो। ऐसे निश्चित नियम और आधार बन जायें जिससे इसका फायदा सही माने में ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स को मिले जो कि सार्वजनिक हित में काम करने वाले हों। अगर इसकी दुरुपयोग की व्यवस्था रही तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसा आज तक हुआ है वैसा ही होगा।

हमने दो-तीन चैरिटी शो किये और आज तक उसके मनोरंजन कर की रकम नहीं मिली है। श्री जयप्रकाशजी उसका उद्घाटन करने आये थे, उन्होंने नेताजी के जीवन चरित्र के ऊपर प्रकाश डाला था। उसके बावजूद भी वह पैसा आज तक जमा है और वह पैसा स्मारक संबंधी पैसा था, २००)–२५०) रु० के करीब, वह आज तक नहीं मिला.......

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : सिनेमा शो का ?

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां, मनोरंजन कर का। तो यह तो परिस्थिति पैदा होती है। उसको स्पष्ट करने के लिये मैंने यह संशोधन रखा है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में दिया जाये ताकि वह इसके ऊपर गम्भीरता से विचार कर सके और उसकी ऐसी व्यवस्था कर सके कि कम से कम ऐसे मामलों में सरकार पक्षपात पूर्ण तरीके से इसका उपयोग न करे। इसी दृष्टिकोण से यह सिलेक्ट कमेटी का संशोधन रखा है और मैं समझता हूं कि सदन इसको मन्जूर करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

Page No 84

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी यह प्रस्ताव रखा है कि इसको सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाये और इसके बारे में मेरे दो आधार हैं । पहला आधार यह है कि सरकार को पहले भी यह अधिकार था कि मनोरंजन कर की रकम से वह किसी को एग्जेम्प्ट कर सकती है और उसने ऐसा किया भी है और इस संशोधन के आधार पर एग्जेम्पशन का कुछ हिस्सा छोड़ सकती है; यह अधिकार लेना चाहती है । यह संशोधन देखने में बहुत छोटा है और ऐसा प्रभावशाली नहीं दिखता, लेकिन पहले अधिकार जिस प्रकार के सरकार को मिले हैं और उन अधिकारों का जो दुरुपयोग किया है उस दुरुपयोग को देखते हुए यह इस प्रकार का संशोधन है जो कि आगे जाकर भ्रष्टाचार फैला सकता है और उसमें बड़े बड़े आदमियों का हिस्सा हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उदयपुर में जो नाटक मण्डल या नृत्य मण्डल है जैसे भारतीय लोक कला मण्डल है यह ऐसी संस्था है कि जिसके ऊपर कुछ व्यक्तियों का कब्जा है और उस मण्डल से हजारों रुपया महीने की इन्कम है, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार का कर नहीं लगता । तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोग जो नेता हैं उन्होंने ऐसी संस्थायें चालू कर रखी हैं जिसकी बदौलत से हजारों रुपयों की आमदनी करते हैं । उसका सारा पैसा कोई विद्यार्थियों के किसी फण्ड में लगाते हों ऐसी बात नहीं है, विधवाओं के ऊपर खर्च करते हों और किसी डिफेन्स फण्ड में देते हों ऐसा भी नहीं है । वह सारा का सारा पैसा नेता लोगों की जेब में जाता है और जो दूसरे नृत्य-मण्डल या नाटक मण्डल हैं उनको कर से मुक्त नहीं किया जाता । तो कहने का तात्पर्य यह है कि सदन ने जो अधिकार दिये हैं, सभी देखते हैं उनका दुरुपयोग हुआ है, उसके आधार पर भ्रष्टाचार फैला है और नेताओं का घर बना है ।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन आगे सोच-समझ कर अधिकार दे और सदन एक प्रकार की लिमिटेशन, एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन लगाना पसन्द करेगा कि किस आधार पर किसको मुक्त किया जा सकता है । तो उपाध्यक्ष महोदय, सदन यह पसन्द करेगा कि यदि इस प्रकार का आधार इसमें नियत किया जाये कि जो नृत्य–मण्डल या सिनेमा घर का मालिक इतना परसेन्ट डिफेन्स फण्ड में अपनी आमदनी का हिस्सा देगा उसको कर से मुक्त किया जाये, तो समझ में आ सकता है । या ऐसा मण्डल जो कि विद्यार्थियों के लिए पैसा दे या इस प्रकार का नाटक–मण्डल हो जो कि विधवाओं के लिए सहायता देता हो या ऐसी संस्था चलती हो जो कि छात्रवृत्ति देती हो तो उसी के आधार पर जो सदन तय करे उन्हीं आधारों पर मुक्ति कर में देनी चाहिए; अन्यथा किसी मिनिस्टर को यह अधिकार दे दिया जाये कि तुम जिस संस्था को या जिस सिनेमा शो को पसन्द करते हो उसको चाहे जितनी छूट दे सकते हो, यह बात समझ में नहीं आ सकती । इसलिए इन सारे आधारों को जब तक प्रवर समिति के सुपुर्द नहीं किया जायगा तब तक उनके ऊपर विचार नहीं किया जा सकता और सदन पसन्द नहीं करेगा कि एक अधिकारी को या मिनिस्टर को ये सारे के सारे अधिकार दे दिये जायें ताकि जैसा कि आज तक भ्रष्टाचार फैला है उसी प्रकार से भ्रष्टाचार आगे भी न फैले । इससे तो जनता

(श्री विजयसिंह झाला)

के घर बनते रहेंगे और नतीजा यह होगा कि जिस उद्देश्य के लिए यह काम में लाया जायगा उसकी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए प्रवर समिति के सुपुर्द करके सब आधारों पर विचार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एन्टर्टेनमेंट टैक्स, १९५७ की दफा ७ के क्लॉज (२) में सरकार ने यह अमेंडिंग बिल पेश किया है। इस दफा के तहत वे सारी चीजें वर्णित हैं जिनके ऊपर राजस्थान सरकार एन्टर्टेनमेंट टैक्स के अन्दर एग्जेम्प्शन दे सकती थी लेकिन केवल एग्जेम्प्शन दे सकती थी, उनको रिड्यूस नहीं कर सकती थी, कम नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा सरकार ने एन्टर्टेनमेंट टैक्स रिड्यूस करने के भी अधिकार प्राप्त किये हैं। वे सारी चीजें जिनके ऊपर सरकार टैक्स एग्जेम्प्ट कर सकती थी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं :

"The entertainments Tax shall not be levied on payments for admission to an entertainment where the State Government is satisfied—

(a) that the entire gross proceeds of such entertainment are devoted to philanthropic, religious or charitable purposes without any charge on such proceeds for any expenses of the entertainment, or

(b) that such entertainment is of a wholly educational character; or

(c) that such entertainment is provided for purposes which are wholly or partly educational, cultural or scientifie by a society not conducted or established for profit, or

(d) that such entertainment is provided by a society not conducted for profit and established solely for the purpose of promoting the public health or the interests of the industry of agriculture or of a manufacturing industry or of any branch thereof and consists solely of an exhibition of—

(i) articles which are of material interests in connection with questions relating to the public health, or

(ii) the products of any such industry or branch thereof, for promoting the interests of which the society exists, or

(iii) materials, machinery, appliances or food-stuffs used in the production of those products.........".

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर कि एन्टर्टेनमेंट टैक्स होना ही नहीं चाहिए और सरकार का यह डिस्क्रिशन है कि सरकार बाकायदा गजट में स्पेसिफाई करके कुल चीजों के ऊपर एन्टर्टेनमेंट टैक्स एग्जेम्प्ट कर सकती है। लेकिन वह एक कुनबा परस्ती को परवरिश दे रही है। आज जीवन की जो दुर्लक्षपूर्ण स्थिति है और हर मिडल क्लास का आदमी, निम्न तबके का आदमी आज जिस प्रकार के गंभीर संघर्ष में फंसा हुआ है, उसके लिए एन्टर्टेनमेंट एक बड़ी बला बन गई है। कोई व्यक्ति कुछ थोड़े से

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

समय के लिए विश्राम चाहता है और किसी सिनेमाघर में टिकट खरीदता है तो सिनेमाघर के टिकट इस कदर मंहगे हो रखे हैं कि उनका खरीदना असम्भव सा हो गया है। इसके साथ ही साथ एक बिल आपके सामने पेश हुआ था अभी, उसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया जिसमें लोगों के रास्ते भी बन्द कर दिये। दो–चार हजार आदमी तो ऐसे हैं कि जो बाग के बीच में से अस्पताल, कॉलेज और दफ्तर जाने के लिए वहां से गुजरते हैं, वे ख्वामख्वाह इसके शिकार हो जायेंगे। सरकार अपने चहेतों को, मित्रों को और बन्धुओं को, सबको प्रसन्न करने के लिए जब चाहा इनायते करम कर दिया। वैसे तो प्रसन्न करने का जो तरीका है उसमे जनता पूरी तरह से परिचित हो चुकी है। एक तरफ नाट्य अकादमी है, उनको ग्रन्टशन्ट पैसा मिलता है, बजट के आंकड़े मौजूद हैं और फिर उनको हर प्रकार के प्रोटेक्शन सरकार ने दे रखे हैं। इसके अतिरिक्त आज सरकार एक अधिकार और लेना चाहती है कि बहुत सी ऐसी संस्थायें है जिनके लिए रिड्यूस करके उनके ऊपर इनायते करम कर दे, उनके लिए बहुत सा फायदा कर दे, सरकार ने अपने इस अधिकार की ऑर्बिट को और खुला किया है, अपनी मेहरबानियों को वसीह करने के लिए और अधिकार लिये हैं। आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए और अधिक अधिकार ले रहे हैं। होता तो यह अच्छा कि सरकार निश्चित रूप से ऐसी चीजों के ऊपर जिनके ऊपर एन्टर्टेनमेंट टैक्स नहीं लगाना चाहिए इस १९५६ के बिल को ही वापस ले लेती। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर सरकार को निश्चित रूप से टैक्स नहीं लगाना चाहिए; उसको रिड्यूस करने का क्या सवाल आता है हैल्थ के लिए प्रदर्शनों को एग्जेम्प्ट कर सकते थे। ऐसे बहुत से एन्टर्टेनमेंट्स हैं जिनके ऊपर सरकार, जैसे एज्युकेशन, चेरिटेबल कई फन्कशन्स होते हैं, उन पर रिड्यूस करने का सोचेगी। सरकार ने रिड्यूस करने के अधिकार लिये हैं। मानलें कि डिफेन्स फंड के लिए डिस्प्ले होता है। अभी एक छोटा सा वाकया हुआ है कि रेलवे यूनियन के लोगों ने गंगानगर के अन्दर एक हॉकी का टूर्नामेंट, जिसमें मेल और फीमेल टीमें हॉकी खेलीं, जिसमें फन्ड्स का कलेक्शन काफी हुआ, नेशनल डिफेन्स फन्ड के लिए और उन लोगों को जिनको टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने अपनी सारी इनकम डिफेन्स फंड में दे दी, उसके बाद में सैक्रेटरी के पास में नोटिस पहुंच गया कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जितनी आमदनी हुई उसमें से खर्चा काटकर देश की सुरक्षा के लिए दे दिया, लेकिन कौल साहब के महकमे का नोटिस, जो बेचारा उसका सेक्रेटरी रेलवे का गार्ड है उसके दरवाजे पर लट्ठ लिये हुये बैठा है। सारा टैक्स ५००), ४००) रु० का बनता है। वह गरीब गार्ड कहां से दे ? अच्छा तो यह था कि कम्प्लीटली टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाता, लेकिन जो आज बिल आया है उसमें सरकार को टैक्स रिड्यूस करने की आवश्यकता हो गई। इस बारे में मेरी पहले कौल साहब से बात हो गई, तो उन्होंने कहा था कि वह टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं कि वे बातचीत करेंगे तो कहेंगे कि नये कानून के मुताबिक टैक्स रिड्यूस हो जायगा तो उस गरीब के साथ टैक्स रिड्यूस कर दिया जायगा, एक्जेम्प्ट नहीं किया जायगा। इसलिए अब सरकार की तलवार, जिसके अब तक एक तरफ धार थी उसके दूसरी तरफ भी धार हो

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रही है। मैं निश्चित मत प्रकट करता हूं कि आज जिस प्रकार का ऊल-जलूल बिल पेश किया जा रहा है वह निहायत शेख चिल्ली-याना चीज है। मैं यह चाहता हूं कि डिप्टी मिनिस्टर एज्यूकेशन का बंगला रामनिवास बाग के अन्दर शामिल कर लिया जाय तो उन्हें महज दाखिल होने की नोमीनल फी देनी पड़ेगी जो कि एक शराफत का पुर्जा होगा, जैसा कि अभी ट्रेजरी बेन्चेज से कहा गया है और जो नोमीनल फी नहीं दे सके और वह पुर्जा नहीं ले सकते तो वह उसका लेबल होगा, जैसा कि अभी वन मंत्री महोदय ने कहा कि इसका मकसद जानवरों की जो छेड़खानी की जाती है उसको रोकना है। पुर्जा लेकर जो आदमी जायेगा वह जानवरों को तंग नहीं करेगा। उसका हृदय–परिवर्तन किसी की तबियत आ गई कि शेर को छड़ी से उकसाये तो नहीं उकसायेगा, क्योंकि उसकी आत्मा पवित्र कर दी गई है। मैं अर्ज करूंगा कि मेरा निश्चित नम्र निवेदन है कि जिस तलवार के सरकार के एक एक तरफ धार थी एग्जेम्प्ट करने की, तो आज दूसरी तरफ उसके रिड्यूस करने की धार लगा दी है। सरकार इस बिल से वह अधिकार लेना चाहती है। एक निश्चित कैटेगरी बना लेनी चाहिए। इस चीज को आज सरकार ने रखा है तो अपनी महरबानियों के लिए, इनायते–करम के लिए रखा है। हम चाहें तो कर दें और हम नहीं चाहें तो नहीं कर दें। तलवार के दूसरी तरफ धार लगा दी है। हम चाहें तो रिड्यूस कर दें। इन सारी चीजों की कैटेगरी तय कर लेनी चाहिए कि इस प्रकार के हैल्थ के लिए पर्फोर्मेन्स के लिए कोई मत-लब नहीं कि टैक्स लिया जाय। सिनेमा के लिए कोई मतलब नहीं, टैक्स लगायें; अगर किया जाय तो हायर क्लास पर किया जाय। अगर गरीब लोग रिक्रियेशन करना चाहते हैं, निजाद हासिल करना चाहते हैं तो निजाद हासिल करने में रोड़ा न अटकायें। यह कह कर हूं बैठता हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और वहां पर इस पर विचार किया जाय।

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एन्टर्टेनमेंट टैक्स (एमेंडमेंट) बिल, १९६३ जो पेश हुआ है उसके अनुसार राजस्थान सरकार यह डिस्क्रीशनरी पॉवर्स लेना चाहती है कि वह चाहे जिसको तो एक्जेम्प्ट कर दे टैक्स से और चाहे जिसको रिड्यूस करे और चाहे जिसको रेमिट करे। यह जो डिस्क्रीशनरी पॉवर्स इस बिल के जरिये सरकार ले रही है वे इतने ज्यादा डिस्क्रीशनरी पॉवर्स हैं कि उन डिस्क्रीशन्स का दुरुपयोग होने की पूर्ण सम्भावना है। इसमें हम देखते हैं कि एन्टर्टेनमेंट्स के द्वारा भी आमदनी चारों तरफ हो रही है और हो सकता है कि इस टैक्स का दुरुपयोग करते हुए जो सत्ताधारी पार्टी है वह अपनी पार्टी के फण्ड में अगर कोई रुपया दे दे तो उन टैक्सों में रिडक्शन या रेमीटेन्स हो सकता है। ऐसी सूरत में मैं यह देखता हूं कि इतने लार्ज स्केल पर जो डिस्क्रीशनरी पॉवर्स दिये हुए हैं वे इस असेम्बली को राजस्थान सरकार को देना वाजिब नहीं है। तो उन बातों को नजर रखते हुए इस सदन से निवेदन करूंगा कि यह जो बिल है वह किसी एक सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय जिससे कि कुछ आधार पर प्रिंसिपल्स नियत किये जायं कि किन २ एन्टर्टेनमेंट्स में तो टैक्सेज पर डिस्कशन होगा, और किन किन पर रेमीटेन्स होगा ।

(श्री गंगासिंह राठौड़)

इस आधार पर जो सिद्धान्त के अनुसार आप देखें कि अमुक अमुक जो एन्टर्टेनमेंट के साधन है उनमें तो टैक्स पर रिडक्शन होगा और इनमें रेमीटैन्स होगा। उस समय मैं यह कहूंगा कि सरकार को जो वाइड पॉवर्स दे रहे हैं, उसका कुछ कर्टेलमेंट कर सकेंगे और सरकार डिस्क्रीशनरी वे में चाहे जिस पर टैक्स इम्पोज करे, या रेमीटैन्स कर सके वह नहीं कर सकेंगे। इस आधार को देखते हुए मैं इस हाउस से निवेदन करूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister !

श्री अब्दुलजब्बार : मेरा मोशन है, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : आपके एमेंडमेंट क्लॉजेज में हैं, इस पर नहीं हैं। क्लॉजेज नहीं हो रहे हैं।

(विराम)

माननीय मंत्री !

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि यह ऐसा एमेंडमेंट है जो सबसे नोन-कन्ट्रोशियल होगा, क्योंकि जितनी दलीलें सामने पेश हुई हैं वे दलीलें अगर एक्ट की धारा (२) को पढ़ लिया जाता तो उनको मालूम हो जाता, माननीय सदस्यों को कि जो चीज इस वक्त मौजूद है उसके काफी प्रिविलेजेज, उसके काफी असरात, काफी हकूक, काफी डिस्क्रीशन सरकार के पास हैं। सरकार ने अगर यह एमेंडमेंट पेश किया है तो अपने जो डिस्क्रीशन हैं उसके पास उनको थोड़ा सा लिमिट किया है, और इस लिमिटेशन के ऊपर मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को गौरव होता कि सरकार आई है सामने एक मसौदा लेकर जिससे ऐसे मौके पर भी कि जहां एग्जेम्प्शन एक हद तक दिया जा सके किसी मामले पर जैसा कि धारा में दर्ज है, किस किस चीज पर दिया जा सकता है तो ऐसे वक्त सरकार को यह दिक्कत न पेश हो कि इसको कुछ रिड्यूस करके, कुछ कम करके भी इस टेक्स में कमी कर दी जा सके। एग्जेम्पशन देने की जो पॉवर सरकार के पास पहले हैं वह पार्टली एग्जेम्पशन देने की पॉवर नहीं है, होटली एग्जेम्ट करने की पॉवर है। यदि सरकार यह देखे कि इसके ग्राउन्ड्स ऐसे हैं कि इसको थोड़ा सा फायदा दिया जा सकता है एन्टरटेनमेन्ट टैक्स में तो वह दे नहीं सकती जब तक कि क्लॉज २ है। यह ख्याल सरकार का था इसलिये यह वाजिब अमेंडमेंट आपके सामने रखा। इस वाजिब अमेंडमेंट के लिये भी यह, अगर माननीय सदस्य कहें कि वह भी एक सिलेक्ट कमेटी को जावे और वहां सिलेक्ट कमेटी इस पर कुछ कैद लगावे, कुछ शरायत लगावे, कुछ इस किस्म की बंदिश लगावे कि डिस्क्रीशन कम हो जाय तो मैं कह सकता हूं कि यह कहने की बात है; लेकिन डिस्क्रीशन में कोई कमी नहीं आ सकती। यह तो आप मान सकते हैं कि सरकार एग्जेम्पशन किसी चीज में न दे, ऐसी सरकार को रिजिड कर दें, ऐसा कानून बना दें कि सरकार कोई काम नहीं कर सके, डिस्क्रीशन नहीं कर सके...........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): (अश्रव्य)

श्री बालकृष्ण कौल : लेकिन वह डिस्क्रीशन रहेगा । यदि आप देखें क्लॉज २ में; उसमें लिखा है, कैद पहले लगी हुई है :

"Whenever in the opinion of the state Government reasonable grounds exist for doing so............"

इतनी बड़ी आपकी कैद लगी हुई है और इस सदन को अख्त्यार है कि यदि किसी वक्त सरकार ऐसा काम करे जो गलत है तो आपको, इस सदन को अख्त्यार है कि कभी भी वोट ऑफ नो-कॉन्फीडेन्स ला सकते हैं । लेकिन डिस्क्रीशन तब तक उस गवर्नमेन्ट के पास रहेगा जब तक वह गवर्नमेंट है । यदि आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो उसके पास रहेगा, कल दूसरी गवर्नमेंट यदि आयेगी तो उसके पास रहेगा । डिस्क्रीशन इस बात के लिये दिया है कि एग्जेम्प्ट किसको करना चाहिये, किसको नहीं करना चाहिये लेकिन ऐसा मौका भी सामने आता है जब कभी सरकार सोचती है कि पार्शियल फायदा देना चाहिये, पार्शियली एन्टर्टेनमेंट टैक्स छोड़ना चाहिये उस वक्त दिक्कत आती है, इसलिये यह अमेंडमेंट सदन में आया है । यह सिलेक्ट कमेटी में जावे, मैं सोच रहा था, शायद ऐसी कानूनी दिक्कत आवे या सुझाव आवे जिनके कारण मैं समझता हूं कि यह सिलेक्ट कमेटी में जाता । लेकिन जितनी दलीलें यहां दी गई, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करेंगे, वे इस किस्म की कन्विंसिंग नहीं थीं जिसके कारण ऐसा मसला सामने आया हो कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ।

कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी दिक्कतें सामने रखीं । अलवर की तरफ से जो माननीय सदस्य तशरीफ लाये हैं उन्होंने एक मैच का जिक्र किया । अलवर नहीं, रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य के वहां मैच हुआ और वहां रुकावट हुई एन्टर्टेनमेंट टैक्स की । यह ऐसा मसला है कि जिसके बारे में मालूम करूंगा । कहीं ऐसा नहीं हुआ हो कि एन्टर्टेनमेंट टैक्स के एग्जेम्प्शन के लिये पहले लिखा नहीं हो और बाद में लिखा हो और कानून की दिक्कत आई हो, तो मैं देखूंगा........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इसके लिये दरख्वास्त पहले दी है, मैं आपसे मिला भी हूं ।

श्री बालकृष्ण कौल : आप मिले हैं, एग्जेम्प्शन नहीं लिया........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं जानता हूं, मेरी दरख्वास्त वहां है । इसलिये कहता हूं कि मैं लाजमी तौर से आपसे मिला हूं, आपके पास मेरा रिप्रजेन्टेशन है ।

श्री बालकृष्ण कौल : क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने एन्टर्टेनमेंट टैक्स पहिले लिया या और बाद में उसके लिये लिखा था ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पहले लिखा था ।

श्री बालकृष्ण कौल : एग्जेम्प्शन के लिये पहले लिखा या टैक्स लेने के बाद लिखा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लिखा पहले ।

श्री बालकृष्ण कौल : एग्जेम्प्शन पहले मिला या नहीं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं मिला, क्योंकि आपका सक्यूंलर था कि डिफेन्स फंड के लिये जो नाटक आदि किया जायगा उनके लिये एन्टर्टेनमेंट टैक्स का एग्जेम्पशन किया जायगा। इस कॉन्फीडेन्स में आपको लिखा गया। सारी इन्कम नेशनल डिफेन्स फंड में भेजी गयी। जो इसके सेक्रेटरी थे उनके खिलाफ आपकी लाएबेलिटी कायम हो गई।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : एग्जेम्पशन मिल जाता तब तो झगड़ा ही क्या था ?

श्री बालकृष्ण कौल : यदि कोई गलती हुई है तो उसके माने यह नहीं है कि उस गलती के कारण सारा कानून ही गलत हो गया। इन्सान है, गलती हो सकती है। मैंने आपकी रिपोर्ट मानी। एक चीज सामने आई है उसका पता लगाया जायगा........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप क्या आश्वासन देते हैं एग्जेम्पशन आॅर्डर भेजने के लिये ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यकीन दिलाता हूं कि यदि वाजिब तौर से एप्लाई किया है तो एग्जेम्पशन मिलेगा। इस वक्त में नहीं कह सकता; क्या वाजिब है, क्या नहीं।

एक माननीय सदस्य जो बीकानेर से तशरीफ लाये उन्होंने सुभाष मेमोरियल के मुत्तलिक जिक्र किया, वहां भी एन्टर्टेनमेंट टैक्स वापिस नहीं हुआ। यह बात ऐसी है जिस पर मालूम किया जा सकता है। यदि गलती है तो दुरुस्ती की जा सकती है। लेकिन ये सब चीजें जो मुद्दा अमेन्डमेन्ट का है उससे मेल नहीं खातीं। मुद्दा यह है कि आज सरकार को पूरा अधिकार है कि एग्जेम्पशन करे, पूरा एन्टर्टेमेन्ट टैक्स छोड़ सकती है। लेकिन कोई ऐसा केस आवे जहां एग्जेम्पशन पूरा देना मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ फायदा देना चाहते हैं तो उस वक्त दिक्कत होती है। कई माननीय सदस्य भी सामने आते हैं और कहते हैं, ५० परसेन्ट या ४० परसेन्ट एग्जेम्पशन तो कर दीजिये, कुछ तो करना चाहिये। उस वक्त सरकार के हाथ बंध जाते हैं, इसलिये सरकार अपने डिस्क्रीशन में आगे बढ़े, जहां तक छोटे छोटे मामलों में कुछ हद तक फायदा किया जा सके, फायदा दे सके। यह इस किस्म का मसला है जो सरकार ने संशोधन के रूप में आपके सामने रखा है। मैं नहीं समझता कि क्लॉज २ में जो अमेन्डमेन्ट है उसके बजाय माननीय सदस्यों की इस किस्म की दलील हो कि सारे एक्ट को ही सिलेक्ट कमेटी रिव्यू करने लग जाय। मैं नहीं समझता कि जो क्लॉज हाउस में प्रस्तुत है उससे ज्यादा उनका हो जायगा, सारे कानून पर विचार करने लगें। माननीय सदस्यों को सोचना चाहिए कि क्लॉज २ ही इसका स्कोप हो, उसका विस्तार किया जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि विस्तार किया जाय या नहीं ? आप चाहते हैं कि लोगों को फायदा मिले या नहीं, इस पर विचार करना है। सरकार अच्छी नीयत से संशोधन रख रही है, जिस हद तक उचित समझें उस हद तक एग्जेम्पशन दिया जाय इसलिए यह संशोधन रख रही है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य जिन्होंने इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने का संशोधन रखा है वे उसे वापिस लेंगे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपने कहा कि जो एप्लाई करते हैं और जिनको उचित समझते हैं उनको एग्जेम्पशन

(श्री विजयसिंह झाला)

देंगे । आपकी 'उचित' की परिभाषा क्या है ? आप किसको उचित समझना चाहते हैं, यह सदन जानना चाहता है ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह तो दिया हुआ है । फैसला तो सरकार को करना होगा। सरकार जो भी फैसला करेगी वह उचित होगा, उसको मानना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक में जो संशोधन प्रस्तुत हुए हैं सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का उनको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये ।

(विराम)

प्रश्न यह कि राजस्थान एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स (अमेन्डमेंट) बिल विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

बिल विचारार्थ लिया गया ।

(७. म. प.)

श्री बालकृष्ण कौल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एन्टर्टेनमेंट टैक्स (अमेडमेंट) बिल........

श्री उपाध्यक्ष : It has been done. Clause 2.

Shri Satish Chandra Agrawal.

(अनुपस्थित)

Shri Abdul Zabbar.

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी संशोधन एक आया था पब्लिक गार्डन पर, दूसरा उसी के पैरेलल यह है । वह था जनता को तकलीफ देने वाला और यह सरकार को राहत पहुँचाने वाला है । इतना सा फर्क है इन दोनों में । दोनों अपनी अपनी जगह अपना अपना स्टेटस रखते हैं । अब पहले वाला जो बना हुआ है सेक्शन, जो ओरीजिनल है उसमें शब्द साफ तौर से दिये हैं; उन शब्दों में हेर फेर की है, उससे कुछ डाउट क्रियेट होता है और वह डाउट क्रियेट होना नेचुरल है । पहले इसमें था "exempt any entertainment or class of entertainments from the payment of the entertainment tax" अब अमेंडमेंट के बाद 'reduce or remit' आया है । चैम्बर्स ट्वेनटिअथ सेन्चुरी डिक्शनेरी को कन्सल्ट करने के बाद पता चला कि 'remit' and 'exempt' are quite different words. 'रेमिट' और 'एग्जेम्प्ट'-'रेमिट' का मतलब है, बिल्कुल छूट देना। 'रेमिट' का मतलब यह हो सकता है once deposited can be refunded also. यह साफ तौर से जाहिर होता है। 'एग्जेम्प्शन' शब्द है तो रेमिटेन्स की क्या जरूरत है । वह इस बात की पूर्ति करता है, Government is inclined to exempt certain classes of entertainment, then where is the necessity of bringing in the word 'remit' इसलिए 'रेमिट' शब्द डाउट क्रियेट करता है ।

फिर ऐसा समझ लिया जाय कि हम पब्लिक पार्क पर टैक्स लगाने की सोचते हैं

(श्री अब्दुलजब्बार)

तो उसको रिड्यूस करने के लिए इजाजत दे देते हैं तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। एन्टर्टेनमेंट टैक्स के रूल्स से साफ जाहिर है कि किस किस किस्म के शो और पर्फोर्मेन्स होते हैं जिन्हें टैक्स से मुक्त किया जा सकता है। टैक्स से मुक्ति मत दीजिये, मेरा सरकार से निवेदन है कि जब एक एक नये पैसे को सरकार अपने बत्तीस दांतों से पकड़ती है। उसे क्रेन से भी खींचे तो नहीं खींच सकता है। क्रेन से खींचने पर सरकार ऊपर उठ जाय लेकिन पैसा नहीं खींच सकते। इसलिए यह सरकार क्यों रेमिटेन्स की बात करती है। वह रिड्यूस कर सकती है। एग्जेम्प्शन की बात करती है then why the word 'remit'? जिन पर्फोर्मेन्सेज को' एग्जेम्प्ट' किया गया है, उनको 'रिड्यूस' कर दिया। टैक्स आमद हो उसमें राहत पहुंचे, अगर आप ख्वाहिशमन्द हैं कि राहत पहुँचे तो 'रिड्यूस' करके पहुँचायें, यों' टोटली एग्जेम्प्ट करके और सरकार जो खजाने को भरना चाहती है और जिनकी ताकत नहीं है, जिनकी हैसियत नहीं है, जिनकी ख्वाइश नहीं है कि सरकार को पैसा दे सकें, कि सरकार को टैक्स का पैसा दें तो कम से कम यह हो सकता है कि आप शब्द 'रेमिट' हटा कर 'रिड्यूस' रख लें। इस तरह 'एग्जेम्प्ट' को हटाते है तो कुछ डाउट क्रियेट करता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि 'रेमिट' का शब्द है उसके लिए आपने दलील पेश की है कि 'एग्जेम्प्ट' हटा कर 'रेमिट' क्यों आया है। जब 'एग्जेम्प्ट' अकेला रख दिया है तो 'रेमिटेन्स' की क्या आवश्यकता है? यह इसलिए लाया गया है कि या तो आपको पैसा देना है या इसके साथ हम सोचते हैं कि खजाने में पैसा जमा हुआ है उसके लिए चाहते हैं कि वह वापिस दिया जाय। डिक्शनेरी से साफ जाहिर होता है, यह मेरी बनाई हुई डिक्शनेरी नहीं है, बहुत क्वालिफाइड और लर्नेड आदमियों ने डिक्शनेरी का निर्माण किया होगा, उसमें रेमिट मनी के लिए साफ तौर से लिखा है, वह पढ़ कर मैं सुनाता हूं : 'Remit' means 'to relax, to pardon, to resign, to restore' खास तौर से इसमें लिया गया है। 'exempt' इसमें जो चीज है वह है कि सरकारी खजाने में टैक्स आ गया। उसने मजबूर किया कि हमें वापिस दे दो तो सरकार ने सोचा कि वापिस देना चाहिए। इसमें रेमिट का सवाल नहीं है, एग्जेम्प्शन का सवाल हो सकता है। The tax once deposited will be as if deposited for ever. और एग्जेम्प्टेड का सवाल आता है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दिया होता। लेकिन जब 'रेमिट' करना है और 'रिड्यूस' करके 'एग्जेम्प्ट' साथ में लायें तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज की पूरी शक्ल इस तरह डिफाइन करें जिससे 'रिड्यूस' को 'एग्जेम्प्शन' के साथ में लगाया जा सके। लेकिन 'एग्जेम्प्शन' को हटा कर 'रेमिटेन्स' के साथ में रखना, डाउट क्रियेट करता है कि आप किसी के साथ महरबानी और इनायत फर्मा रहे हैं, सरकारी खजाने में जमा हुआ पैसा वापिस करना चाह रहे हैं। लिहाजा मेरा संशोधन है कि वर्ड 'रेमिट' को हटा दिया जाय और 'रिड्यूस' रखा जाय। इससे आपका मतलब साफ हो जायगा, एग्जेम्प्शन और रिड्यूस को साथ दे सकते हैं। लेकिन यह डाउट क्रियेट करता है। यह लाजिमी चीज है कि 'रेमिट' शब्द को हटा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : I support it. रेमिट की जगह एग्जेम्प्शन को ले लिया जाय। यह छोटा सा अमेंडमेंट है और मेरी समझ में उचित है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोनों संशोधन प्रस्तावों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरी मान्यता है कि पहले शब्द था एग्जेम्प्शन और जो इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में लिखा है कि एग्जेम्प्शन का राइट हटे, लेकिन हम रेमिटेन्स और रिड्यूस का राइट और लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल में जो वर्डिग्ज इन्होंने लिखे हैं—उसमें 'एग्जेम्प्शन' वर्ड रहेगा। यह भूल से रह गया है या जान-बूझ कर रखा गया है। इसका अर्थ होगा कि सरकार को एग्जेम्प्शन का अधिकार नहीं है, उसको सिर्फ 'रेमिटेन्स' या 'रिड्यूस' का अधिकार रहे। जैसा कि इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में लिखा है कि हम एग्जेम्प्शन के साथ साथ 'रिड्यूस' और 'रेमिटेन्स' के राइट ले रहे हैं लेकिन जो भाषा यूज की गई है उसमें लिखा है कि सिर्फ 'रिड्यूस' और 'रेमिट' करना है, एग्जेम्प्शन नहीं करना है। तो शायद भाषा के ड्राफ्टिंग में गड़बड़ी या भूल हो गई है। वित्त मंत्री जी इसे अच्छी तरह से देखें। शब्द आता है 'रिड्यूस' ऐसी चीज करने के लिए, लेकिन रेमिटेन्स का अर्थ है कि चार्ज कर लिया है और उसकी प्रार्थना पर वह वापिस करना है, कम करना है, थोड़ा करना है। इसके अर्थ यह नहीं निकलते हैं कि टोटल्ली एग्जेम्प्ट कह रहे हैं, जबकि once you have declared in your objects and Reasons.

इसमें जो वर्डिग्ज हैं वे ये वर्ड्स हैं :

"The present sub-section (2) of Section 7 of the Rajasthan Entertainments Tax Act, 1957 only gives power of total exemption from tax in cases, where, in the opinion of the State Government, reasonable grounds exist for doing so."

It is considered necessary to have powers of reducing the rate of tax also where full exemption from tax might not be justifed, but reasons exist for granting partial exemption." मेरे ख्याल में वित्त मंत्रीजी इस पर पूर्ण रूप से विचार करके यह सोचें कि ये तीनों शब्द अलग अलग हैं–रिड्यूस, रेमिटेन्स और एग्जेम्प्शन। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो अमेंडमेंट माननीय सदस्य ने रखा है उसको मंजूर करें और इसमें जो लेना चाहिए एग्जेम्प्शन का राइट वह इन्कॉर्पोरेट होना चाहिए–ताकि किस प्रकार की चीज को एग्जेम्प्शन करना चाहें या नहीं; यह रहे। इसलिए रिड्यूस, रेमिट और एग्जेम्प्ट–तीनों वर्ड रहने चाहिए। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सहूलियत होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : श्रीमान्, जो मकसद था मेरा वह यह था, जैसा मैंने अर्ज किया था कि जहां चाहें थोड़ा कम किया जाय वह कर सकें। अगर कुछ लफ्जों की बहस हो, तो अगर माननीय सदस्य यह मान जायें कि इसमें मैं एग्जेम्प्ट होल्ली और पार्टली कर दूं तो 'रिड्यूस' और 'रेमिट' से मुक्त हो जायेंगे।

श्री विजयसिंह झाला : बिल्कुल ठीक है।

Page No 94

श्री बालकृष्ण कौल : आपका मतलब पूरा हो जायगा, और कोई दिक्कत नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : एक्सेप्ट कर लिया। धन्यवाद दो।

श्री उपाध्यक्ष : Are you putting another amendment ? "exempt wholly or partly" ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आप जोड़ लीजिये, वह मंजूर हो जाय।

श्री बालकृष्ण कौल : "Exempt partly or wholly"

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister will please propose the amendment.

श्री बालकृष्ण कौल : I have no amendment except this.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : "Reduce or exempt" ऐसा हो जाय।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : "Reduce or remit" के बजाय "Exempt partly or wholly" ठीक है।

श्री मोतीलाल चौधरी : धन्यवाद दो भाई।

श्री उपाध्यक्ष : 'Reduce or remit' की जगह माना जाय "to exempt wholly or partly," मैं समझता हूं कि इसको मद्दे नजर रखते हुए आप अपने अमेंडमेंड को विद्ड्रा करेंगे।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

श्री विजयसिंह झाला : मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मन्शा है कि श्री अब्दुलजब्बार और श्री विजयसिंह झाला को अपने संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

इजाजत दी गई।

श्री विजयसिंह झाला : I withdraw.

श्री अब्दुलजब्बार : ठीक है साहब, जब मंत्री महोदय इस बात के लिए तैयार हैं, और दोनों शब्द हटा रहे हैं जो डाउट क्रियेट करते हैं तो मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : पहले जो थे उनका भी यही मतलब था।

श्री बालकृष्ण कौल : In place of 'remit' it should be 'exempt wholly or partly'.

श्री उपाध्यक्ष : I take it as moved.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन अभी माननीय मंत्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

Page No 95

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २, यथा-संशोधित विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २, यथा-संशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रीएम्बल, टाइटल, इत्यादि ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रीएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े जाएं ।

(स्वीकृत)

प्रीएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मनोरंजन कर (संशोधन) विधेयक, १६६३ पारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मनोरंजन कर (संशोधन) विधेयक, १६६३, यथासंशोधित, पारित किया जावे ।

(स्वीकृत)

राजस्थान मनोरंजन कर (संशोधन) विधेयक, १६६३ यथा संशोधित पारित हुआ ।

(७.११ म० प०)

राजस्थान ग्राम-दान (संशोधन) विधेयक, १६६३

(विचार–विमर्श एवं पारित)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उपमंत्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान ग्राम-दान (संशोधन) विधेयक, १६६३ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो ग्राम–दान (संशोधन) विधेयक, १६६३ आया है उसके बारे में मैं यह प्रस्ताव रखूंगा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे ।

ग्रामदान में जितने भी गांव आये हैं और इस एक्ट के अनुसार जिस प्रकार वहां पर काम चल रहा है इसके बारे में हमें अच्छी तरह से सोचना होगा । उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सभा को यह अधिकार दिया गया है कि जो जमीन ग्रामदान से आती है वह सारी की सारी जमीन उस ग्राम सभा के मार्फत

(श्री विजयसिंह झाला)

वितरित की जावेगी और जब वह उनके द्वारा वितरित की जावेगी तो उनको अधिकार होगा कि वे उसको किसी भी प्रकार से लोगों को दें। चित्तौड़ तथा उदयपुर में जो ग्राम ग्राम-दान में दिये गये हैं और वहां पर किस प्रकार से जमीन का वितरण किया गया है उससे स्पष्टतया मालूम होता है कि जो व्यक्ति पहले से जमीन रखता है या तो उसको जमीन दी गई है या जो व्यक्ति अपने आपको सार्वजनिक काम करने वाला नेता बताता है उसको जमीन दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम में कुछ प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, उनको जमीन मिल जाती है और दूसरे लोग जो भूमिहीन होते हैं उनको जमीन नहीं मिलती है। जिस समय आचार्य-विनोबा भावे वहां पधारे थे उस समय उनको चित्तौड़ के दो गांव रसूलपुर और उसके साथ एक दौलतपुरा ग्राम-दान में दिये गये थे। उसको आप देखें तो एक गांव तो ऐसा है कि जिसमें एक भी घर नहीं है; केवल उजाड़ पड़ा हुआ है। वह जमीन किसको दी गई है, उसको आप देखें तो आपको मालूम होगा कि वह जमीन उन्हीं व्यक्तियों में बांटी गई है जिनके पास जमीन है। उसके साथ ही साथ दूसरा ग्राम रसूलपुरा है वहां पर १५ दिनों पहले की बात है कि वहां के लोगों ने एतराज किया कि हम ग्राम-दान के अन्तर्गत रहना नही चाहते। ग्राम सभा बनी हुई है, उस पर विश्वास नहीं करते, एक पार्टी कहती है तहसीलदार के सामने कि हमने ग्राम को ग्राम-दान में दिया। दूसरी पार्टी कहती है कि हम ग्राम-दान और ग्राम-सभा में विश्वास नहीं करते। इतना ही नहीं हमारे एक भूतपूर्व मंत्री महोदय ने ग्राम-दान की जमीन को सारे अपने रिश्तेदारों में वितरित कर दिया। जब लोगों ने आब्जेक्शन किया तो उन्होंने सारी जमीन ग्राम-दान के सुपुर्द कर दी। केवल सुपुर्द करने से सरकार ने उनके खिलाफ जो एलीगेशन्स थे उनको नहीं सुना। नतीजा यह हुआ कि उन्हीं मिनिस्टर साहब के रिश्तेदारों में अभी भी वह जमीन बंटी हुई मौजूद है। हालांकि जहां तक इस अमेंडमेंट का प्रश्न है, इसमें ग्राम सभा को यह अधिकार दिया है कि जो बंजर जमीन है उसको भूमिहीनों के अतिरिक्त दूसरों को वितरित नहीं किया जाए।

इसके अलावा मैं समझता हूं कि गोचर भूमि है उसका वितरण करने के लिये है उसमें मैं समझता हूं कि बहुत झगड़ा है और वह इसलिये है कि सारी की सारी गोचर भूमि जो है वह वितरित करके उसमें वे लोग अपने ही पशुओं को चरावेंगे और जो भूमिहीन लोग हैं उनके पशुओं को वहां पर चरने में एतराज करेंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप गोचर भूमि के वितरण करने में इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा दें कि गोचर भूमि को अलग अलग वितरण नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि हमने अधिकार दिया है, लेकिन गोचर भूमि के लिये अगर इस तरह से वितरण करने का अधिकार होगा तो इसका नतीजा यह होगा कि जो ग्राम सभा के सदस्य हैं वे भूमिहीन लोगों के पशुओं को वहां चरने नहीं देंगे और उन पर रोक लगा देंगे और इसमें कई प्रकार के टंटे होंगे। इसके साथ ही साथ जो कृषि योग्य भूमि नहीं है वह वितरित नहीं की जा सकती। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उदयपुर में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें कृषि योग्य भूमि है। मैं तो कहूंगा कि उदयपुर का सारा का सारा एरिया पहाड़ी एरिया है। अगर इसको किसी के कब्जे में दे दिया जावेगा तो उस भूमि में कम से कम घास पैदा होगा

Page No 97

(श्री विजयसिंह भाला)

और अकाल में यह समस्या है घास की कमी की वह दूर हो सकती है। दरअसल जो पहाड़ी भूमि है, गौचर के अलावा बहुत सी भूमि बेकार पड़ी है, उसको भी अगर आप किसानों में वितरित कर दें तो घास की समस्या है वह सौल्व हो जावेगी और राजस्थान को बाहर भेजने का मौका मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बहुत सी उलझनें हैं जिन पर हमें सोचना होगा, जिसके लिये ग्राम सभाओं को अधिकार दिये गये हैं। साथ ही साथ जो गौचर भूमि को वितरित करने का अधिकार दिया गया है उसके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि वह सारी की सारी जमीन कुछ ही लोग अपने पशुओं को चराने में ले लेंगे और दूसरों को इसका उपयोग नहीं करने देंगे। इसके साथ साथ दूसरी भूमि जो बेकार पड़ी है वह हमेशा के लिये बेकार पड़ी रहेगी। इन सब बातों पर हमें विचार करना चाहिये। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Minister-in-Charge.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : राजस्थान ग्राम-दान (संशोधन) बिल के बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। वैसे यह मूलभूत विधेयक नहीं है, एक अमेंडिंग बिल है और उसमें ऐसा एक साधारण सा क्लॉज है, जिसके ऊपर ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य ने बताया कि ग्राम-दान और ग्राम सभाएं केवल ढकोसला है, वहां पक्षपात होता है और जो लोग श्रद्धा नहीं रखते ग्राम-दान में, वे भी घसीट लिये जाते हैं और उसके बाद में मनचाहे तरीके से जमीन वितरित की जाती है। वास्तव में ये सारी बातें जो माननीय सदस्य ने कही हैं वे नियम के विपरीत हैं। जो भी कोई ग्राम-दान करना चाहता है तो उसके लिये निश्चित नियम बने हुए हैं उसको डिक्लेयर करने के लिए। उसके बाद में नोटिस निकलता है गजट में कि जिस किसी को एतराज है उस जमीन के बारे में या कोई दिलचस्पी रखता है तो उस संबंध में एतराज कर सकता है। उसके एतराज सुनने के बाद जो भी फैसला होता है उसके खिलाफ अपील भी प्रोवाइड की गई है। इसलिए किसी की इच्छा के विपरीत इस ग्राम-दान योजना में घसीटने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

बहुत समय पहले आचार्य विनोबा ने पारस्परिक सहयोग और सहकार के आधार पर एक योजना बनाई थी और हिन्दुस्तान के लोगों के सामने एक तस्वीर रखी थी जिससे हम गांव के लोगों का आर्थिक विकास करें, उनमें सहयोग और सहकार की भावनायें उत्पन्न करें। इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर, सभी प्रांतों में इस प्रकार के कानून बने। १६६० में राजस्थान में भी ग्राम-दान एक्ट पास किया गया और इसके फलस्वरूप अब तक सारे राजस्थान में करीब ६३ गांव ऐसे हैं जो घोषित हो चुके हैं और करीब ५४ गांवों में ग्राम सभाएं बन चुकी हैं।

अब सवाल यह है कि अमेंडमेंट को समझाने के लिए जो प्रावधान है, सेक्शन ६, उसमें प्रोवाइड किया गया है :—

'All common lands other than lands, if any, specified by the State

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

Government by notification in the official Gazette, shall vest in the Gram Sabha"

कॉमन लैंड में चरागाह भी आता है। सरकार की अन्ऑक्यूपाइड लैंड है, वह इन ग्राम सभाओं में वेस्ट होती है। केवल एक शर्त है, सरकार चाहे तो नोटीफिकेशन इश्यू करके किसी जमीन को ऑपरेशन से एग्जेम्प्ट कर सकती है। जब यह सवाल आता है तो जिन सिद्धांतों से हमने इस बात को माना है और यह कानून बनाया है कि सारी जमीन समाज की होगी, गांव वालों के द्वारा चुनी हुई एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की होगी, जिससे उनका आर्थिक विकास हो। जब केवल जमीन वहां रह जाती है जो उन्होंने डोनेट की है तो इस आर्थिक विकास का स्वरूप अधूरा रह जाता है। जब उन्हें चरागाह या अनुऑक्यूपाइड गवर्नमेंट लैंड के अधिकार न हों, तो वह अधिकार अधूरा है। लेकिन सवाल आता है कि हम उनको स्पेसीफाई करें नोटीफिकेशन से कि इस जमीन के ऊपर अधिकार नहीं होंगे। उनको अधिकार होने चाहिए लेकिन उनका मिसयूज कहीं हो सकता है, तो उससे बचने का प्रावधान होना चाहिए और उनके लिए अगर कोई प्रावधान नहीं हुआ तो वह प्रावधान करना चाहिए।

यह मसला जब सरकार के सामने आया तो इस बात को स्वीकार किया गया कि अगर ग्रामीण इस योजना को सफल बनाना चाहते हैं तो जो चरागाह हैं या सरकार की जो अनुऑक्यूपाइड लैंड है वह उनमें वेस्ट करनी होगी। ग्राम सभायें वितरण करेंगी ताकि जिन उद्देश्यों से दी जाती है उनकी पूर्ति हो सके। लेकिन यह हो सकता है, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि अगर हम उनको जमीन दे देते हैं चरागाह की पशुओं के चरने के लिए, उनमें वेस्ट करते हैं और वे उसको इस काम में नहीं लेते हैं, आबादी को बसाने के काम में लेते हैं, या और किसी काम में, तो जो सुविधा दी है वह समाप्त हो जाती है।

दूसरा, सरकार की अनुऑक्यूपाइड लैंड है उसका मुख्य उद्देश्य खेती के लिए अलॉट करना था। अगर उस काम में न लेकर मकान बनाने के काम में लेते हैं या किसी ऐसे काम में लेते हैं जिसका खेती से ताल्लुक नहीं हैं तो फिर क्या हो? जब जमीन किसी भी संस्था में वेस्ट हो जाती है तो उस जमीन पर पूरे अधिकार हो जाते हैं और सरकार का फिर उसमें कोई दखल नहीं रह सकता। इस वजह से इस अमेंडमेंट के जरिए प्रावधान किया गया है। उसका आशय है कि जो जमीन अनुऑक्यूपाइड गवर्नमेंट लैंड है इस वक्त और वह ग्रामसभाओं में वेस्ट होगी, वह जिस काम के लिए उनमें वेस्ट होगी उसी काम को करेंगे। अलग २ परिवारों में बांटने का इसमें प्रश्न नहीं है। अगर ग्रामसभायें इस अधिकार का उल्लंघन करती हैं तो सरकार इस संशोधन के जरिए जो अधिकार लेती हैं वे तीन प्रकार के हैं; एक तो यह है कि वह जो इस तरह से ट्रांस्फर होगा नॉन-एग्रीकल्चरल यूज के लिए या चरागाह वाली जमीन को दूसरे पर्पज के लिए तो वह ट्रांस्फर होगा। दूसरी बात कि सरकार को यह भी अधिकार होगा कि वह शो-कॉज नोटिस देगी कि आपने इस जमीन को अमुक काम के लिए लिया था, उस काम में न लेकर किसी दूसरे काम में लिया है उसके लिए बताइये, अगर नहीं बताया तो सरकार

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

में वापस वह जमीन वेस्ट होती है। यह मिसयूज से बचने के लिए है।

तीसरा है हमारा अधिकार कि जब नाजायज तरीके से ग्राम सभा किसी नॉन-एग्रीकल्चरल यूज के लिए जमीन ट्रांस्फर कर दी, चारागाह की जमीन को किसी दूसरे काम में लिया, तो ऐसा ट्रांस्फर वॉइड होगा। ऐसे आदमी की हैसियत ट्रेस्पासर की होगी। उसको हमने डिफाइन किया है। सरकार उसको बेदखल करके जमीन अपने अधिकार में उसी प्रकार ले लेगी जैसे दफा ७१ में है। हमारे तहसीलदार को अधिकार होगा कि वह ऐसे आदमी को ट्रेसपासर समझे और जमीन का कब्जा वापिस उससे लिया जाय। दफा ६०,६१ व ६२ में ये प्रोवीजन्स है लैंड रेवेन्यू एक्ट के।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : पोइन्ट मेरा दूसरा था।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लीजिए।

श्री विजयसिंह झाला : मेरी जो शंका थी उसका जवाब नहीं आया है। ऐसे जो आपके ग्राम-दान हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में आ गए हैं, जहां एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए उस जमीन देने के लिए कहते हैं, हों जबकि वह दरअसल एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए जमीन नहीं है, तो क्या उस जमीन में वितरण करने के अधिकार दिए हुए हैं या नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने जल्दी बहुत की। आपने थोड़ी देर पहले कहा उसके बारे में भी मुझे कहना है। आपने कहा कि उदयपुर जिले में ग्राम-दान हुआ वहां हालत बहुत खराब है, वहां मुगालता दिया गया है आदि। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर जिले में कोई ऐसा ग्राम नहीं है जो ग्राम-दान में किया गया हो।

श्री विजयसिंह झाला : चित्तौड़ जिले में हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चित्तौड़ जिले में जरूर ७ ग्रामों का ग्राम-दान हुआ है। आपने यह बात रखी कि बहुत सी जगह ऐसी जमीनें हैं जो पहाड़ी हैं, खेती के काम में नहीं आ सकतीं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ग्राम-दान एक्ट में जो ग्राम आता है उस ग्राम में जितनी अन-ओक्यूपाइड लैंड होती है, चाहे पहाड़ी हो, मैदान हो, जो भी अनओक्यूपाइड लैंड होती है, वहां की वह अनऑक्यूपाइड लैंड ग्राम सभा में अलॉट होगी। अगर पहले अलॉट करने काबिल नहीं थी तो अलॉट नहीं हो सकेगी, अलॉट करने लायक है तो अलॉट होगी। जो पहले पाश्चर लैंड थी, फिट फोर कल्टिवेशन थी, वह उनको ट्रांसफर हो रही है। इसलिये यह सवाल इसमें महत्व नहीं रखता।

अन्त में मैं समझता हूं कि इस रेस्ट्रिक्शन की आवश्यकता महसूस करते हुए ही यह अमेंडमेंट इस सदन में प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं, मेरे इस स्पष्टीकरण के बाद, जो यह एक छोटा सा बिल है, इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का प्रस्ताव रखा गया है उसे माननीय सदस्य वापिस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप वापिस लेंगे ?

श्री विजयसिंह झाला : I beg leave to withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री झाला को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री विजयसिंह झाला : I withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान ग्राम-दान (संशोधन) विधेयक, १९६३ विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष, ग्राम-दान (संशोधन) विधेयक....

श्री उपाध्यक्ष : Let him make the motion.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान ग्राम-दान (अमेंडमेंट) बिल, १९६३ को पास किया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्री महोदय ने ग्राम-दान विधेयक पर अपना वक्तव्य दिया उस वक्तव्य से, जहां तक मैं समझता हूं या तो मंत्री महोदय ग्राम-दान की जो मूल मंशा है इसको लेकर ग्राम-दान की व्यवस्था की गई है, उन्होंने उसके विपरीत भी कुछ बातें उसमें कही हैं। जहां तक ग्राम-दान का सवाल है, चाहे विनोबाजी ने या और किसी ने इसकी व्याख्या की है, ग्राम-दान का मतलब उन्होंने यह समझा है कि ग्रामदानी ग्रामों के निवासी उस क्षेत्र की व्यवस्था करने में स्वतन्त्र हैं, वे ग्राम स्वशासित होने चाहिये, उन पर सरकार का किसी प्रकार का नियन्त्रण या प्रतिबन्ध नहीं हो। अब एक ओर तो ग्राम-दान के बारे में ऊंचे आदर्श यहां रखे गये हैं कि उन गांवों की जितनी जमीन है उसकी व्यवस्था उन गांवों के लोग करेंगे और इस विश्वास के साथ में कि वहां पर एक बड़ा भारी दिमागी परिवर्तन लोगों में हुआ है और वे सबके सब मिलकर जो सारे गांव की जमीन है उस सारी जमीन को गांव के लोगों को दे देते हैं; वह सारी जमीन वहां के निवासियों की सम्मिलित हो जाती है, उस पर सब मिलकर काम करेंगे और उसकी उपज का लाभ सब को समान रूप से मिलेगा। तो उस जमीन के दुरुपयोग का सवाल जब खड़ा किया जाता है तो इसके माने यह हुए कि या तो जो लोग ग्राम-दान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वे ठीक तौर पर कार्य नहीं कर रहे हैं या वहां ग्राम-दान की जो मूल मंशा है, जो ग्राम-दान के पीछे भावना है, उसके विपरीत वहां काम हो रहा है, इसलिये सरकार को इस प्रकार का संशोधन लाना पड़ा। तो इस मामले में मन्त्री महोदय स्पष्ट कहें कि ऐसे गांव चाहे ६३ ही हुए हों, जहां हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है उन ग्राम-दान ग्रामों में लोग उस जमीन का दुरुपयोग कर रहे हैं और उस जमीन का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिये हम इस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहते हैं। इस बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा है। क्या उन्होंने दस पांच गांवों में जाकर देखा है कि गोचर भूमि को लोग दूसरे काम में ले रहे हैं, कृषि की जमीन को लोग मकान बनाने के काम में ले रहे हैं, जो जमीन जिस काम के लिये है उसे उस काम

(श्री मुरलीधर व्यास)

में नहीं लिया जा रहा है, उस जमीन का दुरुपयोग हो रहा है। यदि ये बातें वहां पर की गई हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि ग्राम-दान की योजना भविष्य में सफल हो सकेगी या नहीं। जब गांव के लोगों ने सारी जमीनें अर्पित करदी हैं ग्राम-दान में तो सारे गांव के लोग मिल कर सोचेंगे कि यह गोचर भूमि है इसको यदि आबादी में या किसी भूमि में बदल देंगे या और काम में ले लेंगे तो गांव के जानवर कहां चरेंगे ? तो क्या यह चीज वे लोग नहीं सोच सकते। यदि कृषि की भूमि को आबादी में परिवर्तित करते हैं तो क्या वे यह नहीं सोचते कि वे लोग कृषि कहां करेंगे। यदि वे इस चीज को सोच सकते हैं तो इस प्रकार के परिवर्तन की क्या आवश्यकता है ? ग्रामदानियों ने, भूमिदानियों ने बड़े २ व्यक्तियों को यह काम सौंप रखा है कि वे लोगों के दिल और दिमाग का ग्रामदानी योजना के अनुकूल परिवर्तन करें, उन क्षेत्रों में कहीं गोकुलभाई भट्ट बैठे हैं तो कहीं और व्यक्ति बैठे हैं। यदि वहां ऐसी बातें होती हैं तो मैं समझता हूं हमारी ग्राम-दान योजना असफल हो रही है। अगर वहां ऐसा नहीं हो रहा है तो इस तरह का परिवर्तन लाने के माने यह हुए कि सरकार ग्राम-दान योजना की मूल भावना को, इस योजना के मूलभूत उद्देश्यों को समझती नहीं है, तो मंत्री महोदय जैसा कि उन्होंने कहा इस तरह का परिवर्तन करना चाहते हैं, यह ग्राम-दान की मूल भावना से विपरीत है। मैंने खुद ने देखा है कि ग्रामदानी गांवों में, हालांकि सब लोगों को मिल कर खेती करनी चाहिये, पर आज ग्रामदानी गांवों में चले जाइये, वहां यदि किसी के पास दो बीघा जमीन है तो वह उस दो बीघा जमीन को ही जोतता है, किसी के पास चार बीघा जमीन है तो वह उस चार बीघा जमीन को ही जोतता है, किसी के पास १० बीघा जमीन है तो वह १० बीघा जमीन को जोतता है और किसी के पास ६० बीघा जमीन है तो वह उस ६० बीघा जमीन को जोतता है और उसका फायदा उस ही को मिलता है। इस प्रकार की व्यवस्था आज भी मौजूद है तो मूल तौर से कह दीजिये कि इसमें आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने यह संशोधन रखा है वह मूलभूत भावना के विपरीत है। ऐसा यदि आपने कर दिया तो जो विनोबाजी के शिष्य हैं, चाहे गोकुलभाई भट्ट हों या और कोई हों, वे आपके पास आयेंगे और कहेंगे कि आप इस प्रकार का हस्तक्षेप कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है और फिर आपको संशोधन लाना पड़ेगा। यह सारी व्यवस्था ही यदि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही हो तो आप इसमें आमूल परिवर्तन कर सकते हैं। मेरा यही निवेदन है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : ये बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! Hon'ble Minister please ! इस पर काफी कह चुके हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी बहस के दौरान में यह बताया

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कि जो तरमीम सरकार की ओर से प्रस्तुत की गई है वह ग्राम-दान के मूलभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है और यह भी बताया कि जो बुनियादी उसूल विनोबाजी की फिलोसोफी के पीछे था वह यह है और उनकी राय में समाजवाद लाने में इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन रोड़ा है। आपकी बहस का लब्बेलुबाब यही है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे समाजवाद तक पहुंचने की बात हो, चाहे अच्छे से अच्छे कानून, फिलोसोफी की बात हो, जिसको क्रियान्वित करना है उसको निरंकुश रखने से उस मूलभूत उद्देश्य की पूर्ति हम नहीं कर सकते, जिस मंजिल तक हम पहुंचना चाहते हैं, नहीं पहुंच सकते।

अच्छी से अच्छी व्यवस्था में भी हमको इस प्रकार के अंकुश या रेस्ट्रिक्शन्स रखने पड़ते हैं और उस रेस्ट्रिक्शन से वह जो व्यवस्था है उसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है बल्कि जिन उद्देश्यों के लिए वह व्यवस्था की गई, जिन आधारों पर चलाना चाहिये उन आधारों पर निश्चित रूप से चलाने के लिए ऐसे रेस्ट्रिक्शन्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे खेती की जमीन लेना है। हम यह नहीं कहते कि अमुक अमुक को अलॉट कर दो, हम यह नहीं कहते कि सहकारिता के आधार पर मत करो, हम यह भी नहीं कहते कि सामुहिक खेती के लिए जमीन नहीं है, समाजवाद लाने के लिए जमीन नहीं है, उसको जमीन देने का प्रावधान हमने ग्राम सभा के सामने रखा है और हम उसके कार्य में कोई रुकावट नहीं डालते, हम उसके कार्य में कोई बाधा नहीं डालते। हम तो उस वक्त आते हैं जब कोई खेती की जमीन को कॉमर्शियल पर्पज के लिए, नोन-एग्रीकल्चर के लिए काम में लेता है। हम यह कहते हैं कि यदि आपको ऐसा करना है तो आप हमारी पहले इजाजत ले लीजिये। हमको यह मालूम हो जायगा कि जिस नोन-एग्रीकल्चरल के लिए काम में लेना चाहता है यदि हमारी राय में वह ठीक है तो हम उसकी इजाजत दे देंगे। हमने यह भी रखा है कि गवर्नमेंट की प्रीवियस पर्मिशन से कोई ग्राम सभा चाहे तो एग्रीकल्चर से नोन-एग्रीकल्चर में काम में ले सकती है। उसको पर्मिशन लेना होगा। यह इसलिए आवश्यक है कि अच्छी प्रकार से व्यवस्था हो। जिस दृष्टिकोण से यह प्रथा चलायी है उसका परिपालन ठीक तरह से हो। अगर यह तरमीम नहीं रखते तो सरकार के सामने दूसरा तरीका था और वह तरीका यह था कि वह अपने नोटिफिकेशन से इसको एक्सक्लूड कर सकती थी। वह ग्राम सभा में वेस्ट नहीं करती। क्या वह तरीका एक अच्छी समाजवादी व्यवस्था की तरफ ले जायगा? नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): गांधीवादी तरीका चाहिये, अंकुश नहीं चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: गांधीजी के सिद्धान्त और विनोबाजी के सिद्धान्त, ये हमको भी मालूम हैं। सिद्धान्त सबके एक हैं और उनके जितने सिद्धान्तों को सम्भवतया प्रतिपादित किया जा सकता है वह हम कर रहे हैं। उसी दृष्टिकोण से भी यह तरमीम रखी है। अतः मैं आपके विचार से सहमति नहीं रखता हुआ सदन के समस्त माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन करूंगा कि इसको पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान

(श्री उपाध्यक्ष)

ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

(७.४५ म. प.)

राजस्थान सैकण्डरी एजूकेशन (सैकण्ड अमेंडमेंट) बिल, १९६२

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सैकण्डरी एजुकेशन (सैकण्ड अमेंडमेंट) बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(विराम)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा उप-मंत्रीजी को पहलवानी का बहुत ही शौक है और पहलवानी के आधार पर ही वे अपने क्षेत्र से जीत कर आये हैं और उन्होंने जो २९-९-६३ को पहलवानी नाथद्वारा में बतायी ....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : फिर आपने आज बेतुका शुरू किया । इसका सम्बन्ध शिक्षा से है, पहलवानी से नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : पहलवानी को इन्ट्रोड्यूस करना चाहते हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हांडा साहब को नहीं समझ पाया ।

श्री प्रतापसिंह (राजाखेड़ा) : तन्दुरुस्ती के बगैर शिक्षा अच्छी नहीं चलेगी ।

श्री विजयसिंह झाला : तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उप-शिक्षा मंत्रीजी को डिप्लोमा और पदवी देने का भी शौक है, यदि हमारे उप-शिक्षा मंत्रीजी को गामा या दारा की पदवी दी जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कहीं पढ़ लिया मालूम होता है ।

श्री विजयसिंह झाला : हमारे उप-शिक्षा मंत्रीजी सदन के गामा पहलवान के रूप में हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहले की बात भी आप याद कर रहे हैं । वह तो हो गया ।

श्री विजयसिंह झाला : मर गया होगा । वह वापिस आप में जिन्दा हो गया । उसका पुर्नजन्म आपमें हो गया, इसलिए आपको उपाधि दी जा रही है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 'गामा' का शाखा में जाकर 'घामा' हो गया ।

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : गामा का हांडा हो गया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कहीं ग्रापका भांडा न हो जाय ।

श्री विजयसिंह झाला : ग्रभी ग्रापका चक्कर हुग्रा उदयपुर । जगह जगह पहलवानी दिखाते हुए, नाथद्वारा में पहलवानी दिखाते हुए जयपुर पधारना हुग्रा ।

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : Is it within the competence of the debate, Sir ? न मालूम कहां से दिमाग लाये पहलवानी का, मुझे मालूम नहीं होता ?

श्री उपाध्यक्ष : Probably he is referring to the importance of sports in the secondary education.

श्री विजयसिंह झाला : पहलवान के सामने कोई व्यक्ति ग्रा जाता है तो उसमें भी पहलवानी ग्रा जाती है । एक बड़े पहलवान के सामने खड़ा हुग्रा हूं । कुछ पहलवानी हम भी जान लें तो उनको ग्रापत्ति नहीं होनी चाहिये ।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह ग्रधिकार दिया है कि शारीरिक शिक्षा चलायी जाय ग्रौर उसके लिए डिप्लोमा दिये जांय । इसके लिए सोचना होगा । गृह मंत्रीजी ने होम गार्ड चलाया, शारीरिक शिक्षण के लिए चलाया । इसे विधेयक के ग्रन्दर भी जोड़ दिया ग्रौर वे ग्रपनी जिम्मेदारी से वंचित होना चाहते हैं । जो संकटकाल की स्थिति में ग्रावश्यक है वह भी उसमें जोड़ दें । शारीरिक प्रशिक्षण के लिए जो ग्रावश्यक है वह भी उसमें प्रारम्भ कर दें ।

तो देखना यह है कि इस संशोधन से क्या इसकी पूर्ति होती है । पहला विषय यह है । दूसरा यह है कि उसकी मार्फत ग्राप यह कार्यक्रम चलाना चाहते हैं वह बोर्ड उपयुक्त भी है ? इस प्रकार के डिप्लोमा जो शारीरिक शिक्षण के लिए ग्राप देना चाहते हैं उसको चलाने के लिए क्या यह बोर्ड उपयुक्त भी है या नहीं ? माध्यमिक बोर्ड की जो व्यवस्था है यदि ग्राज उसको देखें तो विदित होगा कि वह बोर्ड ग्रयोग्य है ग्रौर जो ग्रभी मौजूदा हालत में उसको ग्रधिकार दिये है इनको भी वह सुचारु रूप से नहीं चला पाया है । विद्यार्थियों में डिसिप्लिन देखिये । उनमें कोई डिसिप्लिन नहीं रहा है । जहां तक विद्यार्थियों में डिसिप्लिन रखने का सवाल है वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं रख सका तो ग्राज ग्राप जो उसको नये ग्रधिकार देने जा रहे हैं उनको किस प्रकार रख सकेगा ?

कितने ही हायर सैकन्डरी स्कूल्स खुले हुए हैं उनमें खेलने की क्या व्यवस्था है; क्या कभी उप-मंत्रीजी ने उसकी ग्रोर देखा भी है ? कहां स्कूलों में ग्राउन्ड्स हैं कि जहां पर बच्चे खेल कर ग्रपने शरीर को बना सकें । ग्राज खेलने के साधन ६० प्रतिशत हायर सैकन्डरी स्कूलों में नहीं हैं । साथ ही साथ पाठ्य पुस्तकों की भी यह स्थिति है कि बोर्ड समय पर उनको प्रकाशित भी नहीं कर सकता । छः छः महीने तक ग्रौर यहां तक कि ग्रागामी परीक्षा ग्रा जाती है तब तक पुस्तकें बाजार में उपलब्ध नहीं होतीं । उसका रिजल्ट पर बुरा प्रभाव पड़ता है । हायर सैकेण्डरी स्कूलों के ग्रध्यापकों में कितने झगड़े होते हैं इसके एक-दो उदाहरण मैं ग्रापके सामने प्रस्तुत करता हूं ।

(श्री विजयसिंह झाला)

उदयपुर, चित्तौड़, नाथद्वारा आप कहीं भी जाकर देखिये, हर स्कूल में मास्टरों की दो पार्टियां दिखाई देंगी। इन पार्टीज में यह होता है कि जब अध्यापकों को जो कॉपियां दी जाती हैं उनमें से वे लोग पन्ना फाड़ देते हैं। इससे जिन अध्यापकों के पास वे लड़के पढ़े होते हैं उनके रिजल्ट को खराब किया जाता है। आज हम किसी भी स्कूल का रिजल्ट जाकर देखें तो हमें पता चलेगा कि हायर सैकन्डरी स्कूलों में रिजल्ट बहुत खराब रहता है। इसका खास कारण है और वह यह है कि अध्यापकों में दो पार्टियां होती हैं। पार्टीज की वजह से आपस में मन–मुटाव हो जाता है और इसका असर लड़कों के रिजल्ट पर पड़ता है। हालांकि इस विधेयक पर मुझे यह नहीं कहना चाहिये था, लेकिन ऑलरेडी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जो अधिकार मिले हुए हैं उनको भी सुव्यवस्थित रूप से कार्य रूप में नहीं परिणत कर पा रहा है, वहां यदि उसको डिप्लोमा देने का अधिकार देते हैं तो वह भी इस प्रणाली को ठीक प्रकार से नहीं चला सकेगी। क्या हमारे उप मंत्री महोदय यह तीन लाइन का संशोधन लाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। गामा पहलवान की मानिन्द वे भी शिक्षण संस्थाओं में शारीरिक प्रशिक्षण का डिप्लोमा देना चाहते हैं। अगर वे डिप्लोमा ही देना चाहते हैं और पहलवानों की टोली बनाना चाहते हैं बाकायदा, सीरियस रूप में आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं आपको सुझाव देता हूं कि इसके लिये अलग इन्स्टीट्यूशन चालू किया जाय, इसके लिए अलग विभाग खोले जांय, ताकि राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को इसमें दिलचस्पी लेने का अवसर मिल सके। केवल तीन लाइन बढ़ा देने से यह मकसद पूरा नहीं हो सकता। इसके लिये अलग विभाग खोलकर जब तक योजना नहीं बनायेंगे तब तक राजस्थान की दो करोड़ जनता को इसमें दिलचस्पी पैदा नहीं हो सकती। राजस्थान की जनता इसमें ज्यादा से ज्यादा रुचि ले, वह तभी हो सकता है जब कि हम इस कार्य के लिये अलग विभाग खोलें। केवल मात्र तीन लाइन बढ़ा देने से जिस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं वह इस संशोधन द्वारा पूर्ति नहीं हो सकती।

आज जब कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जो अधिकार मिले हुए हैं उसको भी वह सुचारू रूप से और सही रूप में काम में नहीं ले रहा है इस प्रकार के और अधिकार देने से वह और ज्यादा अयोग्य सिद्ध होगा।

दूसरा मेरा प्रस्ताव लाने का यह भी आधार है कि केवल तीन लाइनें इसमें बढ़ा देने से जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम संशोधन ला रहे हैं वह उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, उसके लिये अलग विभाग की स्थापना की जा सकती है और भी सुविधायें दी जा सकती हैं। यह भी बात है कि इन सारी बातों को सोचने के लिये इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि इन सब बातों पर सोचकर आगामी सैशन तक या एक महीने बाद इसको रखा जा सकता है; इसमें कोई हर्ज होने वाला नहीं है और हमारे उप-मंत्री महोदय को सदन की ओर से गामा पहलवान की उपाधि दे दी गई है........

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : I take exception to it Sir. He has been repeating it and misrepresenting the House.

Page No 106

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

सदन ने यह उपाधि दे दी है........; I take exception to this expression and I will request the Hon. Deputy Speaker to lay down certain control over the irresponsible utterances of this gentleman, I mean the Hon. Member.

श्री उपाध्यक्ष : I will request the Hon. Member not to make any such remarks especially when......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Especially when he is not a 'Gama Pahlwan' but a 'Sinkiya Pahilwan'.

श्री विजयसिंह झाला : जो पदवी दी है उसे आप स्वीकार कर चुके हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : He is again repeating.

श्री उपाध्यक्ष : आप तकरीर ही करें, आपको उपाधि देने की आवश्यकता नहीं।

श्री विजयसिंह झाला : सदन ने उसको मान्यता दे दी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अब तो उपाधियों की बौछारें होने लगी हैं उधर से।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): और उदयपुर में जो पहलवानी करके आये हैं उसके लिये उपाधि दी गई है जो उपयुक्त है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको उपाधि देने का अधिकार नहीं है।

श्री प्रतापसिंह (राजाखेड़ा) : आपने यह डिप्लोमा उपाधि देने का कहां से हासिल किया है।

श्री विजयसिंह झाला : इन सारी बातों को सोचना, दरअसल केवल तीन लाइन का संशोधन कर माननीय मंत्री महोदय यह सन्तोष कर लेना चाहते हैं और देश को यह बताना चाहते हैं कि इस संकटकालीन स्थिति में हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शारीरिक प्रशिक्षण के लिये यह कदम उठाया है। हमें यदि यह करना है तो इसके लिये सुनिश्चित व्यवस्था बनानी पड़ेगी; तभी जाकर यह प्रशिक्षण हो सकेगा। इसलिये मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विधेयक, १९५७ में यह विचार था कि हायर सैकन्डरी बोर्ड की तहत कुछ डिप्लोमाज दिये जायं और आज इस बिल के तहत फिजीकल एजूकेशन और दूसरी चीजों में डिप्लोमा देने की बात सोचते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि बोर्ड को यह जिम्मेदारी दें हमें यह सोचना होगा कि बोर्ड की आज तक जो कार्य–प्रणाली चालू रही है उसके अलावा और भी प्रवृत्तियां हायर सैकण्डरी बोर्ड को दी जा सकती है। आज तक हायर सैकन्डरी बोर्ड अपने कर्त्तव्यों को कहां तक पूरा कर सका है, इस बात पर हमें बड़ी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उपाध्यक्ष महोदय, जब इस बोर्ड का निर्माण हुआ, थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स चालू हुआ उसके प्रतिवर्ष के परिणामों पर हम दृष्टिपात करते हैं, पिछले दस सालों के नतीजों को देखते हैं तो उसको देखकर बड़ी निराशा और मायूसी होती है। सत्तर प्रतिशत से लेकर इस पिछले दस वर्षों में रिड्यूस होकर ३५ और ३० परसेन्ट तक नतीजा आ गया है। प्रथम वर्ष टी० डी० सी० का रिजल्ट जितना नकारा निकलता उससे भी ज्यादा नकारा रिजल्ट कॉलेजों में चालू हो जाता है। आखिर हायर सैकन्डरी एजूकेशन किस गरज से किया है, इसको गंभीरता से और गहराई से सोचना पड़ेगा। आप सब्जेक्टस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस प्रकार टेन्थ और इलेवन्थ क्लास में जिन सब्जेक्ट्स की एजूकेशन दी जाती है वह बड़ी डिफेक्टिव है। आप देखेंगे कि ८ वीं क्लास में चार सब्जेक्टस ऑप्शनल में होते हैं जिनका प्रोफेशनल तालीम से गहरा ताल्लुक है; साइन्स, बोटोनी, फिजिक्स, कैमिस्ट्री, यह आपको टेन्थ क्लास में कर लेने पड़ते हैं और ११ वीं क्लास में कम्पल्सरी सब्जेक्टस करते है जिसको फर्स्ट ईयर टी० डी० सी० भी कहते हैं। इसके बाद प्रोफेशनल कक्षायें; जैसे मेडिकल, इन्जीनियरिंग—इनमें एक साल तक कम्प्लीटली इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स; फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि से ताल्लुक टूट जाता है, जिसका नतीजा स्पष्ट है। टी० डी० सी० में ३४, ३५, ३३, और ३१ परसेन्ट तक रिजल्ट रहता है और इसी प्रकार बी० एस सी० और इन्टर में जहां पहले ६०, ७० परसेन्ट से कम हो जाता तो बड़ा सोचनीय विषय हो जाया करता था....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : The time is up, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : One minute more,

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हायर सैकन्डरी एजूकेशन की ओर हम दृष्टिपात करते हैं तो इससे हमें यह स्पष्ट प्रगट होता है कि एक ओर जहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो गई है, हमारे सोर्सेज को देखते हुए आज हम पर केपिटा स्टूडेन्टस को इतनी फेसीलिटीज नहीं दे पा रहे हैं जितनी उनको देनी चाहिये। इसके साथ अगर हम अपने बजट के आंकड़ों का अनुमान लगावें तो जिस अनुपात के आधार पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है उस अनुपात में हमारी एजूकेशन का बजट का आंकड़ा बढ़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! सदन का समय समाप्त हुआ। सदन की कार्यवाही कल, दिनांक २२ अगस्त ६३, के २॥ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही दिनांक २२ अगस्त, १९६३ के म. प. २.३० तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, २१ अगस्त, १९६३)

	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	१
शराब की दूकानों के नये लाइसेंस।	
होम गार्ड्स।	
निम्बाहेड़ा से छोटी सादड़ी सड़क।	
जयपुर से कोटा रूट पर बस यात्रियों की असुविधायें।	
खेतड़ी थाने में दर्ज मामले।	
पुलिस द्वारा पिटाई।	
राजस्थान में होमियोपेथी।	
राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, १९५०।	
कामां में मोर्च्युरी।	
तहसील नोहर और भादरा के दीवानी दावे।	
सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।	
हथियारों के लाइसेन्स का हस्तान्तरण।	
तावान व स्टाम्प ड्यूटी की वसूली।	
सरकारी व्यय में कमी।	

	स्कम्भ
फर्राशों के पेन्शन के मामले।	
मारोठ में नल योजना।	
बोरड़ियों से आमदनी।	
मेडिकल कॉलेज में प्रवेश।	
सिकराय तहसील को बिजली।	
जालोर जिले में शराब की दुकानें।	
गाय चराने वालों पर गोली।	
उनियारा अस्पताल।	
फालना स्टेशन पर चाइल्ड वेलफेयर सैन्टर।	
रतनगढ़ में गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था।	
थाने और पुलिस चौकियों की स्थापना।	
जालोर नगरपालिका को ऋण अनुदान।	
नागौर जिला अस्पताल में भरती हुए मरीज।	
प्राइमरी हैल्थ सैन्टर–हिण्डौली।	
संसार ट्रांसपोर्ट की बसें।	

स्कम्भ

मन्त्रियों के बंगलों पर व्यय।

राज्य सरकार द्वारा कर्ज के रूप में ली गई धन-राशि।

बॉन्ड की रजिस्ट्रेशन फी।

चेचक की रोकथाम।

गैर सरकारी बसों के परमिट।

मींडा नदी पर पुल का निर्माण।

२. सदन की मेज पर रखे गये पत्र ८०

(क) श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री, ने राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, १९५४ की धारा २६ के अन्तर्गत वित्त (रेवेन्यू एण्ड इकोनोमिक एफेयर्स) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखी:—

(१) अधिसूचना संख्या एफ. ५ (४१) एफ. डी. । आर. टी. । ६३ दिनांक १३ जून, १९६३, तथा

(२) अधिसूचना संख्या एफ. ५ (४१) एफ. डी. । आर. टी. । ६३ दिनांक ६ जुलाई, १९६३

जिनके द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, १९५५ में संशोधन किये गये हैं।

स्कम्भ

(ख) श्री हरिश्चन्द्र, विद्युत मंत्री ने राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण (आयव्ययक) १९६३-६४ से संबंधित शुद्धि-पत्र (errata) की एक प्रति सदन की मेज पर रखी। ८१

३. विधायी कार्य
विचारार्थ लिये गये विधेयक

(१) राजस्थान सार्वजनिक उद्यान (संशोधन) विधेयक, १९६३ . १११

[The Rajasthan Public Parks (Amendment) Bill, 1963]

श्री भीखाभाई, प्रभारी मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने तथा श्री विजयसिंह झाला ने विधेयक को एक प्रवर समिति को सुपर्द किये जाने के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

वाद-विवाद के पश्चात् विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया।

(२) राजस्थान मनोरंजन कर (संशोधन) विधेयक, १९६३ १६१

[The Rajasthan Entertainments Tax (Amendment) Bill, 1963]

स्कम्भ

श्री बालकृष्ण कौल, प्रभारी मंत्री, द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय श्री दुर्गालाल बाढ़दार ने विधेयक को एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन-प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वाद-विवाद के पश्चात् संशोधन प्रस्ताव गिर गया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खण्डश: विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

(३) राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, १९६३ १९०

[The Rajasthan Gramdan (Amendment) Bill, 1963]

श्री रामप्रसाद लड्ढा, प्रभारी मंत्री, के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री विजयसिंह झाला ने विधेयक को एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

वाद-विवाद के पश्चात्, संशोधन प्रस्ताव वापस ले लिया गया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

स्कम्भ

(४) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२ २०५

[The Rajasthan Secondary Education (Second Amendment) Bill, 1962]

श्री निरंजननाथ आचार्य, उप मंत्री, शिक्षा विभाग, द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाये, श्री विजयसिंह झाला ने विधेयक को एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

सदन की बैठक रात्रि के ठीक ८ बजे गुरुवार, दिनांक २२ अगस्त, १९६३ को २.३० बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई।

रविवार, दिनांक २२ अगस्त, १९६३ की कार्य-सूची

१. राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६३ (प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन)

२. स्वर्ण नियन्त्रण कानून के फलस्वरूप स्वर्णकारों को रोजगार इत्यादि दिलाने विषयक श्रम मंत्री का वक्तव्य।

३. राजस्थान सार्वजनिक उद्यान (संशोधन) विधेयक, १९६३ (प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा)।

शासकीय संकल्प :

(क) संविधान (१५ वां संशोधन) विधेयक, १९६३ का अनुसमर्थन।

(ख) संविधान (१६ वां संशोधन) विधेयक, १९६३ का अनुसमर्थन।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४४ ए. का उत्तर देखिये)

जयपुर कोटा मार्ग के बस स्टेन्डों की सूची निम्न प्रकार है :

१.	जयपुर	२१.	बनथली
२.	सांगानेर	२२.	पोलाड़ा
३.	गोनेर रोड	२३.	पंवार
४.	बेलवा	२४.	देवली
५.	शिवदासपुरा	२५.	बासनी
६.	चाकसू	२६.	देवाखेड़ा
७.	कोथून	२७.	पेच की बावड़ी
८.	मूंडियां	२८.	हिन्डौली
९.	बनस्थली	२९.	बतरगंज
१०.	निवाई	३०.	नया गांव
११.	पहाडी	३१.	सतूर
१२.	बरनी	३२.	तलाब गांव
१३.	मोतूंगा	३३.	बूंदी
१४.	सोयला	३४.	रामगंज
१५.	टोंक	३५.	मांगली की चौकी
१६.	मेन्दवास	३६.	घोड़ा पछाड़
१७.	छान	३७.	तालेरा
१८.	भरनी	३८.	लाबापीपल
१९.	नया गांव	३९.	बड़ा गांव
२०.	सरोली	४०.	कोटा शहर

JAIPUR-KOTA ROUTE

S. No.	Jaipur Dep.	Tonk Dep.	Deoli Dep.	Bundi Dep.	Kota Arr.	Up Services
1.	—	6.15	8.45	—	—	1 Deoli
2.	5.15	7.45	9.15	10.30	11.15	1 Kota.
3.	6.00	9.00	11.00	—	—	2 Deoli.
4.	6.30	9.30	—	—	—	2 Tonk
5.	7.00	10.00	11.30	12.45	13.30	2 Kota.
6.	7.45	11.15	Via Banasthali			3 Tonk.
7.	9.15	12.15	13.45	15.00	15.50 Junc.	
					16.00	3 Kota.
8.	11.00	14.00	15.30	16.45	17.30	4 Kota.
9.	12.00	15.00	—	—	—	5 Tonk.
10.	13.00	16.00	18.00	—	—	3 Deoli.
11.	13.45	16.45	—	—	—	6 Tonk.
12.	14.30	17.30	19.00	20.15	21.00	5 Kota.
13.	16.00	19.00	20.30	21.45	22.30	6 Kota.
14.	16.45	19.45	—	—	—	7 Tonk.
15.	18.45	21.45	—	—	—	9 Tonk.
16.	19.45	22.45	—	—	—	10 Tonk.

NIWAI-TONK

S. No.	Niwai.	Tonk.	
1.	5.30 Via Banth.	7.30	1 Tonk.
2.	13.00	14.00	4 Tonk.
3.	20.30	21.30	8 Tonk.

JAIPUR-BANASTHALI

S. No.	Jaipur Dep.	Niwai Dep.	Stn. Niwai Dep.	Banasthali Arr.	
1.	10.00	12.15	—	12.45	1 Banasth.
2.	15.15	17.45	—	18.15	2 ,,
3.	17.45	20.00	Via Stn.	21.00	3 ,,

KOTA-JAIPUR ROUTE

S. No.	Kota Dep	Bundi Dep.	Deoli Dep.	Tonk Dep.	Jaipur Arr.	Down Services
1.	—	—	—	6.00	9.00	1 Tonk.
2.	—	—	—	7.15	10.15	2 Tonk.
3.	—	Via Banasthali		8.15	11.30	3 Tonk.
4.	5.30	6.30	7.45	9.15	11.30	1 Kota.
5.	—	—	8.30	10.30	13.30	1 Deoli.
6.	7.30	8.30	10.00	11.30	14.00	2 Kota.
7.	—	—	—	12.30	15.30	5 Tonk.
8.	—	—	10.30	12.15	—	2 Deoli.
9.	—	—	—	13.30	16.30	6 Tonk.
10.	10.30	11.30	13.00	14.30	17.00	3 Kota.
11.	—	—	—	15.00	18.00	7 Tonk.
12.	12.10	13.00	14.30	16.00	18.30	4 Kota.
	Kota Junc. 11.45					
13.	Via Banasthali			17.30	20.30	8 Tonk.
14.	14.00	15.00	16.30	18.00	20.30	5 Kota.
15.	—	—	17.00	19.00	22.00	3 Deoli.
16.	16.00	17.00	18.30	20.00	22.30	6 Kota.

TONK-NIWAI

S. No.	Tonk	Niwai	
1.	10.45	11.45	4 Tonk.
2.	18.30	19.30	9 Tonk.
3.	22.30	23.30	10 Tonk.

BANASTHALI-JAIPUR

S. No.	Banasthali	Niwai	Jaipur	
1.	6.45	7.30	9.30	1 Banasth.
2.	13.00	13.40	15.30	2 ,,
3.	18.30	19.00/6.00	8.00	3 ,,

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६ ए का उत्तर देखिये)

सूची

S. No.	Name of City or Town	Distt. in which Situate	Division
1	2	3	4
1.	Banaswara	Banaswara	Udaipur.
2.	Bhilwara	Bhilwara	-do-
3.	Bhindar	Udaipur	-do-
4.	Chittorgarh	Chitor	-do-
5.	Dungarpur	Dungarpur	-do-
6.	Nathdwara	Udaipur	-do-
7.	Nimbaheda	Chitor	-do-
8.	Pratapgarh	Chitor	-do-
9.	Shahpura	Bhilwara	-do-
10.	Udaipur City	Udaipur	-do-
11.	Alwar City	Alwar	Jaipur.
12.	Amber	Jaipur	-do-
13.	Bayana	Bharatpur	-do-
14.	Bharatpur City	Bharatpur	-do-
15.	Bhusawar	Bharatpur	-do-
16.	Chirawa	Jhunjhunu	-do-
17.	Dausa	Jaipur	-do-
18.	Deeg	Bharatpur	-do-
19.	Dholpur	Bharatpur	-do-

20.	Jaipur City	Jaipur	Jaipur
21.	Jhunjhunu	Jhunjhunu	-do-
22.	Kaman	Bharatpur	-do-
23.	Karauli	Sawai Madhopur	-do-
24.	Khetri	Jhunjhunu	-do-
25.	Kishangarh	Jaipur	-do-
26.	Malpura	Tonk	-do-
27.	Newai	Tonk	-do-
28.	Sambhar	Jaipur	-do-
29.	Sawai Madhopur	Sawai Madhopur	-do-
30.	Sikar	Sikar	-do-
31.	Singhana	Jhunjhunu	-do-
32.	Tijara	Alwar	-do-
33.	Tonk City	Tonk	-do-
34.	Weir	Bharatpur	-do-
35.	Bikaner City	Bikaner	Bikaner
36.	Churu	Churu	-do-
37.	Ganganagar	Ganganagar	-do-
38.	Ratangarh	Churu	Bikaner
39.	Sadulgarh (Hanumangarh)	Ganganagar	-do-
40.	Baran	Kotah	Kotah.
41.	Brijnagar (Jhalawar)	Jhalawar	-do-
42.	Bundi City	Bundi	-do-
43.	Chhabra	Kotah	-do-
44.	Jhalarapatan	Jhalawar	-do-

45.	Kotah City	Kotah	Kotah.
46.	Lakheri	Bundi	-do-
47.	Ramganjmandi	Kotah	-do-
48.	Sangod	Kotah	-do-
49.	Sironj	Kotah	-do-
50.	Barmer	Barmer	Jodhpur.
51.	Jaisalmer	Jaisalmer	-do-
52.	Jalore	Jalore	-do-
53.	Jodhpur City	Jodhpur	-do-
54.	Nagaur	Nagaur	-do-
55.	Pali	Pali	-do-
56.	Sirohi	Sirohi	-do-
57.	Bhawani Mandi	Kotah	
58.	Hindaun	Jaipur	
59.	Jobner	Jaipur	
60.	Ajmer	Ajmer	
61.	Beawar	Ajmer	
62.	Nasirabad	Ajmer	
63.	Kekri	Ajmer	
64.	Nadbai	Bharatpur	
65.	Suratgarh	Ganganagar	
66.	Shivganj	Sirohi	
67.	Merta City	Nagaur	
68.	Sujangarh	Churu	
69.	Rai-Singh Nagar	Ganganagar	

70.	Mount Abu	Sirohi
71.	Nokha	Bikaner
72.	Kuchaman City	Nagaur
73.	Kotputli	Jaipur
74.	Abu Road	Sirohi
75.	Makrana	Nagaur
76.	Sardar Sahar	Churu
77.	Nawalgarh	Jhunjhunu
78.	Ladnun	Nagaur
79.	Baggar	Jhunjhunu
80.	Deoli	Tonk
81.	Nohar	Ganganagar
82.	Fatehpur	Sikar
83.	Dungargarh	Churu

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५३ ए. का उत्तर देखिये)

राजस्थान सरकार बनने के पश्चात् १५ सालों में पलंगों की वृद्धि निम्न प्रकार से हुई :

१९४९	—	१९५०	६३
१९५१	३४	१९५२	६
१९५३	४६	१९५४	१२
१९५५	३३	१९५६	१७
१९५७	४	१९५८	५१
१९५९	—	१९६०	१
१९६१	८	१९६२	—
१९६३	१००		

कुल संख्या की ३७५ वृद्धि

सूचना इस प्रकार है—

१९४८	गजटेड डॉक्टर्स	९
	नॉन गजटेड डॉक्टर्स	३१
	मेटरन	१
	एसिस्टेन्ट मेटरन	१
	सीनियर सिस्टर्स	४
	जूनियर सिस्टर्स	६
	स्टाफनर्सेज	२५
	फारमेस्टिक	१
	कम्पाउन्डर्स	९४
	अन्ट्रेन्ड नर्सेज	१०

Page No 120

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	२२१

१६६३

सीनियर स्पेशलिस्ट्स	१२
जूनियर स्पेशलिस्ट्स	१०
सिविल असिस्टेंट सर्जन्स	४७
कम्पाउन्डर्स	१४६
सिस्टर्स	२१
स्टाफ	३६
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	२८६+७०=३५६

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING BROAD MEASURES OF ECONOMY AND THEIR FINANCIAL EFFECT

Year	Amount	Measures	
1960-61	Rs. 20.00 lakhs per annum.	Ad-hoc cut of 5% in Ministerial and 10% in Class IV staff	
1961-62	Rs. 65 00 „ „	(1) Combination of sattlement and Consolidation of Holdings and reduction of posts in Jagir Deptt.	Rs. 2.50
		(2) Reorganisation of Industries Deptt.	9.56
		(3) Auction of Gardens	1.00
		(4) Abolition of posts of Inspectors of shops in Labour Department	0.80
		(5) Abolition of posts of Panchayat Extension Officers and Zonal Development Officers	2 16
		(6) Reduction of number of posts of Patwaris in Irrigation Department	0.82
		(7) Abolition of Commissioneries	5.10
		(8) Reduction in Class IV staff	12.00

1	2	3	
		(9) Reduction in other Non-Plan Expenditure.	31.24
		Total	65.18
1962-63	Rs. 125.00 lakhs.	(1) On Capital Account mainly due to stoppage of new work etc.	45.00
		(2) On Revenue Account due to the following :	80.00
		(1) Reduction of the number of Divisional offices to 3 and of District offices to 19/20 in all offices of the State Government.	
		(2) Economics under settlement, Jagir, District Establishment, Devasthan, District Pools, Industries Departments etc.	
		(3) Abolition of posts of land Acquisition Officers and staff.	
		(4) Abolition of a Post of Assistant Chief Electoral Officers and 96 posts of L.D.C. and 96 posts of Class IV staff.	

1	2	3	
		(5) Reduction of number of Tehsils and sub-Tehsils.	
		(6) Re-organisation of Police Department.	
		(7) Ban on fresh recruitment.	
1963-64	Rs. 163.00 lakhs per annum.	(1) Effect of 1962-63 measures	90.00
	Rs 202.00 lakhs approximately.	(2) Out due to emergency measures as below:—	
		(1) Reduction in the grants to Municipalities for construction and repairs of Roads.	6.00
		(2) Reduction in the provision for maintenance of Govt. buildings.	4.69
		(3) Reduction in maintenance grant under Irrigation.	2.40
		(4) Reduction in T. A.	8.51
		(5) Reduction in provision for Stationery and Printing.	3.40
		(6) Reduction in provision under Contingencies (including provision for heaters	

Page No 124

1	2	3	
		Khestatta and Petrol).	8.77
		(7) Additional out in Police budget(under T.A.contingencies).	7.57
		Total	41.34
		(3) Economy cut under Irrigation, P. W. D., Police, Education, Medi-cal, Health etc. Deptts.	32.00
		(4) Likely effect to further measures being adopted.	15 00

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७६ ए का उत्तर देखिये)

प्रश्न संख्या १

रियासतवार कुल धन राशि जो राजस्थान बनने पर प्राप्त हुई :—

(Figures in crores)

१.	मत्स्य	Rs. 1.62 crores
२.	जयपुर	Rs. 6.44 crores
३.	बीकानेर	Rs. 5.36 crores * 4 Gold Mohars.
४.	जोधपुर	Rs. 5.07 crores
५.	भूतपूर्व राजस्थान	Rs. 3.64 crores * 4 Guineas
६.	सिरोही	Rs. 0.22 crores
७.	जैसलमेर	Rs. 0.10 crores
	Total	Rs.22.45 crores * 4 Gold Mohars and 4 Guineas.
	घटाइये—भूतपूर्व रियासतों ने अलग (जयपुर, जोधपुर) २ बैंकों से जो (over draft) कर रहे थे।	Rs. 3.97 crores
	Net Total	Rs.18.48 crores * 4 Gold Mohars and 4 Guineas.

प्रश्न संख्या २

३१ मार्च सन् १९६३ तक कर्ज के रूप में ली गई रकम Rs. 201.50 crores हैं जो नीचे लिखे मुताबिक है :—

(Figures in crores)

१. केन्द्रीय सरकार (Centeral Government)	Rs. 171.62

२. विभिन्न बैंकों से अल्पकालीन ऋण (Short term loan from Banks)	Rs. 1.79
३. जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation) और दूसरी Autonomous Bodies.	Rs. 3 87
४. स्थायी ऋण (Permanent Loan-State Development Loan)	Rs. 24.22
Total	Rs. 201.50

प्रश्न संख्या ३

सन् १९६३-६४ के आय-व्ययक अनुमान (Budget Estimates) में उपरोक्त ऋणों पर ब्याज चुकाने को Rs. 603.31 lakhs का प्रावधान रखा गया है।

प्रश्न संख्या ४

सन् १९६२-६३ के संशोधित अनुमानों (Revised Estimates) के मुताबिक ३१ मार्च, १९६३ को दायित्यों (Assets) की स्थिति (position) यह थी।

(Figures in crores)

१. पूंजी खर्च (Capital Expenditure)		Rs. 164.56 crores
२. राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिम (Loans and Advances by State Govt.)		Rs. 59 57
३. क—विनियोजन (Investments)		Rs. 6.40
(i) प्रतिभूतियों (Govt. Securities) वगैरह में	Rs. 1.62	
बैंकों व औद्योगिक संस्थाओं के शेयरों में (In shares of Banks and Industrial		

Institutions) Rs. 4.77

ख—नकद Rs. 0.71

Total Rs. 231.24 crores

आय व्ययक अनुमान १९६३–६४ (Budget Estimates) के मुताबिक इन Assets पर Rs. 910.37 lakhs थी। (Gross) आमदनी आंकी गई है। इन Assets पर जुदा-जुदा तरह की आमदनी होती है; जैसे सिंचाई योजनाओं से, वाटर चार्जेज, सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं से, मकानों से किराया, नियोजित धन राशि (Investments) पर ब्याज व लाभांश (Dividends) और ऋण तथा अग्रिम (Loans and Advances) पर ब्याज तथा जागीरदारों से, Resume की गई जमीन है राजस्व के रूप में। इन मदों से नेट आय (Net-Income) का अन्दाजा Rs. 174 lakhs रुपया है कि जो ब्याज देना पड़ता है उससे कम है। इसका कारण यह है कि सिंचाई, बिजली व पानी की बड़ी बड़ी योजनाएं जिन पर उधार से प्राप्त रुपया अधिकतर खर्च हुआ है अभी एवजा (Return) नहीं देने लगी हैं।

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७८ ए का उत्तर देखिये)

Statement of Deaths from Smallpox During the period from 1-1-1962 to 31-7-1963.

S. No.	Name of District	No. of Deaths against Smallpox
1.	Ajmer	125
2.	Jaipur	136
3.	Tonk	102
4.	Sawai Madhopur	7
5.	Bharatpur	72
6.	Alwar	76
7.	Jhunjhunu	43
8.	Sikar	23
9.	Bikaner	4
10.	Churu	35
11.	Ganganagar	8
12.	*Jodhpur	8
13.	Barmer	15
14.	Jalore	106
15.	Pali	20
16.	Nagour	35
17.	Sirohi	118
18.	Udaipur	58
19.	Dungarpur	11

1	2	3
20.	Banswara	123
21.	Chittorgarh	64
22.	Bhilwara	211
23.	Kotah	20
24.	Bundi	1
25.	Jhalawar	14
	RAJASTHAN	1435

* Jaisalmer district included.

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक २१ अगस्त, १९६३)

स्कम्म संख्या	पंक्ति सं०	अशुद्धि	शुद्धि
१	अन्तिम	Gevernment	Government
७	शीर्षक	तांराकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
१९	शीर्षक	२१ अगस्त ११६३	-२१ अगस्त, १९६३-
२०	७	(लागू करना)	लागू करना
४२	१३	श्री हरिश्चन्द्र मैं :	श्री हरिश्चन्द्र : मैं
४३	अन्तिम से ३	श्री उमरावसिह डाबरिया	श्री उमरावसिंह ढाबरिया
४४	७, १०	मेडीकल कॉलेज	मेडिकल कॉलेज
४६	५	,, ,,	,, ,,
४९	शीर्षक	-२० अगस्त, १९६३-	-२१ अगस्त, १९६३-
५१	७	श्री लक्ष्मण पटेल	श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल
५७	अन्तिम से २	(रनतगढ) :	(रतनगढ़)
६२	२२	बह	यह
७६	१	श्री विजयसिह झाला	श्री विजयसिंह झाला
,,	२६	दवाईयों	दवाइयों
८१	५	वार्षिक	वार्षिक
९५	शीर्षक	-२१ अगस्त, १९५३-	-२१ अगस्त, १९६३-
१०३	२०	श्री नत्थीसिह	श्री नत्थीसिंह
१०७	शीर्षक	-२१ अगस्त, १९५३-	-२१ अगस्त, १९६३-
११५	शीर्षक	-२१ अगस्त, १९६२-	-२१ अगस्त, १९६३-
१२७	शीर्षक	(श्री दुगालाल बाढ़दार)	(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
१२८	अन्तिम से ४	बुद्धिमना	बुद्धिमत्ता
१३३	शीर्षक	बिधेयक	विधेयक
१४१	३	श्री विजयसिह झाला	श्री विजयसिंह झाला

१	२	३	४
१४२	१७	लिये टिकट	लिये आप टिकट
१५१	२८	भ्रष्ट	भ्रष्ट
१६३ से १८६	शीर्षक	सार्वजनिक उद्यान (संशोधन) विधेयक –२१ अगस्त, १९६३– मनोरंजन कर विधेयक	राजस्थान मनोरंजन कर –२१ अगस्त, १९६३– (संशोधन) विधेयक, १९६३
१६३	१३	टक्स	टैक्स
२०५	६	राज थान सैकण्डरी एजुकेशन	राजस्थान सैकण्डरी एजुकेशन
२०६ से			
२०७	५	श्री विजयसिह झाला	श्री विजयसिंह झाला
२०८	अन्तिम से ३	हायर सैवेण्डरी	हायर सैकण्डरी
२१३	१२	एजूशकेन	एजुकेशन
२१५	शीर्षक	–२१ अगस्त, १९६३–	—